खण्ड-334, अंक-4
गुरूवार, 2 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(24 अगस्त, 1978 ई0)

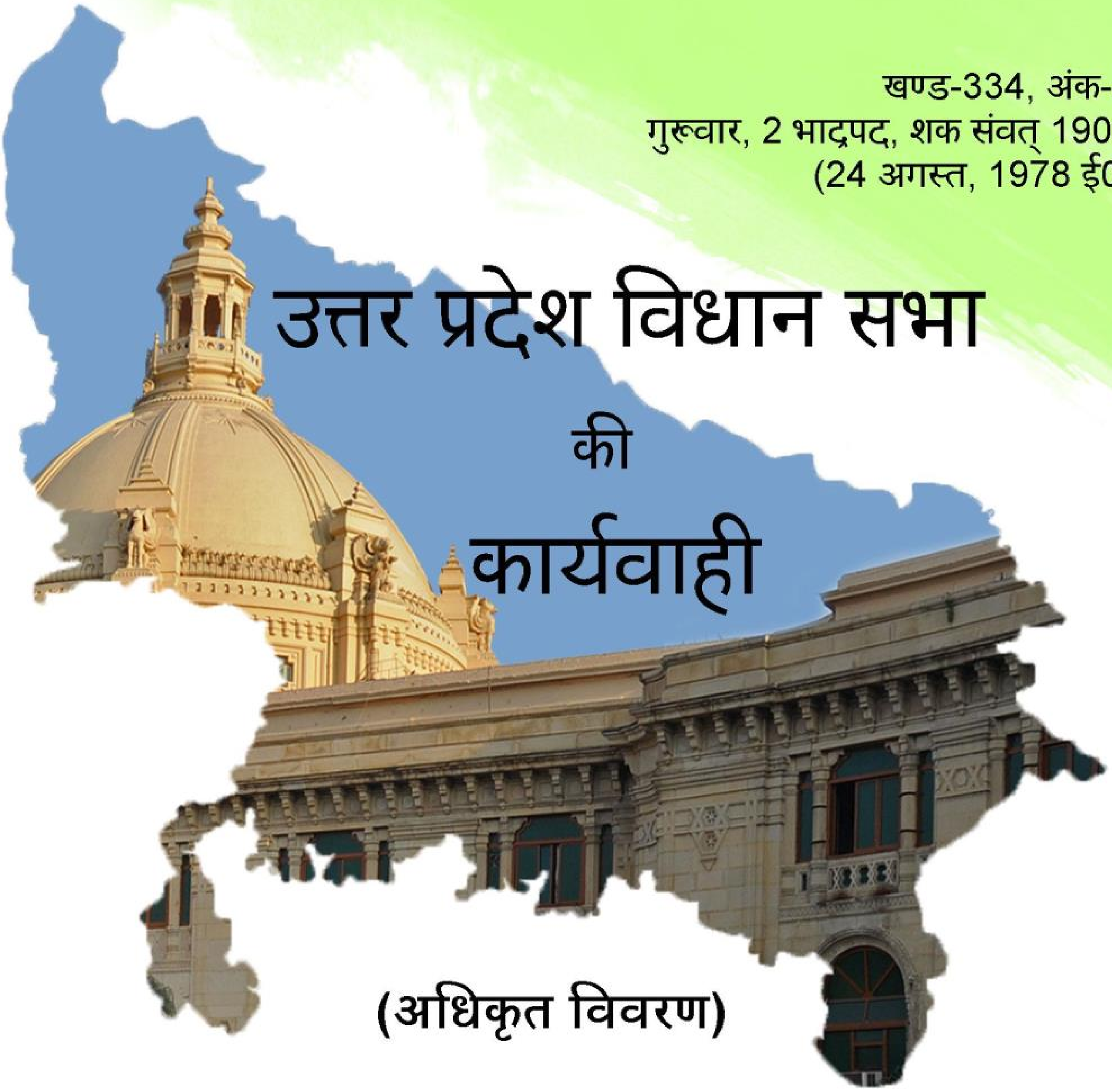

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	४४१–४४४
प्रश्नोत्तर ..	४४५–५००
आज की कार्यसूची की नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	५००–५०१
आज की कार्यसूची की नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ५ का विद्युत् मंत्री द्वारा अंतरिम उत्तर दिए जाने पर आपत्ति ..	५०१–५०४
आज की कार्यसूची के नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत) ..	५०५
एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों के लिए अधिक समय दिए जाने पर आपत्ति ..	५०५–५०६
प्रतापगढ़ के ग्राम काशीपुर के निकट गश्ती पुलिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के फलस्वरूप सिपाही विजय सिंह की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५०७
पुलिस कन्ट्रोल रूम, गोरखपुर के श्री बुधि राम मिश्र की बम प्रहार से हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५०८
पशुओं के प्रदेश व्यापी संक्रामक रोगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५०८
विद्युत् परिषद के ट्रांसफारमर्स के क्षतिग्रस्त होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५०९
देवरिया जिले के ग्राम बरवा राजा पकड़ के सवर्णों द्वारा हरिजनों के मारे-पीटे जाने तथा लूटे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५०९–५१०
प्रदेश के विद्यालयों में प्रवेश की अनुचित व्यवस्था न होने से छात्र असन्तोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५१०
सहकारी समिति जंगीगंज, जिला वाराणसी में भ्रष्टाचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५११
मथुरा जनपद के गरकी पीड़ित क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों के भवनों की क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	५११–५१२

हमीरपुर जिले की लिफ्ट कैनालों की दुर्दशा के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. ५१३

इलाहाबाद जनपद के ग्राम सरसवां के निवासी श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी के घर की पुलिस द्वारा लूट व मारपीट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. ५१३–५१४

नियम ३०१ की सूचनाओं को स्वीकार न किए जाने पर आपत्ति .. ५१४–५२१

४ अप्रैल, १९७८ की कार्यसूची में उत्तर प्रदेश डीजल आयल कराधान विधेयक, १९७८ के खंड २ में संशोधन में श्री हरी सिंह का नाम छपे होने के सम्बन्ध में उठाये गए विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. ५२१–५२२

गलत ढंग से सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. ५२२–५२३

श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, अधशासी अभयन्ता, शारदा सहायक परियोजना खंड २८ हैदरगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय .. ५२३–५२४

साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' मे 'मवेशी चोर मंत्री' शीर्षक से छपे समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. ५२५–५३८

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ .. ५३९

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम .. ५३९

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. ५४०–५४१

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित) ५४१–५५८

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ (जारी) .. ५५८–५७२

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. ५७

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ (अननुमोदन का संकल्प अस्वीकृत) (पारित) .. ५७२

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ (पारित) .. ५७२–५८६

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित) ५८६–५९५

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं .. ५९५–५९

नस्थियां .. ५९७–६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३५७

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायन श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नरायन सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊबल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल विलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरीनाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेई, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ बब्बे बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री

छज्जू सिंह, श्री
छैया सिंह चौहान, श्री
छेदी श्री (उर्फ छेदीलाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पान्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग बिजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री

भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील, उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द ठाकुर, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री

राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह श्री
विद्या शंकर, श्री,
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरबीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत मन्त्री,

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ अगस्त, १९७८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि उत्पादन मंडी समिति के चुनाव की मांग

**१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मन्डी समितियों के चुनाव कब तक करा दिए जाएंगे ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)--

कृषि उत्पादन मंडी समितियों के चुनाव कराये जाने की तिथियों के विषय में अभी शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निर्वाचित कमेटी के न होने से किसानों के हितों पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और समितियों के प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है, मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपना निर्णय कब तक ले लेंगे कि चुनाव करा दिए जाएं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी उठा था, और उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि चूंकि अभी हमारा सम्बन्धित इलेक्टोरेल-कालेज इन्कम्पलीट है यानी जिला परिषदों के सदस्य नहीं हैं और अध्यक्ष भी अभी नहीं है तथा ब्लाक प्रमुख भी अभी नहीं हैं, इसलिए अभी उनके चुनाव कराना सम्भव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक निर्वाचित समितियों का विधिवत गठन नहीं हो जाता तब तक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों को मिलाकर वहां पर कोई समिति नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो यह कब तक हो जाएगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जी हां, हम शीघ्र ही इसको करने जा रहे हैं ?

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मुझे अच्छी तरह स्मरण है, अतः जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि विधायकों की समिति बनाई जाएगी, जहां मंडी स्थित है, तो उस पर क्या विचार हुआ ? क्योंकि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के नाम पर खटकवाद होने लगेगा और स्वतन्त्र रूप से विधायक भी शामिल नहीं किए जाएंगे ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

मिश्रा जी की याददाश्त मुझे कुछ कमजोर लगती है, मैंने पहले कभी नहीं कहा कि एम० एल० ए० की समिति बनाई जाएगी ।

श्री विक्रमाराय (जिला आजमगढ़)--

पिछले सत्र में इस तरह की समिति बनाने का एक विधेयक प्रस्तुत हुआ था, जिसमें पहले ३ का, फिर संशोधित करके ७ सदस्यों का प्राविधान किया गया था, तो उस सत्र से लेकर अब तक उनका नामिनेशन न करने में उनको क्या बाधा है, और यह अब कब तक होगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

७ व्यक्तियों की समिति का अमेन्डमेन्ट जो पास हुआ था, वह जून में पास हुआ था इधर दो ढाई महीने का ही अभी समय मिला है । हम इसे शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मैं जानना चाहता हूं कि सम्बन्धित एलेक्टोरेल कालेज कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

इस सम्बन्ध में पिछली बार ग्राम्य विकास मंत्री जी ने आपको जवाब दे दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक मंडी समितियों का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक जो ७ सदस्यीय समिति वह मनोनीत करेंगे, उसमें विधायकों की संस्तुतियों पर गौर करेंगे या नहीं ?

दूसरी बात इन समितियों में अध्यक्ष के बारे में क्या प्राविधान कर रहे हैं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

जहां तक विधायकों की संस्तुति है, जरूर विचार किया जायगा अध्यक्ष, जो अच्छा व्यक्ति होगा, उपयुक्त होगा, उसके लायक होगा, उसको अध्यक्ष बनाया जायगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मंत्री जी ने जैसा बताया, समितियों के बनाये जाने में मंत्री जी बताएंगे कि अभी तक जो समितियां बनी हैं, उसमें विरोधी दल का प्रतिनिधित्व किया गया है, और जो भी समितियां बनायी जायंगी, प्रत्येक मंडी समिति में विरोधी दल का प्रतिनिधित्व रखने का विचार है या नहीं ?

श्री धीरेन्द्र सहाय--

यह तो कभी इस नजरिए से नहीं किया जाता है कि कौन विरोधी दल का है, कौन शासक दल का है । जो व्यक्ति अच्छे समझे जाते हैं उन्हीं को कमेटियों में रखा जाता है ।

पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण

**2--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रदेश में इस वर्ष पुलिस विभाग में कितने स्थानों की भर्ती होगी तथा इसमें परिगणित जाति और पिछड़ी जातियों तथा अन्य लोगों की किस-किस प्रतिशत से भर्ती के आदेश दिए गए हैं ?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)--

इस वर्ष पुलिस विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के 7, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के 480 पद पर भर्ती होगी। कान्सटेबिल के 3,551 भर्ती किये गये पद के अतिरिक्त लगभग 2000 और कान्सटेबिल के पद पर भर्ती होगी।

परिगणित जाति और पिछड़ी जातियों के तथा अन्य वर्गों के प्रतिशत भर्ती के आदेश इस प्रकार हैं :--

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ा वर्ग	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	सेना के भूतपूर्व कर्मचारी	समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिये
	1	2	3	4	5	6
पुलिस उपाधीक्षक	18%	2%	15%	5%	8%	2%
सब इन्सपेक्टर	25%	2%	15%	3%	3%	×
कान्सटेबिल	30%	2%	10%	3%	3%	×

पुलिस उप अधीक्षक के पद पर इस वर्ष के लिये निर्धारित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति का एक सेना के भूतपूर्व अधिकारियों के लिये एक एवं पिछड़े वर्ग के लिये एक पद आरक्षित हैं। शेष 4 रिक्तियां सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रदेश में जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसके लिए छेदीलाल साथी आयोग बना था, उसको देखते हुए क्या अब तक जो भरती हुई है, उसमें उन लोगों को इस आरक्षण में अधिक से अधिक स्थान नहीं मिल जायगा इस संदर्भ में कोई आदेश जारी हुआ है ? अगर हां तो क्या है ?

श्री रामसिंह--

मान्यवर, छेदीलाल साथी कमेटी की रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है और शासन ने उसकी संस्तुतियों पर विचार करना प्रारम्भ कर दिया है। लेकिन अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया है कि क्या संस्तुति मानी जाय और किस तरह से क्या करें, वह अभी विचाराधीन है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, इसी बात को देखते हुए कि चूंकि शासन के विचाराधीन है, जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार कर लेंगे कि उन संस्तुतियों को जिस हद तक सरकार पूरा करने की बात सोचती हो, उस हद तक उन भर्तियों में जिनका उल्लेख इस प्रश्न में किया गया है, उसमें आरक्षण देने के लिये आदेश जारी होंगे ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, उन संस्तुतियों पर विचार करने के बाद जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक यही व्यवस्था लागू रहेगी।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सरकार ने अपनी आरक्षण की नीति से स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग अयोग्य हैं, उनका आरक्षण किस प्रकार से होगा ?....

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं प्रश्न स्पष्ट किए दे रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वर्तमान समय में जो लोग हरिजन और पिछड़ी जाति के हैं और वे योग्यता में आ जाते हैं, तो उनको उसी आरक्षण वाले प्रतिशत में ही मान लिया है, उनको अलग से आरक्षण नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में क्या माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए हैं ?

श्री राम सिंह--

आरक्षित कोटे का मतलब यह नहीं है कि अयोग्य व्यक्तियों को रखा जावेगा। अगर अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोग अच्छी श्रेणी में आते हैं तो उनको रखा जावेगा। आरक्षण का मतलब यह है कि उस कोटे से कम नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

उनका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिद्वन्द्विता के आधार पर नहीं आ सकता तो क्या उनको पृथक से लेने का कोई आदेश आपने दिया है। इस प्रश्न को स्वीकार करने में दिक्कत है क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसकी जाति किसी न किसी जगह पर लिखी न रहती हो। उनको कलेक्टर का सर्टीफिकेट देनी पड़ती है कि वह आरक्षित जाति के हैं। अगर आप सर्टीफिकेट नहीं देंगे तो सामान्य लोगों की तरह से उनको कर सकते थे। तो क्या इस तरह के आदेश दिए जायेंगे यह प्रश्न है इनका।

श्री कदम (जिला वाराणसी)--

छेदीलाल साथी की जो रिपोर्ट है उस पर कब तक पूर्ण रूप से विचार हो जाने की संभावना है ? आखिरी निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री राम सिंह--

पिछले सत्र में जिस समय यह प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने कुछ शासन की कठिनाई बतायी थी कि वह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है और उस रिपोर्ट के अन्तर्गत सभी विभागों से सम्बन्धित संस्तुतियां और आरक्षण से सम्बन्धित संस्तुतियां की हैं। हम उस रिपोर्ट को प्रकाशित करा रहे हैं और उस पर शीघ्र ही विचार करेंगे।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

शासन ने क्या कोई ऐसे आदेश जारी किए हैं कि 1976 में जो हाई स्कूल पास व्यक्ति थे, उनको भरती नहीं किया जावेगा ?

श्री राम सिंह--

हाई स्कूल तो न्यूनतम योग्यता है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न है कि क्या कोई ऐसे आदेश हैं कि जो व्यक्ति 1976 में हाई स्कूल पास हुए उनको सर्विस में नहीं लिया जायेगा।

श्री राम सिंह--

पुलिस के सिपाहियों की भरती के सम्बन्ध में 2 तरह के प्रतिबन्ध थे- एक तो यह था कि जिस व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद 3 साल हो गये हैं, तो उसे सिपाही में नहीं रखा जावेगा। अगर इन्टरमीडिएट, बी० ए० और एम० ए० करने के बाद आता है, तो उसे 2 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जावेगी। हम इनको समाप्त कर रहे हैं और हाई स्कूल के साथ भरती होगी।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति का कोटा सब इंस्पेक्टरों का 25 प्रतिशत और कांस्टेबिलों का 30 प्रतिशत रखा, तो अनुसूचित जाति का आरक्षण बहुत वर्षों से पूरा नहीं हुआ है। पिछले शासन ने एक नीति तय की थी कि कान्सटेबिलों के लिए 45 प्रतिशत और सब इंस्पेक्टरों के लिए ३५ प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिये किया जाय, जब तक कि इनका कोटा पूरा नहीं हो जाता। इस संबंध में क्या किया गया ?

श्री राम सिंह--

चूंकि पिछड़ी जातियों के आरक्षण की व्यवस्था करनी थी इसलिए दूसरी कैटेगरीज में से आरक्षण कम किया गया अतः 45 प्रतिशत के बजाय यह कोटा 30 प्रतिशत किया गया।

श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, कांग्रेस शासन काल में मुसलमानों को पुलिस सेवा में भर्ती करने से रोक दिया गया था, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे की मुसलमानों की जो तादाद डिपार्टमेन्ट में घट गयी है, उसको पूरा करने की व्यवस्था करते हुए मुसलमानों को कुछ आरक्षण प्रदान करेंगी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था है और वह आरक्षण उन्हें दिया जायेगा ।

स्थानीय निकायों के मतदाताओं की आयु सीमा 18 वर्ष किया जाना

**३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राज्य में अगले स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग लेने के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां तो प्रश्नगत विषय पर अन्तिम रूप से निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां। शहरी स्थानीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु मतदाताओं की आयु के बारे में सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार करके यह निर्णय लिया है कि मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मतदाताओं की सूची के पुनः संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि नहीं प्रारम्भ हुआ है, तो कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, लगभग 4 महीने का समय हमारे पास है । इस बीच में परिसीमन, मतदाता सूची का अद्यावधि करना, 18 साल की उम्र वालों को भी शामिल करना यह सब काम है । हम दिसम्बर या जनवरी तक पूरा कर लेंगे और चुनाव भी करा देंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव किसी निश्चित तिथि या माह को करायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, माह तो बता चुका हूं । 9 फरवरी से पहले ही करवा देंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, महीना तो बता दिया है लेकिन सन नहीं बताया गया है । माननीय मंत्री जी कृपया सन् बताने का कष्ट करेंगे ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

माननीय सदस्यगण फरवरी 1977 तक सन्तुष्ट रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यों का कहना है कि फरवरी 1979 या 1980 में आप करायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

माननीय, फरवरी 1979 में करा देंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

माननीय, जैसे शहरी निकायों की वोटर्स लिस्ट में 18 वर्ष वालों को सम्मिलित किया जायगा उसी प्रकार से देहाती स्थानीय निकायों के लिए जिसमें ग्राम सभा व जिला परिषद् आते हैं 21 वर्ष की ही आयु रहेगी ? चूंकि शासन की कलेक्टिव व रेस्पोंसिबिलिटी होती तो क्या शासन इस पर भी विचार कर रहा है कि जैसे शहरी क्षेत्रों में 18 वर्ष किया गया है, वैसे ही देहाती क्षेत्रों में भी कर दिया जायेगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

शहरी मतदाताओं की जरूरत को समझकर यह कर दिया गया है । माननीय तिवारी जी जब 18 वर्ष के थे, बड़े समझदार थे ।

(हंसी)

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

माननीय, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने अभी कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव 9 फरवरी तक करा दिये जायेंगे । मेरी जानकारी को सही मान कर क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने 9 फरवरी इसलिए निश्चित किया है क्योंकि उस दिन माननीय मंत्री जी का जन्म दिन पड़ता है ? (हंसी)

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

कालेजों एवं विश्वविद्यालयों के छात्र संघ को समाप्त किए जाने पर विचार

**4--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र संघों की अनिवार्यता को समाप्त करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

मामला अभी शासन के विचाराधीन है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 3क (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

फैजाबाद जिले में विद्युतीकरण और बिजली के बिलों के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग की लापरवाही से फैजाबाद जनपद में विद्युतीकरण के काम में विलम्ब और बिजली के बिलों में भ्रष्टाचार की शिकायतों सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का दिनांक २१-१-७८ का विद्युत् मन्त्री को सम्बोधित पत्र मिला है ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच करके उन्हें दूर करने तथा दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

जी हां, माननीय सदस्य का दिनांक २१-१-७८ को फैजाबाद जनपद के ग्राम आसमोन ब्लाक मया, ग्राम-झिझौड़ा ब्लाक । भीटी, ग्राम-अहिरौली व ग्राम खजांवा ब्लाक कटेहरी और ग्राम केदारनगर ब्लाक टांडा के विद्युतीकरण तथा बिजली के गलत बिलों के बनाने से सम्बन्धित एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि सन्दर्भित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

नाम-ग्राम	विद्युतीकरण की तिथि
१--ग्राम--आसमोन ब्लाक मया	१५-४-१९७८
२--ग्राम--झिझौड़ा ब्लाक भीटी	१५-८-१९७८
३--ग्राम--अहिरौली ब्लाक कटेहरी	३०-६-१९७८
४--ग्राम--खजांवा ब्लाक कटेहरी	३१-३-१९७७
५--ग्राम--केदार नगर ब्लाक टांडा	३०-४-१९७८

इन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्राथमिकता पर आरम्भ किया गया था । परन्तु बिजली के आवश्यक सामानों एवं उपकरणों जैसे तार, खम्भें, केबिल, ऐंगिल आदि की कमी तथा शारदा सहायक नहर की खुदाई से मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण विद्युतीकरण का कार्य पूरा होने में कुछ समय लग गया । जहां तक फैजाबाद जनपद के विद्युत् बिलों में गलती होने का प्रश्न है, इस जिले में प्रकाश एवं पंखा तथा लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं (जिनकी ही संख्या ज्यादा है) केबिल आई० बी० एम० पद्धति से बनाए जाते हैं, जिसमें त्रुटि होने की सम्भावना बहुत कम रहती है । कभी-कभी मीटर रीडिंग सही न प्राप्त होने या मशीन में पंचिंग की गलती के कारण बिलों में गलती हो जाती है, पर मालूम होते ही तुरन्त इसे ठीक कर दिया जाता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने अपने पत्र दिनांक २१ जनवरी, १९७८ में २ शिकायतें की थीं । पहली शिकायत यह की थी कि सारी कार्यवाही हो जाने के बाद इन गांवों को बिजली देने में विलम्ब इसलिए किया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारी घूस की

अच्छी रकम पाना चाहते हैं । इसलिए जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है । दूसरी यह थी कि ३-३ महीने तक मीटर रीडिंग नहीं होती है और यकायक उपभोक्ताओं को हजारों के बिल पहुंच जाते हैं और बाद में वे ही बिल २-३ अंकों के बन जाते हैं या बिल्कुल ही गायब हो जाते है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी ने इन दोनों शिकायतों की कोई जांच कराई या विभाग के अधिकारियों ने जो लिख कर उत्तर दिया उसे मंत्री जी ने सदन में पढ़ दिया ? यदि हां, तो वह जांच किस अधिकारी ने की और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो शिकायत थी वह एक तो विलम्ब के बारे में थी, दूसरी जनरल एलीगेशन्स था, पैसा लेने का । जब जांच की गई तो पता यह चला कि विद्युतीकरण का सामान नहीं था, जो बाधक था । उस सामान की कमी के कारण देरी हो रही थी । अब माननीय सदस्य अगर किसी गांव विशेष का नाम देंगे और जिस व्यक्ति से पैसा लिया गया है और जिस अधिकारी ने लिया है, उसका नाम देंगे, तो मैं उसकी जांच अलग से करवा लूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मंत्री जी ने जिन गांवों में विद्युतीकरण का जिक्र अपने उत्तर में किया है, उनमें से किसी एक गांव में भी किसी भी व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है, यह मेरी सूचना है । केवल बिजली के खम्भे लग जाना या तार खिंच जाना ही बिजली के कनेक्शन मिलना नहीं होता । जिन अधिकारियों ने सूचना दी है, वह गलत दी है, तो जिन लोगों ने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर दूं कि विद्युतीकरण के दो फेज होते हैं । एक में तो वहां खम्भे लगना तथा तार आदि खिंचना होता है, दूसरे में उपभोक्ताओं से प्रार्थना-पत्र मांगे जाते हैं, फिर उनके इस्टीमेट्स आदि बनते हैं, जब वह पैसा जमा कर देते हैं, तो कनेक्शन उनको मिलता है । तो गांव में विद्युतीकरण का होना एक बात है, उपभोक्ताओं को कनेक्शन मिलना दूसरी बात है । अब किसी उपभोक्ता को कनेक्शन लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, या किसी कर्मचारी द्वारा परेशान किया जा रहा तो तो आप मुझे बतायें, उसे देख लिया जायेगा ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है उनमें अब तक किसी एक उपभोक्ता को भी बिजली का कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, तो किस गांव में तथा किसको ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने अपने मूल उत्तर में विद्युतीकरण करने की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है । अभी मैंने निवेदन किया कि इसके दो फेज होते हैं । बिजली की लाइन पहुंच गयी है, लाइन पहुंचने का काम कम्पलीट हो गया है । अब कितने लोगों को कनेक्शन्स मिले यह प्रश्न तो इससे सम्बन्धित है नहीं ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

फैजाबाद में ४ महीनें से किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिलों का पैसा जमा करने की क्या व्यवस्था है ? क्या ब्लाक स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर यह व्यवस्था करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सब स्टेशनों पर वैसे पैसा जमा करने की व्यवस्था है। कुछ कोआपरेटिव बैंकों से तथा अन्य बैंकों से बात-चीत कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि ब्लाक स्तर पर ही यह सुविधा प्राप्त हो जाये।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

जिन गांवों में बिजली की लाइन खिंच गई है वहां कितने लोगों को विद्युत् कनेक्शन्स दिए जा चुके हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

इसकी फीगर्स इस समय मेरे पास नहीं हैं कि किसने पैसा जमा किया है और किस ने नहीं किया और किसको कनेक्शन मिल गया है, किसको नहीं।

माननीय सदस्य को अगर स्पेसिफिक जानकारी है कि इन लोगों ने जमा किया, तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। सामान का जहां तक प्रश्न उठा, इन सामानों की कमी पड़ गयी, इसलिए काम रुक गया था, अब उसको मंगाया जा रहा है, अब सितम्बर से यह शिकायत नहीं रहेगी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितने व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र किन तारीखों को दिया और इतने समय तक उनको बिजली नहीं मिली ? श्रीमन्, इसका उत्तर नहीं आया। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बिजली के बिलों की गलत रीडिंग होती है, गलत बिल आते हैं। यह भी आमतौर से शिकायत है कि रीडिंग करने के लिए आमतौर से लोग जाते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप इस विषय से बाहर जा रहे हैं। आपकी यह शिकायत इस प्रश्न के द्वारा नहीं हो सकती है। आपका केवल प्रश्न यह है कि कितनी दरख्वास्तें आईं और कब आईं और उन पर क्या अमल किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि माननीय सदस्य की ओर से यह स्पेसिफिक बात नहीं कही गयी कि इन गांवों के इतने-इतने लोग, जो पत्र लिखा गया था, उसमें यह उल्लेख नहीं था कि इतने-इतने लोगों ने पैसे जमा कर दिया है। मेरे पास जो जानकारी हो पायी है, वह यह है कि अब विद्युतीकरण हो गया। मैं उन आंकड़ों को मंगा लूंगा। जब लाइन चली गयी तो उसके बाद ही कनेक्शन की बात आती है। १५-६-७८ तक जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ, उनकी लाइन जनवरी में जब माननीय सदस्य ने पत्र लिखा, तब भी उनकी पास आंकड़े नहीं रहे होंगे। अगर वह लिख कर भेज देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

माननीय सदस्य का पत्र जो है, वह यह है कि भ्रष्टाचार के कारण ही बिजली नहीं पहुंचाई गयी और भ्रष्टाचार के कारण ही बिजली कनेक्शन में विलम्ब होता है। माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

माननीय सदस्य के पत्र में यह बात कही गयी थी कि गांव में लाइन न पहुंचाना भ्रष्टाचार के कारण ही है। पहले जब देखा गया तो मालूम हुआ कि उन गांवों में एलेक्ट्रिफिकेशन ही पूरा नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चार्ज है, तब भी स्पेसिफिक जांच कर ली जायगी।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का पत्र है, उसमें स्पेसिफिक नाम है।

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर भी दे दिया। अब यह विवाद का विषय नहीं बन सकता।

श्री मैनेजर सिंह--

मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, वह गलत दिया है, मंत्री जी ने गलत उत्तर दिया। मान्यवर, जानबूझ कर रिश्वत लेने की गर्ज से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा है कि सारी जांच करके इत्तला देंगे।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

उत्तर नहीं आया, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो दिया कि जांच करा कर इत्तला दे देंगे।

<u>रेणु सागर पावर हाउस को भट्ठी लगाने हेतु दिया गया लाइसेन्स</u>

*२--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेणु सागर स्थित पावर हाउस की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सन् १९७२ से १९७४ के बीच में विद्युत् परिषद् ने ११० मेगावाट की २ भट्टियां लगाने की अनुमति प्रदान की थी ? यदि हां, तो उसको लगाने में विलम्ब का क्या कारण है ? क्या उक्त लाइसेन्स वर्ष १९७७-७८ में फिर बदल दिया गया ? यदि हां, तो बदलने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी नहीं । रेणु सागर स्थित पावर हाउस को दिसम्बर १९६९ में दो, एक सौ बीस मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त भट्ठी लगाने हेतु अनुमति दी गई थी । अनुमति प्राप्त कर्ता द्वारा अज्ञात कारणोंवश उपर्युक्त भट्ठी न लगाने के फल-स्वरूप उन्होंने १९७३ में पुनः दो की जगह एक, दो सौ पच्चीस मेगावाट की भट्ठी के लगाने के लिए अनुमति मांगी जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् ने दे दी । किन्तु उक्त अनुमति रेनुसागर पावर हाउस के नाम न होकर मेसर्स हिन्डालको के नाम जारी की गई थी । पुनः अज्ञात कारणोंवश अनुमति प्राप्तकर्ता द्वारा भट्टी न लगाए जाने के कारण जनवरी १९७८ में ६० मेगावाट की चार भट्टयां लगाने की अनुमति मांगी तब वह स्वीकृति तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद द्वारा हिन्डालको के नाम दे दी गई । बाद में जांच के दौरान यह पता चला कि मूल लाइसेन्स रेनुसागर पावर कम्पनी को जारी किया गया था, अतः परिवर्तित लाइसेन्स भी रेनुसागर पावर कम्पनी के नाम ही जारी करना चाहिए था । यह भी जानकारी में आया कि बिना बोर्ड की स्वीकृति के ३१ जनवरी १९७८ को सेवा निवृत्त होने वाले बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पन्त ने ६० मेगावाट के चार भट्ठियों के लगाने की स्वीकृति दे दी थी जो बोर्ड की संस्तुति न होने के कारण वैधानिकता के दृष्टिकोण से विवादग्रस्त था । अतः मेसर्स हिन्डालको को कहा गया कि यदि वे वास्तव में अतिरिक्त क्षमता बढ़ाये जाने के लिए भट्टी लगाने को इच्छुक हों तो वे रेनुसागर कम्पनी के नाम से आवेदन-पत्र दें जिस पर छान-बीन करने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें लाइसेंस दे दिया जायेगा । लाइसेन्स हेतु परिषद् को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी आवश्यक छान-बीन हो रही है ।

श्री श्रीनारायण--

मंत्री जी बतइले कि अज्ञात कारण से, तो कौन अज्ञात कारण बा ? पहिले कौन अधिकारी इसको बदल दिहले और फिर हिंडालको को दिहले । मंत्री जी कौन से अधिकारी से जांच कराइल रहिले ?

श्री गुलाब सेहरा--

आपको समझ में आ गया ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी और वह, दोनों समझ गये । (हंसी) ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जैसा मैंने निवेदन किया ।

एक सदस्य--

मंत्री जी को उसी भाषा में बोलने के लिये कहें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसके लिये बाध्य नहीं कर सकता ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जैसा मैंने निवेदन किया मूल लाइसेन्स १९६९ में स्वीकार किया गया था और वहां १२५ को दो भट्ठियां लगाने के लिये अनुमति दी गयी थी । बाद में चलते-चलते १९७३ में इस कम्पनी ने कहा कि १९७३ के अंदर जिन परिस्थितियों में यह

जारी कर दिया गया था हिंडालको के नाम से तो हिंडालको ऊर्जा उत्पादित करने वाली कम्पनी नहीं थी, यह अलग बात है कि रेणु सागर पावर कम्पनी, और हिन्दालको दोनों के मालिक एक हैं लेकिन दोनों कम्पनियां दो विभिन्न नामों के साथ रजिस्टर्ड हैं । सन् १९७८ में उन्होंने आई० डी० बी० एल० को एप्लीकेशन दिया कि हमको लोन चाहिये । उसमें आया कि उस लोन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् सेयोरिटी बने । तो छानबीन शुरू हुई कि लाइसेन्स ठीक है कि नहीं । इसी बीच बोर्ड के जो अधिकारी सेवा निवृत हो रहे थे, उन्होंने ६०-६० मेगावाट की चार भट्ठियों के लगाने की स्वीकृति दे दी, जो बोर्ड की संस्तुति न होने के कारण वैधानिकता के दृष्टिकोण से विवादग्रस्त था । लेकिन जब ऋण का सवाल शुरू हुआ तो इन्क्वायरी होने पर मालूम हुआ कि मेसर्स हिंडालको को लाइसेन्स नहीं मिल सकता है । इसलिये उनसे कहा गया कि जब तक रेणूसागर कम्पनी के नाम से आवेदन-पत्र नहीं आयेगा तब तक लाइसेन्स नहीं मिलेगा । इसलिये छानबीन हो रही है और जब तक छानबीन नहीं हो जाती तब तक बताना असम्भव है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, क्या इस बात को देखते हुये कि हिंडालको, जो बड़ी मात्रा में बिजली खर्च करता है और बिजली की आवश्यकता देहाती और शहरी क्षेत्रों को हो रही है, खेती और उद्योगों के लिये । तो आवश्यकता इसको देखते हुए क्या पावर हाउसेस, जो आत्मनिर्भर हो, को लाइसेन्स जल्दी देने की इजाजत देंगे, जिससे बिजली का संकट कम हो ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैं निवेदन करूंगा कि बिजली के जल्दी से जल्दी बनवाने का काम न तो सरकार कर सकती है और न विद्युत् परिषद् । यह लाइसेन्स १९६९ में दे दिया गया और तब से पता नहीं किन कारणों से अभी तक नहीं बनीं । अब इस बात की कोशिश करेंगे कि डिस्पोजल नियम के तहत जल्दी हो जाय । लेकिन विलम्ब टेक्निकल ग्राउन्ड्स पर जो कमियां रहेंगी, उनको तो हमको रिमूव करना ही पड़ेगा ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यहां प्रश्न यह है कि क्या रेणू सागर को बिजली देने की उनकी दरख्वास्त है और उसको बिजली देने की कोई भी योजना सरकार के विचाराधीन है ? दूसरी बात मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हिंडालको के राष्ट्रीयकरण की बात सोच रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में जब रेणुसागर बिजली पैदा करेगा और उसका ज्यादा हिस्सा हिंडालको में खर्च होगा । तो एक तरफ राष्ट्रीयकरण और दूसरी तरफ बिजली बनाने की बात की जा रही है । तो यह मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये मंत्री जी क्या इसको स्पष्ट करेंगे कि उनकी नीति क्या है । दोनों बातें एक दूसरे भिन्न हैं । इसलिये मंत्री जी इस पर स्पष्टीकरण दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

राष्ट्रीयकरण का प्रश्न इस प्रश्न द्वारा नहीं उठता है । मंत्री जी केवल इस बात का उत्तर दें कि रेणू सागर के बिजली उत्पादन के लिये लाइसेन्स देने के अन्दर क्या राष्ट्रीयकरण का कोई यदि विचार है तो क्या उससे कोई कठिनाई पैदा हो रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जहां तक लाइसेन्स देने का प्रश्न है, तो उसमें राष्ट्रीयकरण के नाते कोई कठिनाई नहीं पैदा है ।

(राज मंगल पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

इसमें प्रश्नों पर कोई बहस नहीं हो सकती है । मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में अज्ञात कारणों का जिक्र किया है, तो अब तक सरकार ने अज्ञात कारणों का पता क्यों नहीं लगाया और हिंडालकों के मालिकों ने विद्युत् परिषद् को जो इस तरह से चोट किया है तो उनके खिलाफ सरकार कोई सख्त कार्यवाही करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

शुरू में जब हिंडालको को बिजली दी गयी और वह भी बहुत सस्ते रेट पर १·९९ पर तो उसको लेकर काफी मामला चला और केन्द्र की ओर से भी जानकारी की गयी । जो रिपोर्ट आई, उसमें यह बात इंगित की गयी कि उत्तर प्रदेश की विद्युत् स्थिति को देखते हुए २० हजार टन की क्षमता की मशीन लगाने हेतु बिजली देने में सरकार को कठिनाई होगी । जब उन्होंने कैप्टिव प्लांट की मांग की और पहला प्लांट रेणुसागर का बनाया गया और उनके साथ उदारता बरती गयी और उनको फारेन एक्सचेंज सुलभ कराया गया और केन्द्र तथा यहां से सहयोग दिया गया और यह सोचा गया कि यह प्राइवेट कम्पनी है, अपनी क्षमता बढ़ा सकती है । उन्होंने उत्पादन क्षमता बढ़ाई और जब एडीशनल पावर की बात की तो उस कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने निर्णय किया कि वह कैप्टिव प्लांट बना लें और १९७३ में लाइसेन्स जारी कर दिया । प्राइवेट कम्पनी है और अब वह उसे लगाती नहीं है । किन कारणों से लगाती नहीं है, यह अज्ञात है ।

श्री अध्यक्ष--

आप विस्तार में जा रहे हैं । आप प्रश्न से सम्बद्ध उत्तर दें ।

श्री ऊदल--

मंत्री जी का जवाब यह है कि अज्ञात कारणों से तो जिन अज्ञात कारणों से सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी तो क्या सरकार उन अज्ञात कारणों का पता लगायेगी और हिंडालको के मालिकों ने जो सरकार तथा विद्युत् परिषद् को चोट किया है, लाइसेन्स लेकर भट्ठियां लगाई, तो उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

आप मेरी बात सुन लें । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अगर मंत्री की ओर के समुचित उत्तर नहीं आयेगा तो जब तक आप समुचित उत्तर नहीं दिला देंगे, तब तक सदन आश्वस्त नहीं हो सकेगा । सवाल कुछ हो और उत्तर कुछ हो, तो आप मंत्री जी को बाध्य कर सकते हैं वह समुचित उत्तर दें, जिससे यह सदन आश्वस्त हो ।

श्री अध्यक्ष--

ज्यादा विस्तार का प्रश्न नहीं है । माननीय ऊदल का प्रश्न केवल इस पर है जैसा कि आपने मूल उत्तर में लिखा है कि किन्हीं अज्ञात कारणों से बिजली नहीं लगाई । फिर उन्होंने ६० मेगावाट के लिये हिंडालको के नाम से प्रार्थना-पत्र दिया, जिसको अवकाश प्राप्त करने वाले आपके विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष न दे दी थी, जिसको आपने गलत पाया । तो उनका प्रश्न यह है कि वह अज्ञात कारण क्या है, आपने उनकी जांच कराई और यदि इस कम्पनी ने प्लान्ट्स को नहीं लगाया, इस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है । केवल इसका ही उत्तर आप दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने बड़े अदब से निवेदन किया लाइसेन्स एक प्राइवेट कम्पनी को केन्द्र या प्रदेश सरकार देती है और अगर वह उसको न लगाये तो फिर वह रद्द कर दिया जाय या वह इन-इफेक्टिव हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

शाही जी आपने कहा 'अज्ञात कारणों से' तो वह अज्ञात कारण क्या हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, वह उनसे पूछा जायेगा अगर इस सदन की इच्छा है । उनसे पूछा जायेगा कि किन कारणों से आपने १९६९ से अब तक विलम्ब किया, इसको स्पष्ट करें और तभी आपको लाइसेन्स देने के बारे में विचार किया जायेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या माननीय विद्युत् मंत्री जी अपनी फाइलें और बिजली बोर्ड की फाइलें देखकर यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह कारण बिल्कुल ज्ञात हैं, अज्ञात नहीं है। १९६९ से लेकर इम्पोर्ट का झगड़ा था कि किस मुल्क से मंगायें । इस पर भारत सरकार से विवाद चल रहा था । जिस मुल्क से वह इम्पोर्ट करना चाहते थे, उनसे उनको इजाजत नहीं दी गई । युगोस्लाविया से वह टरबाईन खरीदना चाहते थे, एक डेलीगेशन भी वहां गया । उनसे कहा गया कि बी० एच० इ० एल० से खरीदें । तो क्या यह सही नहीं है कि उनसे कहा गया कि जब बी० एच० इ० एल० ६० मे० वा० का बनाता है तो इम्पोर्ट करने की क्या जरूरत है । इसीलिए उनसे दुबारा लाइसेन्स लेने के लिए कहा गया ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस पर एक दिन बहस करा ली जाय ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, उत्तर आने दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जैसा माननीय तिवारी जी ने कारण बताये वह कारण मूलतः केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला या नहीं मिला, वह कारण फाइल पर लग जाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बी० एच० इ० एल० ५० मे० वा० से ११० और २०० तक बनाने लगा है । जो टेक्निकल नो-हाऊ है, उसमें ५सौ मे० वा० का संयंत्र लग रहा है । वह केवल ६० लगा रहे हैं, तो मुझे ऐतराज नहीं होगा । लेकिन आवश्यक छानबीन तो करनी ही पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष---

आपके प्रश्न का उत्तर 'हां' या 'नहीं' में आना था कि इम्पोर्ट लाइसेंस की वजह से कठिनाई हुई जिसकी उनको इजाजत नहीं दी गई। अगर यह नहीं है तो अन्य कारण होंगे जिसका उत्तर आपको देना चाहिये था। अब इस पर बहुत समय बीत गया है।

(व्यवधान) (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

आप संतुष्ट नहीं है तो नियम ४९ में नोटिस देकर चर्चा करा लीजिए।

एक सदस्य---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। मैं अनुमति नहीं देता। समय नष्ट न करें।

ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् के भण्डार प्रबन्ध पद्धति एवं लेखा पद्धति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट और प्रसारित किया गया आदेश

*३---श्री सोहनवीर सिंह तोमर---

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज, हैदराबाद ने १९७४ में विद्युत् राज्य परिषद् की भण्डार प्रबन्ध पद्धति तथा लेखा पद्धति का विस्तृत सर्वेक्षण करके उसे प्रभावी बनाने के लिये कोई प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि तथा उस पर कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४---श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

क्या विद्युत् मंत्री बतायेंगे कि क्या राज्य विद्युत् परिषद् ने फरवरी, १९७५ में एक पृथक भण्डार प्रबन्ध और नियन्त्रण संगठन की स्थापना के आदेश प्रसारित किए थे ? क्या मंत्री जी उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि परिषद् के विभिन्न खण्डों ने इन आदेशों के प्रसारित होने के बाद भी बड़ी मात्रा में भण्डार सामग्री क्रय किया तथा उसे पास रखना जारी रखा ? यदि हां, तो सम्बन्धित खण्ड अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

सूचना एकत्र की जा रही है।

मान्यवर, प्रश्न संख्या ३/४ में सूचना इकट्ठा की जा रही है इसलिए अभी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मान्यवर, इसके पहले भी २४-४-७८ को यह प्रश्न स्थगित हो चुका है। इसमें यह सूचना मांगी गयी है कि क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज, हैदराबाद ने १९७४ में राज्य विद्युत् परिषद् की भण्डार प्रबन्ध पद्धति तथा लेखा पद्धति का विस्तृत सर्वेक्षण करके उसे प्रभावी बनाने के लिए कोई प्रतिवेदन परिषद् को प्रस्तुत किया था ? वह रिपोर्ट ७२ के राज्य विद्युत परिषत् में ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद से मांगी थी। वह ७४ में प्राप्त हुई होगी। उसके बाद महालेखा परीक्षक ने १९७४-७५ की रिपोर्ट में काफी लिखा है। मैं जानना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं कि इस प्रश्न को टाला क्यों जा रहा है ? यह प्रतिवेदन डिटेल्ड रिपोर्ट मे आ चुका है। उसको सदन में क्यों नही रख रहें हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, प्रश्न को टालने की कोई बात नहीं है। जो उत्तर था, उससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं था। उसको एक सप्ताह के अन्दर दे दूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

उसमें संतुष्ट होने का सवाल नहीं है। रिपोर्ट मंगाने का सवाल नहीं है। जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद की रिपोर्ट है, उसको क्यों नहीं पेश कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अब आप प्रश्न को दोहरा रहे हैं। (विद्युत मंत्री जी से) आपका प्रश्न यह है कि १९७४ में प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ, उसको सदन के पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, प्रश्न यह था यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस प्रतिवेदन की प्रति-लिपि तथा उस पर कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, इसके लिए जो वांछित रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए थी, वह हुई नहीं थी। इसलिए कह दिया कि इनको इकट्ठा करके लिया जाय और इकट्ठा होन पर जवाब दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

जब मंत्री जी कहते हैं कि एक सप्ताह में वह अपनी रिपोर्ट दे देंगे, तो इस सवाल को स्थगित किया जाता है।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा सामान की खरीद

*५--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बाहर की किन-किन फर्मों से जुलाई, १९७७ के पश्चात् से ३१ मार्च, १९७८ तक दस हजार रुपए से ऊपर का सामान विद्युत परिषद् द्वारा लिया गया है ? और क्या यह भी सही है कि अब भी खरीदारी अनियमित तौर पर जारी है और निदेशक उद्योग विभाग से कोटेशन रेट नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हो रहा है यदि नहीं तो पूरी स्थिति क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो तब उसको उठाइयेगा जब प्रश्न समाप्त हो जाय । लेकिन माननीय मंत्री जी ने शायद इस प्रश्न पर ठीक से ध्यान नहीं दिया । जो प्रश्न कल्पनाथ जी ने किया है वह जुलाई सन् १९७७ से संबधित है ।

अयोध्या में जयगुरुदेव द्वारा साकेत महायज्ञ के आयोजन पर व्यय की गयी सरकारी धनराशि

*६--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार बताएगी गत २२ मई से २८ मई वर्ष १९७७ को अयोध्या, फैजाबाद में कोई जय गुरुदेव नामक साकेत महायज्ञ आयोजित हुआ था जिसमें सरकारी कोष से दो लाख रुपया व्यय किया गया था ? क्या यह भी सही है कि इस यज्ञ में राजनैतिक नेता तथा मन्त्रीगण ने भाग लिया था ? यदि हाँ, तो इस आयोजन में सरकारी धन व्यय करने का क्या औचित्य था ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां, सरजू नदी के उत्तर की तरफ वाले किनारे के क्षेत्र में साकेत महायज्ञ २२ मई से २८ मई, १९७७ को आयोजित किया गया था । साकेत महायज्ञ के अवसर पर सम्भावित सुरक्षा, सफाई, प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों तथा जल संपूर्ति की व्यवस्था के लिए २ लाख रुपये का विशेष सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया था । आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों पर रु० १,१३,८०७.९४ की धनराशि व्यय की गयी ।

दिनांक २५-५-७७ को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री राजनारायण सिंह ने उक्त महायज्ञ में भाग लिया था तथा एक सभा को सम्बोधित किया था ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, आप प्रश्न को देखें । उस समय २२ मई से २८ मई तक विधान सभा के चुनाव का दौर था । धार्मिक यज्ञ जो जय गुरुदेव के नाम पर आयोजित किया गया वह चुनाव प्रचार के लिए था । मान्यवर, इस मंच से श्री पीलू मोदी, श्री राज नारायण जैसे जनता पार्टी के महान नेताओं ने भाषण किया । तो क्या अगर दूसरी राजनैतिक पार्टियां इस प्रकार का यज्ञ आयोजित करें, तो उनको भी यह धनराशि दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह आपने कोई सूचना नहीं मांगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह धनराशि क्या माननीय राज नारायण जी की विशेष संस्तुति के आधार पर स्वीकृत की गयी थी ? साथ ही इसे किस अधिकारी ने स्वीकृत किया था और किस निधि से किया ?

श्री गणेशदत्त वाजपेयी--

मान्यवर, इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इसमें कौन सी सूचना की आवश्यकता है । यह तो बता ही सकते हैं कि किस निधि से दी गयी और किसने दिया ।

श्री अध्यक्ष--

अगर मंत्री जी कहते हैं कि सूचना नहीं है । तो मैं कैसे कह दूं कि सूचना दें ।

श्री रियासत हुसेन--

जब दो लाख रुपये की धनराशि दी गयी तो यह तो मालूम ही होगा कि किसने दरख्वास्त दी, किस काम के लिए दी, किसने स्वीकृत किया और किसकी सिफारिश से की गयी ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी--

जब कभी कठिनाई के अवसर आते हैं तो पूजापाठ तो होता ही है । अब किसने दरख्वास्त दी, किसकी सिफारिश से दिया गया, यह सूचना निश्चित रूप से प्राप्त नहीं है ।

राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष की सेवा निवृत्ति

*७--आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष सेवा निवृत्त हो रहे है ? यदि हां, क्या सरकार उनका सेवाकाल बढ़ा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष ३०-४-१९७८ के अपरान्ह से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नोट--नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आगरा के ताजमहल की सुरक्षा हेतु थर्मल विद्युत स्टेशनों को हटाये जाने की मांग

*८—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या विद्युत मन्त्री को यह जानकारी है कि आगरा मे ताजमहल की सुरक्षा के लिए दो थर्मल विद्युत स्टेशनों को हटाने के लिए मार्च व अप्रैल, १९७८ में भारत सरकार से उन्हें निदेश प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोनों पावर स्टेशन हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, भारत सरकार ने जनवरी, मार्च व अप्रैल, १९७८ में 'मथुरा तेलशोधक कारखाने का वातावरण पर प्रभाव विषयक विशेषज्ञ समिति (एक्सपर्ट कमेटी आन इवारमेन्टल इम्पैक्ट आफ मथुरा रिफाइनरी) की रिपोर्ट में की गयी संस्तुति के अनुसार ताजमहल की पर्यावरण सुरक्षा के लिए आगरे के दो थर्मल स्टेशनों को बन्द करने के बारे में पुष्टि मांगी थी। इस सम्बन्ध में प्रदेश में विद्युत की कमी की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है कि अभी इन स्टेशनों को बन्द करना सम्भव नहीं है।

बस्ती जिले में निजी नलकूपों को दिया गया विद्युत् कनेक्शन

*९—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ (जिला बस्ती), श्री सुखपाल पाण्डे (जिला बस्ती), श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में नार्मल स्कीम में निजी नलकूपों की लाइन देने का लक्ष्य कितना था और वह लक्ष्य कब पूरा हुआ ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बस्ती जनपद में वित्तीय वर्ष १९७७–७८ के अन्तर्गत राज्य में सामान्य कार्यक्रम (नार्मल स्कीम) में कुल २०० निजी नलकूपों को कनेक्शन देने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य के समक्ष ३१–३–७८ तक कुल १७६ निजी नलकूपों को बिजली दी गई। इसके अतिरिक्त १४ निजी नलकूपों को माह अप्रैल, १९७८ तथा २ निजी नलकूपों को माह जुलाई, १९७८ तक बिजली दी गई। शेष ८ निजी नलकूपों में से ३ को उनके परिसर पर पुराने कनेक्शन एवं बकाया धनराशि होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया जा सका और ५ मामलों में शीघ्र ही बिजली दे दिये जाने की आशा है।

बिजली कम्पनी मार्टिन बर्न लिमिटेड, लखनऊ के अधिगृहीत कर्मचारियों की विचाराधीन नियुक्ति

*१०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निजी बिजली कम्पनी मार्टिन बर्न लि०, लखनऊ को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिग्रहण किये जाने के कारण उसके कितने कर्मचारियों के मामले परिषद् के पास १५ दिसम्बर, १९७७ को सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन थे तथा उनके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

निजी बिजली कम्पनी मार्टिन बर्न लिमिटेड, लखनऊ से अधिगृहीत कर्मचारियों में से आठ (८) कर्मचारियों के मामले सहायक अभियन्ता एवं सहायक अधिशासी अभियन्ता के पद पर सज्जीकरण हेतु विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में सेन्ट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति प्राप्त हो गई है तथा उस पर राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विचार किया जा रहा है ।

देवरिया नगर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के विद्युत् कनेक्शन का निरीक्षण एवं पायी गयी अनियमितता

*११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या विद्युत मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया नगर (जनवरी, १९७८) के राज्य विद्युत परिषद् इंफोर्समेन्ट स्क्वायड के निरीक्षक ने औद्योगिक विद्युत् कनेक्शनों पर छापा मार कर लक्ष्मीदास मिल, आत्माराम अग्रवाल आयल मिल, राम नारामण गणेश प्रसाद आयल मिल, शब्बीर हुसैन खराद मशीन आदि पांच औद्योगिक संस्थाओं के विरुद्ध विद्युत चोरी का अभियोग दर्ज कराया है ? तथा विद्युत् विभाग (अनुरक्षण) के अधिशासी अभियन्ता (श्री रंगनाथ दुबे) को भी परीक्षण रूप से इन घोटालों के लिए उत्तरदायी ठहराया है ? यदि हां, तो श्री दुबे के विरूद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, देवरिया नगर (जनवरी, १९७८) में राज्य विद्युत् परिषद् इंफोर्समेन्ट स्क्वायड के निरीक्षक द्वारा एवं श्री लक्ष्मी दाल मिल, आत्मा राम अग्रवाल आयल मिल, राम नारायण गणेश प्रसाद आयल मिल, शब्बीर हुसैन खराद मशीन एवं श्री राम नारायण के औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया एवं उनमें से केवल सर्व श्री लक्ष्मी दाल मिल , देवरिया एवं सर्व श्री आत्मा राम अग्रवाल आयल मिल, देवरिया को विद्युत् सम्बन्धी अनियमितता करते हुए पकड़ा गया एवं उनके कनेक्शन काट दिए गये । सर्वश्री राम नारायण गनेश प्रसाद आयल मिल का कनेक्शन बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण काट दिया गया, शेष २ उपभोक्ताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि उनके प्रतिष्ठानों में स्क्वाएड द्वारा कोई त्रुटि नहीं पायी गई ।

निरीक्षक इंफोर्समेन्ट स्क्वाएड राज्य विद्युत परिषद् की जांच रिपोर्ट में अधिशासी अभियन्ता श्री रंगनाथ दुबे को पाई गयी त्रुटि के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है अतः श्री रंग नाथ दुबे के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर० आर० गुप्ता, उप खंड अधिकारी एवं श्री जग मोहन लाल, अधिशासी अभियन्ता, फर्रुखाबाद, के विरूद्ध शिकायती पत्र

*१२—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ स्थित एस० डी० ओ० (श्री आर० आर० गुप्ता) एवं अन्य अधिकारियों के विरूद्ध जुलाई, सन् १९७७ में कोई आरोप-पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, सर्वश्री आर० आर० गुप्ता उपखंड अधिकारी एवं जग मोहन लाल, अधिशासी अभियन्ता, फर्रुखाबाद के विरुद्ध श्री छविराम, प्रचार मंत्री जनता पार्टी फर्रुखाबाद का एक आरोप पत्र श्री राम लाल अहेरवार, सदस्य विधान सभा के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इस मामले की विस्तृत जांच की गई जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त दोनों अधिकारी समुचित सुरक्षा नियमों के अनुपालन में ढिलाई एवं पर्याप्त टी० एण्ड पी० न होने के सम्बन्ध में दोषी पाये गये। तदनुसार अधिशासी अभियन्ता को चेतावनी दे दी गई है तथा एस० डी० ओ० के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

मिर्जापुर जिले के सुपर थर्मल पावर स्टेशन में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा एवं विस्थापितों को नौकरी में लिये जाने की मांग

*१३—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोटा सुपर थर्मल पावर, कोटा, मिर्जापुर में प्रभावित किसानों को वर्ग ४ नजूल व पुनर्वास पट्टे की जमीन का मुआवजा दिया जा रहा है ? अगर दिया जा रहा है तो किस हिसाब से ? उससे प्रभावित तथा उस क्षेत्र के पढ़े-लिखे युवकों के लिये बोर्ड द्वारा ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले वर्ग ४ की भूमि के बारे में प्रतिकर केवल उन्हीं अध्यासीनों को दिया जा रहा है जिन्हें अभिलेख क्रियाओं में सहायक अभिलेख अधिकारी ने भूमिधरी अधिकार प्रदत्त किये हैं। प्रतिकर की धनराशि अन्य भूमिधरों की भांति रु० ४,५००.०० प्रति एकड़ होगी। इसमें अनुग्रह धनराशि एवं फसल का प्रतिकर भी शामिल है। नजूल व पुनर्वास पट्टेदारों को भी पट्टे की शर्त के अनुसार प्रतिकर दिये जाने का प्रस्ताव है, परन्तु प्रतिकर की दर का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जिनकी यह परियोजना है, यह आश्वासन दिया गया है कि विस्थापित परिवारों में से प्रति परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुसार परियोजना क्षेत्र में काम दिया जायेगा।

[२४ अगस्त, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राम दत्त जोशी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

नगरपालिका हापुड़ के लिपिक, श्री प्रेमनाथ तिवारी की अधीक्षक पद पर कथित नियुक्ति

*२—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हापुड़ नगरपालिका में श्री प्रेमनाथ तिवारी नामक एक लिपिक को जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं, उसे उपरोक्त नगरपालिका के कार्यालय अधीक्षक के प्रान्तीयकृत पद पर कार्यवाहक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उपरोक्त पद पर सरकार द्वारा उपयुक्त अधिकारी नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगरपालिका, हापुड़ में कार्यालय अधीक्षक का पद रिक्त होने पर तत्कालीन अध्यक्ष ने श्री प्रेमनाथ तिवारी को नहीं वरन् श्री प्रेम प्रकाश तिवारी, विभागीय मुख्य लिपिक को उस पद पर कार्यरत कर दिया था । श्री तिवारी ने दिनांक २४ दिसम्बर, १९७६ से ३१ जुलाई, १९७८ तक कार्य किया । कार्यालय अधीक्षक का पद प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाने का प्राविधान है और प्रोन्नति की पात्रता नियमावली के निश्चित न होने के कारण निदेशालय द्वारा अन्य उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल एवं टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, अल्मोड़ा, और श्रीनगर तथा टिहरी गढ़वाल के फोरमैन के वेतनमान में असमानता

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा और श्रीनगर एवं टिहरी गढ़वाल में कार्यरत फोरमैन का वेतनमान पहले एक समान था किन्तु बाद में अल्मोड़ा के इंस्टीट्यूट में वेतनमान ऊंचा कर दिया गया है जिससे श्रीनगर एवं टिहरी में कम हो गया ? यदि हां, तो एक ही किस्म के पद पर दो भिन्न वेतनमान क्यों हैं ? और क्या शासन इस भिन्नता को पूर्वगामी प्रभाव से मिटाने पर विचार करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जी हां, गवर्नमेन्ट इण्डस्ट्रियल ऐण्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा और श्रीनगर तथा टिहरी गढ़वाल में कार्यरत फोरमैन के पदों का वेतनमान दिनांक १ अप्रैल, १९६५ के पूर्व एक समान था, किन्तु वेतन अभिनवीकरण समिति, १९६५ तथा उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१–७३) की संस्तुतियों के आधार पर अल्मोड़ा के फोरमैन का वेतनमान श्रीनगर व टिहरी गढ़वाल के फोरमैन के वेतनमान से ऊंचा कर दिया गया ।

वर्कशाप फोरमैन, इण्डस्ट्रियल ऐण्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा और फोरमैन वीविंग एवं कारपेन्ट्री श्रीनगर तथा टिहरी गढ़वाल के वेतनमान इन पदों के लिये निर्धारित शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हताओं के कारण भिन्न–भिन्न रखे गये हैं ।

इन पदों के वेतनमान में विभिन्नता को दूर करने का मामला वेतन असंगतियां समिति के समक्ष रखा गया था, किन्तु उक्त समिति ने इस मामले में कोई असंगति नहीं पाई । अतः शासन उक्त भिन्नता को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं समझता ।

तहसील गरौठा, जिला झांसी में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

*४—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील गरौठा, जिला झांसी में कितने महिला अस्पताल हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां महिला अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

तहसील गरौठा, जिला झांसी में एक भी महिला अस्पताल नहीं है ।

महिला अस्पताल हेतु तथा महिला डाक्टर एवं अस्पताल के स्टाफ के आवास हेतु उपयुक्त भवन उपलब्ध करा दिए जाने पर उक्त तहसील में महिला चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

देवरिया जिले के ग्राम सिरजम, बैतालपुर व गौरी बाजार में पेयजल योजना

*५—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम सिरजम, बैतालपुर तथा गौरी बाजार को पेयजल योजना के अन्तर्गत १९७८—७९ में शामिल कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां । जनपद देवरिया के सिरजम, बैतालपुर की पेय जल योजनायें तैयार हैं । उनके कार्यान्वियन हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गौरीबाजार, दिसम्बर, १९७७ से नगर क्षेत्र समिति घोषित किया गया है अतः इसकी योजना अलग से बनाई जा रही है ।

उक्त पेयजल योजनाओं पर कार्य वर्ष १९७८—७९ में प्रारम्भ होने की पूरी सम्भावना है ।

नगरपालिका अयोध्या में चुंगी मोहर्रिर एवं चपरासियों की नियुक्ति

*६—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को यह जानकारी है कि प्रभारी अधिकारी नगर पालिका, फैजाबाद ने पिछले छः माह के अन्दर चुंगी मोहर्रिर एवं चपरासी के पदों पर सीनियर्स की उपेक्षा करके १७ नयी नियुक्तियां उक्त पदों पर वैधानिक ढंग से कर दी गयी है ? यदि हां तो नियुक्तियों का आधार क्या था और सीनियर्स की उपेक्षा करने का क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगरपालिका फैजाबाद से अयोध्या क्षेत्र को अलग करके नयी नगरपालिका अयोध्या का गठन होने के फलस्वरूप अयोध्या तथा फैजाबाद में स्थापित किये जाने वाले नये चुंगी नाकों तथा चुंगी सदर कार्यालय में चुंगी मोहर्रिर एवं चपरासी के पदों पर प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत प्रतीक्षार्थियों में से १६ नयी नियुक्तियां तथा एक नियुक्ति विभागीय प्रोन्नति द्वारा तदर्थ एवं अस्थाई रुप से वरिष्ठता, योग्यता तथा कुशलता के आधार पर की गयी ।

केवल उन्हीं वरिष्ठ प्रतीक्षार्थियों की उपेक्षा की गई जो कुछ समय पूर्व या तो दण्डित किये गये थे या चुंगी कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे । उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के प्रतिक्षार्थियों को भी वरीयता दी गई ।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ, की पी० पी० सेन्टर की स्वास्थ्य निरीक्षिका का वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन

*७—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला अस्पताल, लखनऊ के पी० पी० (पोस्ट मार्टम) स्कीम में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को उनके वेतन निर्धारण सम्बन्धी उपलब्धियों के एरियर तथा नवम्बर, १९७७ से अप्रैल, १९७८ तक के वेतन का भुगतान अभी तक (४-५-७८) तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान न करने के क्या कारण हैं तथा भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ? क्या सरकार भुगतान न करने से सम्बन्धित दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

महिला चिकित्सालय लखनऊ की पी० पी० सेन्टर की एक स्वास्थ्य निरीक्षिका को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण सम्बन्धी अवशेष तथा माह नवम्बर, ७७ से अप्रैल, ७८ तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

स्वास्थ्य निरीक्षका के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के पूर्ण न होने के कारण अभी तक वेतन निर्धारण सम्बन्धी उपलब्धियों के अवशेष का भुगतान नहीं हो सका है । स्वास्थ्य निरीक्षिका के सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के पूर्ण होने के उपरान्त उसके वेतन निर्धारण सम्बन्धी अवशेष का भी भुगतान कर दिया जायेगा ।

स्वास्थ्य निरीक्षका माह नवम्बर, ७७ से ही नहीं अपितु अगस्त, १९७७ से अप्रैल, ७८ तक विभिन्न अवधि में अवकाश पर रही । उक्त अवधि के वेतन का भुगतान, अवकाश स्वीकृति की समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक ३१ मई, १९७८ को कर दिया गया है ।

किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सी० एम० ओ० कार्यालय, बस्ती के श्री आर० पी० राय का स्थानान्तरण और कर्मचारियों की सूची तथा श्री राम कृपाल के स्थानान्तरण की मांग

*८—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९७७ के १ले गुरुवार, दिनांक १ सितम्बर, १९७७ के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री आर० पी० राय का स्थानान्तरण बस्ती जनपद से अन्यत्र कर दिया गया है और उनके रिक्त पद पर किसी अन्य कर्मचारी को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

श्री आर० पी० राय का स्थानान्तरण बस्ती से गोरखपुर कर दिया गया है और उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी की नियुक्ति भी की जा चुकी है ।

*९—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र १९७७ के पहले गुरुवार दिनांक १ सितम्बर, १९७७ के नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उक्त स्थानान्तरण के सन्दर्भ में स्वास्थ्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सी० एम० ओ० कार्यालय, बस्ती से ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी गयी थी जो बस्ती जनपद में ५, ६ अथवा ७ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और वांछित सूची सम्बन्धित कार्यालय द्वारा अप्रैल, १९७८ में सम्बन्धित निदेशालय को भेजी गयी जिसमें श्री राम कृपाल का नाम नहीं है जब कि श्री राम कृपाल बस्ती में १९६९ से कार्यरत हैं यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री कल्याण सिंह—

उक्त प्रश्न के संदर्भ में नहीं वरन् वर्ष १९७८ में वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा समस्त अधीनस्थ अधिकारियों से उनके अधीन कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की सूची मांगी गयी थी जो एक ही जनपद में ७ वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात है । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती से जो सूचना प्राप्त हुयी उसमें श्री राम कृपाल का नाम नहीं था यद्यपि वे बस्ती जनप में अगस्त, १९६९ से कार्यरत थे । इस सम्बन्ध म जांच की जा रही है और तथ्य ज्ञात होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

*१०—श्री बसन्त—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित] ।

*११—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित] ।

*१२—श्री मोहन सिंह (देवरिया)—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

लखनऊ–कानपुर रोड पर स्थित मोहल्ला बारा बिरवा, सुभाषनगर आदि में पेयजल की व्यवस्था

*१३—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि लखनऊ–कानपुर रोड पर स्थित बाराबिरवा, सुभाषनगर, भोला खेड़ा, मोहल्लों, जिनकी अनुमानित आबादी ५००० (पांच हजार) है, मेन वाटर लाइन के अभाव में है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के निवासी पानी के घोर संकट में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री उक्त मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त क्षेत्र में मेन वाटर लाइन की व्यवस्था अविलम्ब किए जाने का आदेश देंगे, जिससे कि उक्त क्षेत्र के निवासियों का पानी संकट दूर हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

लखनऊ कानपुर सड़क के किनारे नई विकसित हो रही कालोनी में बारा बिरवा, सुभाषनगर, भोलाखेड़ा मोहल्ले स्थित हैं । यहां पर पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था नहीं है । यह क्षेत्र लखनऊ नगर के पेयजल के मास्टर प्लान के डिस्ट्रिक्ट "डी" के "बी" तथा "सी" जोन के अन्तर्गत आता है । इन क्षेत्रों में पाइप द्वारा

पेयजल व्यवस्था हेतु प्राक्कलन बना लिया है किन्तु विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत, धन की कमी होने के कारण इन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका ।

*१४—श्री राम नरायन वर्मा—

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

सर्विस कनेक्शन आई० पी० आर० ए० सिधौरा, जिला वाराणसी, की शिफ्टिंग

*१५—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्विस कनेक्शन संख्या आई० पी० आर० ए० सिधौरा, सब स्टेशन चोलापुर, जिला वाराणसी को दूसरी जगह शिफ्ट करने हेतु शिफ्टिंग कनेक्शन चार्ज, १४७.५० रु० बुक नं० ७३९१—७३ नं० ३६, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ को विद्युत् परिषद् मडुहाडीह, वाराणसी में जमा कराने के बाद भी आज तक कनेक्शन की दूसरी जगह शिफ्ट न करने का कारण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठानों की बन्दी एवं प्रभावित कर्मचारी

*१६—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २३ व २४ मई, १९७८ से जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में कांच व चूड़ी के प्रतिष्ठानों में सेवायोजकों ने अनियमित रूप से तालाबन्दी कर दी है ? जिससे ५०,००० हजार श्रमिक बेकार हो गए हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठानों के जुड़ाई ठेकेदारों ने चूड़ी जुड़ाई की मजदूरी में वृद्धि की मांग को लेकर दिनांक २२ मई, १९७८ से काम बन्द कर दिया था जिसके उपरान्त २४/२५ मई, १९७८ की रात्रि से ४५ कारखाने सेवायोजकों ने बन्द कर दिए । इस बन्दी से फैक्टरियों के लगभग ५,००० श्रमिक तथा ५,००० जुड़ाई कर्मचारी प्रभावित हुए । २८ व ३० जुलाई, १९७८ को कारखानों के मालिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य दो समझौते हो गए हैं और इस समय स्थिति सामान्य है ।

जल निगम कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के दक्षता रोक पार करने के आदेश

*१७—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम, उत्तर प्रदेश के प्रधान कार्यालय, लखनऊ में ३१ मार्च, १९७८ को कार्यरत, अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के अनेकों अधिकारियों तथा कर्मचारियों के दक्षता रोक पार करने के आदेश, जिनकी देय तिथि बहुत पहले ही बीत चुकी है देय तिथि को निर्गत नहीं किए गए तथा निर्धारित समय के अन्दर भी उपरोक्त आदेश पारित नहीं किए गए ? यदि हां, तो श्रेणीवार कितने ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हैं ? क्या इस तद्विषयक शासनादेश संख्या ४१/२/७१—नियुक्ति—३, दिनांक २८ जुलाई, १९७२ में निर्धारित प्रक्रिया तथा नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया ? क्या इस शासनादेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्न का प्रथम एवं द्वितीय भाग

जी हां। ३१ मार्च, १९७८ को जल निगम मुख्यालय में प्रथम श्रेणी के ४, द्वितीय श्रेणी के ३ एवं तृतीय श्रेणी के ५ ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी थे जिनके देय तिथि को दक्षतारोक पार करने के आदेश निर्गत नहीं किए गए। परन्तु अब द्वितीय श्रेणी के दो अधिकारियों एवं तृतीय श्रेणी के एक कर्मचारी को छोड़ कर शेष सभी के दक्षतारोक पार करने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं।

मुख्यालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दक्षतारोक पार करने का कोई भी मामला ३१ मार्च, १९७८ को अनिर्णीत नहीं था।

प्रश्न का तृतीय भाग--

देय तिथि के पूर्व के ५ वर्षों के पूर्ण गोपनीय प्रविष्टियां उपलब्ध न होने तथा कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल प्रविष्टियां होने के कारण देय तिथि को आदेश निर्गत नहीं किए जा सके।

प्रश्न का चतुर्थ भाग--

शासनादेश संख्या ४१/२/७१-नियुक्ति-३, दिनांक २८ जुलाई, १९७२ की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५९७ पर)।

*१८--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[५वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

आयुर्वेदिक स्नातकों के हाउस जाब के पदों की वृद्धि की मांग

*१९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आयुर्वेदिक स्नातकों के लिए हाउस जाब की निर्धारित सीटों में वृद्धि करने का विचार कर रही है जिससे कि समस्त उत्तीर्ण इच्छुक स्नातकों को हाउस जाब मिल सके ?

श्री कल्याण सिंह--

कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में हाउस जाब के १४९ पद पहले से स्वीकृत थे, इन कालेजों से उत्तीर्ण होने वाले सभी स्नातकों को हाउस जाब की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवेश क्षमता के आधार पर ६६ हाउस आफिसर के अतिरिक्त नियमित पद दिसम्बर, १९७७ में शासन द्वारा सृजित किए गए और इन कालेजों में वर्ष १९७६ के डबल बैच के स्नातकों को भी शनैः शनैः हाउस जाब की सुविधा प्रदान करने के लिए जुलाई, १९७८ में हाउस जाब के २०९ अतिरिक्त अस्थाई पद और सृजित कर दिए गए हैं।

संयुक्त निदेशक, आगरा मंडल के डा० प्रेम चन्द्र गुप्त का कार्यकाल

*२०—श्री चन्द्र भान मौर्य (जिला आगरा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि संयुक्त निदेशक, आगरा मण्डल डा० प्रेम चन्द्र गुप्त, आगरा जनपद के ही निवासी हैं और आगरा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी व सहायक निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा व अब संयुक्त निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा के पदों पर आसीन रहे हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से इनको इसी जनपद में नियुक्त किया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

संयुक्त निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा डा० प्रेम चन्द्र गुप्त आगरा जनपद के निवासी हैं । आगरा जनपद में इनकी तैनाती निम्नलिखित पदों पर रही है—

(१) जिला स्वास्थ्य अधिकारी, दिनांक जून १९६५ से २ जून, १९६८ तक ।

(२) सहायक निदेशक तृतीय रेन्ज—दिनांक २२ अक्तूबर, १९७० से ६ जुलाई, १९७३ तक ।

(३) संयुक्त निदेशक आगरा मण्डल—दिनांक ५ फरवरी, १९७७ से अब तक ।

डा० गुप्त की संयुक्त निदेशक आगरा मण्डल के पद पर तैनाती उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि, जो दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७८ है, को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

*२१-२२—श्री जयराम सिंह तथा श्री राम सजीवन—

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४९-५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

*२३-२४—श्री तेज भान सिंह, श्री राम देव, श्री संगम लाल, श्री राम अधार यादव तथा श्री विद्या शंकर पांडे—

[२रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६४-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

पुलिस चौकी, छितवापुर, लखनऊ नगर, के क्षेत्र में शराब की अवैधानिक बिक्री

*२५—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर) तथा श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ के थाना हुसैनगंज की पुलिस चौकी छितवापुर के क्षेत्र में पुलिस के सहयोग से कुछ शराब के खुफिया फरोशों ने एक सेन्टर कायम कर लिया है जो कारों से लखनऊ के आस-पास के जिलों से जहां मद्य-निषेध अभी नहीं हुआ है शराब लाकर लखनऊ शहर में सप्लाई कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोक थाम के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ? क्या सरकार सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस व आबकारी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ताकि सरकार की मद्य-निषेध नीति को सफलता मिल सके ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

शासन को इस प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिला परिषद् अस्पताल, अतर्रा के राष्ट्रीयकरण की मांग

*२६--श्री जगन्नाथ सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा में अतर्रानगर जिला परिषद् अस्पताल की दशा जीर्ण-शीर्ण है और उसमें इलाज का समुचित प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतर्रा जिला परिषद् अस्पताल शीघ्र ही राजकीय अस्पताल घोषित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--
जी हां ।

प्रश्नगत अस्पताल को राजकीय अस्पताल घोषित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है । क्योंकि इस प्रश्न पर तभी विचार करना सम्भव है जब जिला परिषद् इसके लिए स्वयं शासन से आग्रह करे और इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित शर्तें उन्हें मान्य भी हों ।

बजोरिया मोटर सर्विस स्टेशन, हजरतगंज, लखनऊ और श्रमिकों के बीच विवाद तथा अवशेष का भुगतान

*२७--श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

सप्तम विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७७ के ६ठें गुरुवार (१३-१०-७७) के तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिन ६ श्रमिकों को धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था उनको अब भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ? इसके लिए सरकार उस संस्था के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

संदर्भित प्रश्न संख्या २९ मेसर्स बजोरिया मोटर सर्विस स्टेशन, हजरतगंज, लखनऊ नामक प्रतिष्ठान व उसके श्रमिकों के मध्य हुए विवाद के सम्बन्ध में था । पक्षों में हुए समझौते के अनुसार अवशेष ६ श्रमिकों में से केवल एक श्रमिक को आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है । अन्य ५ श्रमिकों को अभी तक कोई भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्रमिक प्रतिनिधि को सलाह दी गई कि धन की वसूली हेतु श्रमिकों के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जायं किन्तु श्रमिकों के प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुए ।

प्रार्थना-पत्रों के अभाव में श्रम विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलिया, जिला खीरी, के डा० रतन सिंह का स्थानान्तरण और अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

*२८--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पलिया के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी कितने वर्षों से उक्त केन्द्र में ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

डा० रतन सिंह दिनांक ६ जुलाई, १९७१ से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पलिया जनपद खीरी में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। श्री सिंह वहां से अब स्थानान्तरित हो गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*२९--श्री श्रीनारायण--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी के स्वास्थ्य केन्द्र पलिया में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे हैं जो पांच वर्षों से अधिक काल से उक्त केन्द्र पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार उनको स्थानान्तरण किसी अन्य जनपद में करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

इस स्वास्थ्य केन्द्र पर इस समय ऐसा कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है जो वहां पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो। इस केन्द्र पर ११ कर्मचारी ऐसे हैं जो वहां पांच वर्ष से अधिक समय से हैं। इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य जनपदों में करने का कोई प्रस्ताव अभी नहीं है क्योंकि ये अल्प वेतन भोगी कर्मचारी शासन की वर्तमान निर्धारित स्थानान्तरण की नीति के अन्तर्गत नहीं आते।

देवरिया जिले के विकास खंड, विशुनपुरा में पेयजल योजना की मांग एवं घेघा रोग से प्रभावित बच्चे

*३०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार की जानकारी है कि देवरिया जनपद के विशुनपुरा विकास खंड में ९५ प्रतिशत गांवों में पेयजल के अभाव में दूषित जल के कारण वर्ष १९७७ में पैदा हुए शिशुओं में ९९ प्रतिशत घेघा रोग से ग्रस्त हैं ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विकास खंड में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु शीघ्र सर्वेक्षण कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

देवरिया जनपद के विकास खंड, विशुनपुरा में ९५ प्रतिशत गांवों में पेयजल का अभाव नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार इस विकास खंड में कुल निजी ६३० पेयजल कूप व २,७१७ हैन्ड पम्प उपलब्ध है। वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार २४ नए कुएं व ५०० हैन्ड पम्प की और बनाने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र विशुनपुरा (विकास खंड विशुनपुरा) के अन्तर्गत सर्वेक्षण के उपरान्त यह ज्ञात हुआ कि वहां पर अप्रैल, १९७७ से मार्च, १९७८ तक की सूचना के अनुसार खेचा रोगियों की संख्या ५३६ है जबकि १९७१ की जनगणना के अनुसार जनसंख्या ९११५३ है ।

*३१—श्री शिव प्रसाद—

[देरे गुरुवार के लिए स्थगित] ।

गढ़ जिले के ग्राम भिटिया जगनपुर के श्री राम भवन यादव द्वारा बिजली की चोरी

*३२—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत विद्युत् वितरण खंड मऊ के अधिशाशी अभियन्ता ने ११ अप्रैल, १९७८ को भिटिया जगनपुर में छापामार कर चोरी पकड़ी थी जिसके बारे में दिनांक २१ मई, १९७८ को बृजबिहारी मल जनता पार्टी मधुबन ने आपकी सेवा में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड, मऊ (जनपद आजमगढ़) ने दिनांक ११-४-७८ को आकस्मिक छापामार कर ग्राम भिटिया जगनपुर में श्री राम भवन यादव द्वारा अपने १० अश्व शक्ति के पावर कनेक्शन का स्थायीरूप से विच्छेद करा लेने के उपरान्त भी विद्युत् की चोरी से उपभोग करते हुए पकड़ा था । इस सम्बन्ध में श्री बृज बिहारी मल, जनता पार्टी, मधुबन का दिनांक २१-५-७८ को पत्र भी प्राप्त हुआ था ।

बिजली की चोरी पकड़ने के पश्चात् उपभोक्ता का अवैध कनेक्शन काट दिया गया और उसके ऊपर चोरी से विद्युत् उपभोग करने का असेसमेन्ट बिल ५,८५९·३४ रु० भुगतान हेतु भेज दिया गया । इस धनराशि की वसूली के लिए ड्यूज-रिकवरी ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

*३३—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा एक प्रार्थना-पत्र जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद में एक जनाना अस्पताल बनाने के लिए दिया गया है तथा दिनांक १६ नवम्बर, १९७७ को जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर निदेशक स्वास्थ्य की सेवा में भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

महिला अस्पताल हेतु तथा महिला डाक्टर एवं स्टाफ के आवास हेतु उपयुक्त भवनों के उपलब्ध न होने के कारण अब तक मामले में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम रखानिमपुर में बिजली के शार्ट सार्किटिंग से अग्निकांड

*३४--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में १ अप्रैल, १९७८ को ट्रान्सफार्मर के तार में आग लग जाने से भीषण अग्निकांड हो गया ? क्या इसमें ५०-६० हजार का गेहूं जल गया ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

प्रश्नगत ग्राम में अग्निकांड ट्रांसफार्मर के तार में आग लगने के कारण नहीं हुआ। यह दुर्घटना उसी ग्राम के एक उपभोक्ता (जिसकी बिजली काट दी गई थी) द्वारा अनधिकृत लाइन खींच कर बिजली का प्रयोग करने के कारण तार की शार्ट-सर्किटिंग द्वारा हुई।

इसकी सही जानकारी राजस्व अधिकारियों से ही प्राप्त की जा सकती है। घटना की जांच क्षेत्रीय अधिकारियों से कराई गई जिसमें उसी ग्राम के एक उपभोक्ता को अनधिकृत लाइन खींच कर बिजली का प्रयोग करने के कारण अग्निकांड के लिए दोषी पाया गया।

*३५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[२०-४-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ४७ द्वारा उत्तरित]।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*३६--श्री मंन्जूर अली खां (जिला रामपुर)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी सी० एम० ओ० रामपुर डा० बी० आर० भटनागर का स्थानान्तरण शिकायत के आधार पर दिनांक २६ जून, १९७६ को पांच वर्ष पूरे होने के पश्चात् जनपद मथुरा को किया गया था। यदि हां, तो दुबारा उन्हें अगस्त सन् १९७७ में रामपुर जनपद में तैनात किए जाने के क्या कारण हैं। क्या इस सम्बन्ध में जनपद रामपुर के समस्त विधायकों तथा विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा दिनांक ३१ अगस्त, १९७७ व २९ सितम्बर, १९७७ के पत्र एवं प्रश्नकर्ता का दिनांक ३ जून, १९७८ का प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

डा० बी० आर० भटनागर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर का स्थानान्तरण जून, १९७६ में प्रशासकीय आधार पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा के पद पर किया गया था। उनकी पत्नी रामपुर में ही सरकारी सेवा में कार्यरत थीं। अतः पति पत्नी को एक ही स्थान पर तैनात किए जाने की शासन की नीति को ध्यान में रखते हुए डा० भटनागर का स्थानान्तरण अगस्त, १९७७ में पुनः रामपुर किया गया था। रामपुर के ५ विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र दिनांक ३१-८-७७ जो स्वास्थ्य निदेशालय में २९-९-७७, को प्राप्त हुआ तथा माननीय विधायक श्री मन्जूर अली खां के पत्र दिनांक ७-६-७८ पर सम्यकरूप से विचार करने के पश्चात् डा० भटनागर का स्थानान्तरण जून, १९७८ में रामपुर से बागला सिविल अस्पताल, हाथरस, अलीगढ़ में अधीक्षक के पद पर कर दिया गया है।

देवरिया जिले की माहेश्वरी खेतान शुगर मिल, के श्रमिकों की अवशेष ग्रेच्युटी

*३७—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि माहेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला (देवरिया) के १२८ श्रमिक अक्तूबर, १९७७ में रिटायर कर दिए गए किन्तु आज तक उनका अनुग्रह धन (ग्रेच्युटी) उन्हें प्राप्त नहीं हुआ ? जिससे उनके सामने गम्भीर आर्थिक संकट है ? यदि हां, तो उन्हें तत्काल अनुग्रह धन दिलाकर श्रम कानून की अवज्ञा करने वाले मिल प्रबन्धक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां। माह अक्तूबर, १९७७ में एक सौ सत्ताइस श्रमिक सेवामुक्त हुए जिनकी ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है। श्रमिकों को सलाह दे दी गई है कि उक्त धनराशि को भूराजस्व के रूप में वसूल किए जाने हेतु नियंत्रण अधिकारी को प्रार्थना-पत्र भेजे। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

*३८—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[२७-४-०८ को तारांकित प्रश्न संख्या १४ द्वारा उत्तरित]।

*३९—श्री रवीन्द्र सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त],

*४०—श्री देव बहादुर सिंह—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या, ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

बिरला पावर हाउस, रेणुसागर, साहूपुरी, तथा मोदीनगर स्थित विद्युत् गृहों पर बकाया

*५१—श्री फजलुर्रहमान अंसारी (जिला बहराइच)—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिरला का पावर हाउस रेणुसागर, मिर्जापुर साहूजैन का, साहूपुरी एवं मोदी का मोदीनगर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं और उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी एव कोल सरचार्ज का १० करोड़ रुपये का बकाया है और उसकी वसूली हेतु अब तक सरकार ने या विद्युत् परिषद् ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बिरला का पावर हाउस रेणुसागर, मिर्जापुर में दिनांक १६ सितम्बर, १९६७ से, साहू जैन का साहूपुरी में, दिनांक १८ जनवरी, १९७१ से एवं मोदी का मोदी नगर में जनवरी १९७१ से कार्य कर रहे हैं। साहूपुरी तथा मोदी नगर पावर हाउसेस से जनित एनर्जी पर विद्युत् कर की कोई धनराशि बकाये में नहीं है। बिरला के पावर हाउस से एल्यूमीनियम उत्पादन में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपभुक्त होने वाली शक्ति पर विद्युत् कर चार्ज न किये जाने की हिन्डालको की प्रार्थना को शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने पर उनके द्वारा दायर की गई रिट-पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णयानुसार उनकी विद्युत् कर से छूट

की प्रार्थना पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है और यदि विचारोपरान्त यह पाया जाता है तो देय विद्युत् कर की धनराशि की वसूलयाबी के सम्बन्ध में कार्यवाही अविलम्ब की जायेगी ।

उपरोक्त उद्योगपतियों के पावर हाउसेज से उत्पादित बिजली के उपभोग पर कोई कोल सरचार्ज अब तक नहीं लिया गया है । कोल सरचार्ज के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है ।

*४२--श्री सुखपाल पाण्डेय--

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

नगर महापालिका, लखनऊ के सार्वजनिक नलों से लिये गये जल के नमूनों की जांच

*४३--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अप्रैल-मई, १९७८ में लखनऊ नगर महापालिका में सड़कों पर लगे हुए विभिन्न नलों द्वारा पानी के नमूने लिए गए और जब जांच की गई तो पानी दूषित पाया गया ? यदि हां, तो इस दूषित पानी का वितरण करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

लखनऊ नगर में सड़कों पर लगे हुए सार्वजनिक नलों से माह अप्रैल व मई, १९७८ में नगर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग व जलकल विभाग द्वारा जो जल के नमूने लिए गए वे प्रथम परीक्षण में अथवा दूसरे परीक्षण में राज्य स्वास्थ्य संस्थान द्वारा संतोषजनक पाये गए। अतः नियमानुसार नगर में जो जल जलकल विभाग द्वारा वितरित किया जा रहा है, वह स्वच्छ एवं उच्चस्तर का है तथा सर्वथा पीने योग्य है ।

*४४--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

*४५--श्री अठई राम--

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

परिवार कल्याण विभाग के प्रसार शिक्षकों की वरिष्ठता सूची एवं स्थायीकरण की मांग

*४६--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण विभाग में कितने प्रसार शिक्षक ऐसे हैं जिनको न तो आज तक स्थायी किया गया है और न उन लोगों की आज तक कोई सीनियारिटी की लिस्ट ही बन पाई है ? क्या यह सही है कि परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत प्रसार शिक्षक कर्मचारीगण १५ साल से विभाग में सेवा करते चले आ रहे ह ?

श्री कल्याण सिंह—

परिवार कल्याण विभाग में १११० प्रसार शिक्षक कार्यरत हैं जिनकी वरिष्ठता सूची बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रसार शिक्षकों के पदों को परिवार कल्याण विभाग में अन्य अस्थायी पदों के साथ स्थायी किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

वर्ष १९६५ में प्रसार शिक्षकों के पदों का सृजन हुआ था तबसे ये उक्त पद पर कार्यरत हैं।

विद्युत् वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के मानचित्रक, श्री सुरेश नारायण सिंह का नसबन्दी के सम्बन्ध में निलम्बन आदेश

*४७—श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेश नारायण सिंह, मानचित्रक, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खन्ड, सुल्तानपुर को नसबन्दी न कराने के अपराध में उक्त अधिकारी के पत्रांक ८६१५/ई०डी०डी०एस०/पी०एफ०, दिनांक ३० सितम्बर, १९७६ द्वारा निलम्बित एवं पत्रांक ८६१५/वि०वि० खन्ड सु०, दिनांक ३० सितम्बर, १९७६ को ही कार्य मुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त आदेश के आज तक वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। श्री सुरेश नारायण सिंह को यह पत्र दिये गए थे परन्तु उनके निलम्बन के आदेश को कार्यान्वित नहीं किया गया, अतएव उक्त आदेश का अब कोई महत्व नहीं रह गया है।

अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत्) फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इम्प्लाइज यूनियन का क्रमिक अनशन

*४८—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत्) फैजाबाद, (श्री कुरैशी) के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हाईडिल इम्प्लाइज यूनियन फैजाबाद, ने जो मिथ्या अनशन आरम्भ किया है दिनांक ३० अप्रैल, १९७८ तक कितने मजदूर जल जा चुके हैं तथा हाइडिल इम्प्लाइज यूनियन के श्री कुरैशी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कौन-कौन से आरोप हैं ? क्या उन आरोपों की जांच करायी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत्), फैजाबाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हाइडिल इम्प्लाइज यूनियन, फैजाबाद ने कोई क्रमिक अनशन नहीं किया परन्तु अपनी कुछ अन्य मांगों को लेकर इन लोगों ने फैजाबाद मन्डल कार्यालय पर दिनांक १० जनवरी, १९७८ से अवश्य क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया था परन्तु दिनांक १७ जनवरी, १९७८ को इसे स्वतः ही समाप्त कर दिया। दिनांक ५ अप्रल, १९७८ से इन लोगों ने पुनः एक उग्र आन्दोलन प्रारम्भ किया और मन्डल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे। फलस्वरूप दिनांक ५ से १२ अप्रैल, १९७८ तक ८७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच समझौता हो जाने के कारण आन्दोलन वापस ले लिया गया और दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को सभी व्यक्ति जेल से रिहा कर दिये गये।

इलाहाबाद जिले के ग्राम सेमरा बृजभानपुर के श्री हीरा लाल की नसबन्दी के फलस्वरूप कथित मृत्यु एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता दिय जाने की मांग

*४९—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में ब्लाक मऊ आइमा के अन्तर्गत गांव सेमरा बृजभानपुर से श्री हीरा लाल पुत्र झगड़ की मृत्यु नसबन्दी के कारण मार्च, १९७७ में हो गई जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी इलाहाबाद द्वारा माह सितम्बर, १९७७ को शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और मृतक के परिवार को कितना धन शासन ने अनुदान के रूप में स्वीकृत किया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत मामले में जिला अधिकारी द्वारा माह सितम्बर, १९७७ में भेजा गया पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ था । अतः उसकी प्रतिलिपि उनसे मांगी गई थी जो उनके दिनांक १० मई, १९७८ के पत्र द्वारा प्राप्त हुई थी । जिला अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक २० सितम्बर, १९७७ में सूचित किया है कि इस मामले में परगनाधिकारी, सोरांव द्वारा जांच करायी गई । जांच से ज्ञात हुआ कि श्री हीरा लाल ने १३ अक्तूबर, १९७६ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मऊ आइमा पर अपना नसबन्दी आपरेशन कराया था और दिनांक २३ मार्च, १९७७ को उनकी मृत्यु हो गई थी । परगनाधिकारी ने श्री हीरा लाल की मृत्यु का कारण नसबन्दी आपरेशन बताया । श्री हीरा लाल की मृत्यु के बाद उनकी विधवा तथा चार नाबालिग बच्चों की दशा बहुत ही दयनीय बताई गई थी । अतः मृतक के आश्रितों को ५,००० रु० की आर्थिक सहायता दिए जाने की संस्तुति जिला अधिकारी द्वारा की गई थी । जिला अधिकारी ने मृतक के आश्रितों को अनुदान देने की जो संस्तुति की थी उसमें मृत्यु के कारण के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या प्राप्त नहीं की थी । अतः जिलाधिकारी से मुख्य चिकित्सा अधिकारी की आख्या भेजने को कहा गया । तदनुसार अब स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें श्री हीरा लाल की मृत्यु मेनिनजाइटिस के कारण हुई बताई गई है जिसका नसबन्दी आपरेशन के कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः स्वर्गीय श्री हीरा लाल के आश्रितों को नियमानुसार ५,००० रु० की एक्सग्रेसिया का भुगतान नहीं किया जा सकता है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के नेत्र विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*५०—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नेत्र विभाग किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत बजट सत्र १९७८ में सदन में उठाए गए प्रश्नों की जांच कब और किसके द्वारा प्रारम्भ की गई, अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? जांच में विलम्ब का क्या कारण है ? मुख्य शिकायतें कौन-कौन हैं ? क्या भ्रष्टाचार से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही की गई है ?

श्री कल्याण सिंह—

नियम ३०१ के अन्तर्गत माननीय प्रश्नकर्त्ता से प्राप्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित मुख्य शिकायतें निम्नवत् हैं :—

(१) नेत्र विभाग ने दीपक सेल्स सेन्डीकेट नामक बोनस फर्म से लाखों रुपये का सामान क्रय किया है ।

(२) नेत्र विभाग में आपरेशन थियेटर के वातानुकूलन हेतु शासन को धोखा देकर दो बार अनुदान लिया गया है और डाक्टरों के कमरों आदि को वातानूकूलित किया गया है ।

(३) वातानुकूलन के लिए टेन्डर ऐसी फर्म को दिये गए जो दूसरों की अपेक्षा एक लाख रुपया अधिक चाहती थी । महालेखा परीक्षक, इलाहाबाद की आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(४) नेत्र विभाग में अनुदान का उपयोग सालों तक नहीं होता है और शासन को झूठी सूचनायें देकर समय बढ़वाया जाता है ।

(५) नेत्र विभाग रायल कामन वेल्थ सोसायटी इंगलैन्ड से जाली चिकित्सा शिविर दिखाकर और झूठे केस बनाकर एक लम्बी रकम सहायता के रूप में लेता है और उस धन को बिना उच्चाधिकारियों के स्वीकृति के दुरुपयोग करता है ।

(६) नेत्र विभाग में सीतापुर, नेत्र चिकित्सालय का एक प्रधान कार्यालय खोला गया है जो सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की चौबन शाखाओं की देखरेख करने के लिए बनाया गया था लेकिन देखरेख तो दूर रहा इस कार्यालय में उक्त शाखाओं के लिए प्राप्त धन का खुले रूप से दुरुपयोग होता है ।

(७) नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष जो सीतापुर नेत्र, चिकित्सालय के सचिव और नेहरू संस्थान आफ थलमालोजी के निदेशक हैं, के व्यवहार और काम से उनके विभाग में भयंकर उत्पीड़न और भ्रष्टाचार फैल गया है ।

इस सम्बन्ध में कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय से जांच रिपोर्ट मांगी गई है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

नगरपालिका बांदा की बैठक में पारित प्रस्ताव में बरती गई अनियमितता

*५१—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका बांदा की बैठक दिनांक १८ अप्रैल, १९७७ प्रस्ताव संख्या ४४ (१२) द्वारा पारित अस्थाई प्रस्ताव का 'अ' शब्द काट दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि पालिका में दिनांक २६ अप्रैल, १९७७ को टाइप की गई तथा उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी बांदा को पालिका के पत्र संख्य ५०१, दिनांक २ जून, १९७७ को भेजी गई जिसमें पहले अस्थायी शब्द टाइप किया गया है और बाद में दूसरी स्याही से 'अ' को काटा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की जांच गुप्तचर या सतर्कता विभाग से करायेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका, बांदा के खजांची के वेतन भुगतान में बरती गयी अनियमितता

*५२—श्री देव कुमार—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि नगरपालिका, बांदा में माह अक्तूबर, १९७५ से जून, १९७६ तक खजांची पद का वेतन दो कर्मचारियों को दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि का वेतन ४ अक्तूबर, १९७५ को सेवा समाप्त किए गए किसी खजांची को भी दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में तथा किस नियमानुसार ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला अस्पताल उत्तरकाशी में एम० एस० डाक्टर की नियुक्ति एवं एक्सरे प्लान्ट

*५३—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द' (जिला उत्तरकाशी)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जिला अस्पताल में एक एम० एस० डाक्टर के न होने के क्या कारण है ? साथ ही यह भी बताने की कृपा करेंगे कि टी० बी० वार्ड को गौशाला बनाने तथा एक्सरे प्लान्ट का हमेशा खराब रहने एवं जिला अस्पताल में हमेशा दवाइयों के न रहने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला अस्पताल, उत्तरकाशी में अब एक एम० एस० डाक्टर की तैनाती कर दी गई है ।

इस अस्पताल के टी० बी० वार्ड को गौशाला नहीं बनाया गया है ।

एक्सरे प्लांट दिसम्बर, १९७७ में खराब हो गया था, जिसे ठीक करा लिया गया है ।

उक्त अस्पताल में दवाओं की कमी नहीं है ।

उत्तरकाशी जिले के राजगढ़ी व मनेरी के अस्पतालों का स्थानान्तरण

*५४—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द'—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि प्रश्नकर्ता ने जिला उत्तरकाशी के राजगढ़ी तथा मनेरी में स्थित आयुर्वेदिक औषधालयों को क्रमशः गंगताड़ी तथा गोराताली में स्थानान्तरित करने हेतु वर्ष १९७७-७८ में अनेकों पत्र लिखें ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां ।

दिनांक १ जुलाई, १९७८ को शासन द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं परन्तु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, टिहरी-गढ़वाल ने सूचित किया है कि गंगताड़ी तथा गोरखाली में उपयुक्त भवन उपलब्ध न हो सकने के कारण अभी तक इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका है ।

*५५—श्री इन्द्रमणि बड़ौनी—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ के डिनेचर्ड स्प्रिट के लाइसेंसदारों से लाइसेंस शुल्क की वसूली की कथित कार्यवाही

*५६—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या आबकारी मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ स्थित डिनेचर्ड स्प्रिट के लाइसेन्सदारों से पिछले उन वर्षों की फीस वसूलने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिन वर्षों में लाइसेन्सदारों ने बिल्कुल ही डिनेचर्ड स्प्रिट नहीं लिया ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं । केवल वर्ष १९७४–७५ में दो अनुज्ञापियों ने कोटा नहीं उठाया था किन्तु उन्होंने भी न्यूनतम अनुज्ञापन शुल्क जमा कर दिया था । अतः अनुज्ञापियों से अनुज्ञापन शुल्क वसूल किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*५७—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या आबकारी मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन वर्षों में डिनेचर्ड स्प्रिट लाइसेंसदारों ने बिल्कुल ही डिनेचर्ड स्प्रिट नहीं उठाया उन वर्षों की फीस वसूलने के लिए सीधे डिनेचर्ड स्प्रिट लाइसेन्सदारों को पत्र न लिखकर तहसील के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

लखनऊ जनपद में किसी ऐसे अनुज्ञापी से तहसील के माध्यम से अनुज्ञापन शुल्क वसूल किये जाने की कार्यवाही नहीं की गयी है जिसने बिल्कुल ही डिनेचर्ड स्प्रिट न उठाया हो ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा का गायब किया गया रा–मैटिरियल रजिस्टर

*५८—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा के स्टोर से रा–मैटेरियल रजिस्टर नं० ३, वाल्यूम बर्ड होर्ड वियर सन् १९७७ से गायब है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? उसको पाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा के स्टोर से वर्ष १९७७ में नहीं, बल्कि वर्ष १९७५ में रा–मैटीरियल रजिस्टर नं० ३, वाल्यूम ३ गायब हुआ था । यह रजिस्टर संस्थान के कर्मचारियों की असावधानी के कारण गायब हुआ । खोज करने पर रजिस्टर जब न मिल सका तब प्रधानाचार्य द्वारा डुप्लीकेट रजिस्टर बनवा दिया गया ।

मुख्यालय, जल निगम, लखनऊ में कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति

*५९—श्री राम बक्स (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्तियां १ जनवरी, १९७७

के बाद की गयीं ? क्या सरकार तदर्थ नियुक्ति न करने सम्बन्धी १८ अप्रैल, १९७८ के जी० ओ० के अनुसार उपरोक्त बगैर सेवायोजन कार्यालय के हुई नियुक्तियों को तुरन्त निरस्त कर नियमित नियुक्तियां करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में १ जनवरी, १९७७ के बाद तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की ३४ तदर्थ नियुक्तियां की गईं । इनको नियमित करने का मामला जल निगम के विचाराधीन है ।

नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ की उन्नति हेतु किये गये कार्य

*६०—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि नेशनल होमियो मेडिकल कालेज, लखनऊ राजकीय डिग्री कालेज है ? यदि हां, तो कब से ? सरकार ने उसकी उन्नति के लिए क्या-क्या परिवर्तन, परिवर्धन-भवन, अस्पताल एवं अध्यापन के सम्बन्ध में किये हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ दिनांक १ मार्च, १९६८ से राजकीय डिग्री कालेज के रूप में चल रहा है । इस कालेज के अध्यापन कार्य हेतु नये पदों का सृजन तथा अस्पताल के लिये अतिरिक्त साज-सज्जा का प्रबन्ध किया गया है । यह कालेज एक किराये के भवन में है । अतः इसके भवन में कोई परिवर्तन एवं परिवर्धन अभी तक नहीं किया जा सका है ।

भूतपूर्व जिला सेवायोजन अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*६१—श्री बदन सिंह—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला रोजगार अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध सन् १९७७ में भ्रष्टाचार के आरोप सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गयी और जांच के आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां, श्री अर्जुन सिंह दोहरे, तत्कालीन जिला सेवायोजन अधिकारी, मथुरा के विरुद्ध १९७७ में भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुयी थीं । उन पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कराई गयी । जांच के फलस्वरूप भ्रष्टाचार से सम्बन्धित ९ आरोप निराधार पाये गये एवं एक आरोप के विषय में अभी जांच चल रही है ।

फैजाबाद जिले में हार्टसेन्टर व इन्टेंसिव कारोनरी केयर यूनिट का भवन

*६२—श्री मित्रसेन—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में स्थापित होने वाले कारोनरी केन्द्र का भवन तैयार हो जाने के बाद भी केन्द्र में चिकित्सा काय आरम्भ होने में विलम्ब क्यों हो रहा है ? क्या यह सही है कि केन्द्र के लिए आवश्यक उपकरणों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी है ?

श्री कल्याण सिंह—

जनपद—फैजाबाद में स्थापित होने वाले हार्ट सेन्टर तथा इन्टेन्सिव कारोनरी केयर यूनिट का भवन अभी पूर्णतया तैयार नहीं हुआ है। विद्युतीकरण का कार्य अभी हो रहा है। उक्त यूनिट के लिए आवश्यक उपकरण तथा स्टाफ की स्वीकृति राजाज्ञा दिनांक १४ अगस्त, १९७८ द्वारा दी जा चुकी है और इसकी व्यवस्था अब शीघ्र ही हो जायगी।

नोटीफाइड एरिया भिनगा, जिला बहराइच में रोस्टरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली की आपूर्ति

*६३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या विद्युत् मंन्त्री कृपया बतायेंगे कि नोटीफाइड एरिया भिनगा, जिला बहराइच को बिजली रोस्टरिंग से दी जाती है ? यदि हां, तो क्या रोस्टरिंग की सूची से भिनगा का नाम काटकर नानपारा, जिला बहराइच की भांति बिजली उपलब्ध कराने हेतु जून, १९७८ अथवा उसके आस-पास बहराइच के कई विधायकों का प्रार्थना-पत्र माननीय विद्युत् मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो भिनगा नोटीफाइड एरिया को रोस्टरिंग सूची से अलग करके कब तक बिजली पूर्णकालिक उपलब्ध करा दी जायेगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हां, यदि उस समय कोई रोस्टरिंग कार्यक्रम लागू हो।

माननीय विधायक महोदय का एक पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ था।

ऐसा निकट भविष्य में संभव नहीं है।

क्योंकि पूरे प्रदेश में एक समान रोस्टरिंग नीति अपनाई जाती है।

श्री विष्णु सहाय श्रीवास्तव, भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, जी० डी० अस्पताल, हरिद्वार का भवन

*६४—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी है कि जी० डी० अस्पताल हरिद्वार, जिला सहारनपुर के मेडिकल आफिसर (श्री विष्णु सहाय श्रीवास्तव), जो दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७२ को सेवा निवृत्त हो गए हैं, अवधि समाप्त होने पर भी सरकारी भवन खाली नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? भवन खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कब की जाएगी ?

श्री कल्याण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार डा० विष्णु सहाय श्रीवास्तव, भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी, जी० डी० अस्पताल, हरिद्वार जिला सहारनपुर ने दिनांक ८-७-१९७८ को सरकारी आवास खाली कर दिया है। इस आवास को खाली करने के लिए उन्हें बार-बार लिखा गया था तथा बाद में जिलाधिकारी को इस मामले में आवश्यक कार्यवाई करने के निर्देश दिये गये।

*६५--श्री श्याम दत्त पालीवाल--

[३रे गुरुवार के लिये स्थगित]

*६६--श्री ओंकार नाथ द्विवेदी--

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित]

*६७--श्री श्रीनारायण--

[३रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६८--श्री मित्रसेन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

रायबरेली जिले के ग्राम इन्होंना से प्राप्त विद्युत् कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

*६९--श्री रियासत हुसैन--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम इन्होंना, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली के किन-किन व्यक्तियों के डोमेस्टिक परपज हेतु विद्युत् कनेक्शन के लिए आवेदन-पत्र २५ रुपये शुल्क के साथ १५ जुलाई, १९७७ से १५ अप्रैल, १९७८ तक की अवधि के बिना समुचित कार्यवाही के पड़े हैं? उनको अब तक विद्युत् कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं तथा कनेक्शन कब तक के दिये जायेंगे?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

ग्राम इन्होंना, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली के किसी भी व्यक्ति को डोमेस्टिक परपज हेतु कनेक्शन के लिए १५ जुलाई, १९७७ से १५ अप्रैल, १९७८ तक की अवधि में २५ रु० के साथ आये हुये आवेदन पत्र बिना समुचित कार्यवाही के नहीं पड़ा हुआ है।

इस अवधि में तीन व्यक्तियों ने डोमेस्टिक परपज हेतु कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र २५ रुपया शुल्क के साथ दिये थे। तीनों व्यक्तियों को कनेक्शन स्वीकृत कर दिये गये और एक व्यक्ति को जिसने औपचारिकतायें पूर्ण कर दी, कनेक्शन दे दिया गया। शेष दो व्यक्तियों ने अभी तक सर्विस कनेक्शन चार्ज तथा जमानत की धनराशि जमा नहीं किया इस कारण उनको कनेक्शन नहीं दिये गये। सर्विस कनेक्शन चार्ज व सिक्योरिटी जमा करने पर तथा अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने पर इन व्यक्तियों को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्गों का कथित एकीकरण एवं पारस्परिक ज्येष्ठता

*७०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९७३ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्गों के एकीकरण के बाद पारस्परिक ज्येष्ठता हेतु शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशकों के पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवर्गों का एकीकरण नहीं हुआ और न पारस्परिक ज्येष्ठता हेतु शासन द्वारा कोई निर्णय लिया गया । अतः अतिरिक्त निदेशकों के पदों पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में उसका अनुपालन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स, हरिद्वार द्वारा निर्मित टरबाइन्स द्वारा उत्पादित बिजली

*७१—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत हैवी एलेक्ट्रिकल्स (बी० एच० ई० एल०) हरिद्वार द्वारा बनाई गई टरबाइन्स कितनी लगी है और इनके द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन खर्च कितना है तथा पुरानी ३० एम० डब्ल्यू० की छोटी टरबाइनों द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन खर्च कितना है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में भारत हैवी इलेक्ट्रिकिल्स हरिद्वार द्वारा निर्मित निम्नलिखित (सात) टरबाइनें चालू है :—

(१) ओबरा तापीय विस्तार प्रथम चरण में १००–१०० मेगावाट की तीन इकाइयां ।

(२) ओबरा तापीय विस्तार द्वितीय चरण में २०० मेगावाट की पहली इकाई ।

(३) यमुना जल विद्युत् चतुर्थ चरण कुलहल में १०–१० मेगावाट की तीन इकाइयां ।

उपरोक्त इकाईयों द्वारा उत्पादित बिजली का औसत उत्पादन खर्च (वित्तीय वर्ष १९७७–७८) में निम्नलिखित रहा :

विद्युत् गृह	इकाईयों की क्षमता	प्रतियूनिट लागत	टिप्पणी
ओबरा तापीय 'अ'	३ × १००	१५·१४	यह इकाई मार्च, ७८ में वाणिज्यिक भार पर ली गई है ।
ओबरा तापीय 'ब'	१ × २००	..	
कुलहल विद्युत् गृह	३ × १०	८·६७	

प्रदेश में हरदुआगंज 'अ' तापीय विद्युत् गृह (३ × ३० मे० वा०) में स्थापित ३० मेगावाट की छोटी टरबाईनों द्वारा उत्पादित बिजली का उत्पादन खर्च वर्ष १९७७–७८ में १८·८५ पैसा प्रति यूनिट रहा ।

*७२—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[३रे गुरुवार के लिए स्थगित]

हरदोई जिले के कस्बा साण्डी के श्री शिव नारायन की विद्युत् घात से मृत्यु एवं आश्रितों का अनुग्रह भुगतान

*७३—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा साण्डी निवासी, श्री शिवनरायन तेली की मृत्यु २५ सितम्बर, १९७७ को ११००० कि० वा० के टूटे हुए तारों से टकराकर हुई थी ? जिसके सिलसिले में मई, १९७८ में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना–पत्र मृतक की पत्नी द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री शिव नारायन, कस्बा साण्डी, जनपद हरदोई की मृत्यु ११००० वोल्ट की बिजली की लाइन के टूटे हुये जीवन्त तार के सम्पर्क में आने से दिनांक २५–१०–७७ को हुई थी न कि दिनांक २५–९–१९७७ को ।

प्रश्न कर्ता द्वारा अग्रसारित, प्रार्थना पत्र राज्य विद्युत परिषद् में प्राप्त हुआ था । मृतक के वैधानिक आश्रितों को भुगतान हेतु पांच हजार रुपये की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में परिषद् द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

फिरोजाबाद में जल निकासी का कार्य

*७४—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के क्षेत्र चन्दवार गेट, राम नगर, श्याम नगर, आजाद नगर में वर्षा का पानी भर जाने से चन्दवार गेट के रेल के पुल के नीचे जमुना रोड पर पानी भर जाता है और सड़क रुक जाती है ? यदि हां, तो उस गन्दे पानी को निकालने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां ।

वर्षा के जमा पानी को नगरपालिका द्वारा बार–बार पम्पिंग सेट की ट्राली लगाकर बाहर फेंक दिया जाता है ।

लखनऊ के जिला प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण के सम्बन्ध में शिकायती–पत्र

*७५—श्री गुलाब सेहरा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस आशय की जानकारी है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग मुख्य चिकित्साधिकारी, स्थानीय

स्वास्थ्य प्राधिकारी, लखनऊ द्वारा स्वयं न वहन करके जिला प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से पिछले एक साल से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत शासन द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकारी घोषित किया गया है। इसके अनुसार मुख्य चिकित्सा लखनऊ अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन स्वयं करते हैं। प्रश्नगत प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्त्तव्यानुसार उन्हें सहयोग देते हैं।

प्रशासनिक अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में सहायक खाद्य एवं संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा जांच कराई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोप निराधार पाये गये।

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन जिला प्रशासनिक अधिकारी की लखनऊ में नियुक्ति

*७६--श्री गुलाब सेहरा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रशासनिक अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के अधीन कार्यरत हैं, पिछले कई वर्षों तक लखनऊ जनपद में ही सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर कार्यरत थे, उनकी सेवा पुस्तिका में स्थायी पता लखनऊ का ही अंकित होने पर भी शासन द्वारा उनकी प्रोन्नति उपरान्त लखनऊ में ही निदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा १९७६ में नियुक्ति कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन कार्यरत वर्तमान प्रशासनिक अधिकारी दिनांक ८-५-७३ से ३१-५-१९७६ तक लखनऊ जनपद में सेनेटरी इंसपेक्टर के पद पर कार्यरत थे और तदोपरान्त १-६-७६ को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किये गये।

सेवा-पुस्तिका में इनका निवास लखनऊ लिखा गया है तथा इनके पिता का भी निवास लखनऊ लिखा गया है। परन्तु लोक सेवा आयोग को प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु दिये गये आवेदन पत्र में इनका स्थायी पता जनपद सीतापुर लिखा गया है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा इनकी नियुक्ति लखनऊ में किन परिस्थितियों में की गई इसकी छानबीन करायी जा रही है।

डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक तथा फुटकर बिक्री मूल्य का निर्धारण

*७७--श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)--

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस समय डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक विक्रेता को किस दर से डिनेचर्ड स्प्रिट उपलब्ध कराई जाती है और उपभोक्ता को कितने प्रतिशत लाभ लेकर फुटकर विक्रेता देते हैं ? क्या इस सम्बन्ध में शासन की ओर से दर निर्धारित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

डिनेचर्ड स्प्रिट की थोक तथा फुटकर बिक्री की दरों पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। अलग-अलग स्थानों में चुंगी, यातायात पर व्यय आदि में विभिन्नता के कारण समानरूप से थोक तथा फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

शराब की बिक्री दर पर शासन का कथित नियंत्रण

*७८--श्री राजपति मिश्र--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शराब की बिक्री दर पर शासन का कोई नियंत्रण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

शराब की बिक्री दर पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि प्रदेश की देशी तथा विदेशी मदिरा की दुकानों को नीलाम प्रणाली के अन्तर्गत तय किया जाता है और प्राप्त बोली का अधिकार सम्भावित बिक्री पर बांटने के उपरान्त अनुज्ञापी द्वारा बिक्री की दर निश्चित की जाती है।

मेसर्स हिन्डालको पर बकाया विद्युत् की धनराशि

*७९--श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्डालको पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड या सरकार का बिजली सम्बन्धी कितना पैसा इस समय बकाया है ? सरकार ने पैसों की वसूलयाबी के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मेसर्स हिन्डालको पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड का मास जुलाई, १९७८ की समाप्ति तक १,९४,६६,५३३·५४ रु० बिजली सम्बन्धी बकाया है। इस धनराशि में से १,८३,१४,४३४·७९ रु० ८५ मेगावाट की मुख्य सप्लाई पर ओबरा कोयला अधिभार से सम्बन्धित है जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है और इसकी वसूली केन्द्र सरकार के निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्भव है। शेष ११,५२,०९८·७५ रु० की धनराशि विवादग्रस्त है और इसकी वसूली की कार्यवाही विवाद हल हो जाने के पश्चात् की जायेगी।

जहां तक हिन्डालको पर शासन के बकाए का प्रश्न है यह धन अप्रैल, १९७८ तक रेनुसागर पावर हाउस में सम्भरित ऊर्जा पर १ पैसे प्रति यूनिट की दर से ६६३·७१५ लाख रुपए विद्युत् कर के कारण देय होता है। हिन्डालको से विद्युत् सर चार्ज न किए जाने की प्रार्थना से शासन द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने पर उनके द्वारा दायर की गयी रिट पिटीशन पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयानुसार उनको विद्युत् कर से छूट की प्रार्थना पर शासन द्वारा पुनः विचार किया जा रहा है।

मोहन मीकिन, गाजियाबाद के विरुद्ध टैक्स चोरी का आरोप

*८०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि केन्द्रीय कलेक्टर, आबकारी, कानपुर ने चार माह पूर्व मोहन मीकिन, मोहन नगर, गाजियाबाद के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के टैक्स चोरी के करीब एक करोड़ रुपए के घोटाले का मामला प्रकाश में लाया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही किया?

श्री रमा शंकर कौशिक—

यह मामला केन्द्रीय आबकारी विभाग से सम्बन्धित है जिसने इस विषय पर इस विभाग को कोई सूचना नहीं भेजी है।

अतारांकित प्रश्न

राज्य विद्युत् परिषद्, मथुरा के विरुद्ध बिजली के जाली बिल सम्बन्धी शिकायतों—पत्र

१—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद मथुरा के विरुद्ध गत दो वर्षों में मथुरा जनपद के किसानों द्वारा यह शिकायत की गयी कि बिलों में सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपयोग की गयी बिजली से अधिक का बिल बनाते हैं और बाद में किसानों से पैसा लेकर वास्तविक बिल बना देते हैं? क्या ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बिजली का बिल जमा करके भी लेजर में जमा नहीं करते हैं।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मथुरा जिले के किसानों से जाली बिल, बिलों में गड़बड़ी तथा बिल जमा करके भी लेजर में जमा नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी।

मथुरा जिले के करसौरा के श्री कमल सिंह के बिजली का बिल

२—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या यह सही है कि कमल सिंह पुत्र नन्द लाल, निवासी करसोरा, तहसील सादाबाद (मथुरा) का रसीद सं० ६०७२७/४८, दिनांक २४ अक्तूबर, १९७५ से २,४५०·०० रु० जमा किया गया किन्तु उसके मूल बिल ५,२७०·०० रुपए में से कम नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री कमल सिंह पुत्र श्री नन्दलाल निवासी करसौरा, तहसील सादाबाद, मथुरा ने २,४५० रु० रसीद नं० ६०७२७/४८, दिनांक २९—१०—७५ के द्वारा जमा किया था। परन्तु अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खंड मथुरा के खंजाची के द्वारा दी गई रसीद में सर्विस कनेक्शन नं० गलत अंकित करने के कारण जमा की गई धनराशि उपभोक्ता के लेजर एकाउन्ट में अंकित न की जा सकी और मूल बिल ५,२७० रु० में से उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए २,४५० रु० कम नहीं किए जा सके।

उपभोक्ता ने दिनांक १—२—७८ को यह रसीद लेजर में अंकित न किए जाने की शिकायत की एवं पूर्ण छानबीन करके ८—२—७८ को उक्त धनराशि लेजर में अंकित कर दी गई है।

गोरखपुर व बरेली स्थित बल्ली प्लान्ट की बल्लियों का मूल्य व रासायनिक पदार्थ का स्टाक

३—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर व बरेली में स्थित बल्ली प्लान्ट कब से बन्द पड़े है ? उनमें कितने कितने मूल्य की बल्लियां स्टाक में हैं और कितने मूल्य के रासायनिक-पदार्थ स्टाक में हैं ? इन प्लान्टों के बन्द होने के कारणों की जांच सरकार द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बल्ली प्लान्ट, गोरखपुर दिनांक २४-१२-७५ से २९-३-७६ तक, १-४-७६ से ९-२-७७ तक, ९-६-७७ से १६-११-७७ तक तथा २३-११-७७ से २-३-७८ तक बन्द रहा। बल्ली प्लान्ट बरेली १९-९-७६ से २३-५-७७ तक, ४-६-७७ से २४-८-७७ तक तथा ३०-१२-७७ से ६-२-७८ तक बन्द रहा।

गोरखपुर में बल्लियां स्टाक में नहीं है अतः मूल्य का प्रश्न ही नहीं उठता। बरेली में ३,७६९ पूरी बल्लियां तथा १५,२३१ आधी बल्लियां हैं। इन बल्लियों का मूल्य उनकी बिक्री के बाद ज्ञात हो सकेगा।

बरेली में २,८०,००० रु० मूल्य का रासायनिक पदार्थ स्टाक में है, गोरखपुर में ४५,००० रु० मूल्य का रासायनिक पदार्थ स्टाक में है।

सरकार द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बल्लियां ठीक समय पर वन विभाग से प्राप्त न होने के कारण गोरखपुर व बरेली प्लान्ट बन्द किए गए थे।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम बरझाले के श्री नाथूराम व उनके घोड़े की विद्युत अघात से मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान

४—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या विद्युत् मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के तहसील कायमगंज के ग्राम बरझाले के श्री नाथूराम और उनके घोड़े की बिजली की चपेट में दिनांक १२ जून, १९६७ में हुई मृत्यु की सूचना दिनांक २१ जून, १९६८ को चेयरमैन, विद्युत परिषद् को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक १० वर्षों की अवधि बीतने पर भी उसका भुगतान क्यों नहीं किया है ? क्या शासन शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कराने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां।

विद्युत् परिषद् ने वर्ष १९६७ में दुर्घटनाग्रस्त बाहरी व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति किए जाने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित नहीं की थी अतः श्री नाथूराम एवं उनके घोड़े की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी। परिषद् में अब मामले

पर पुनर्विचार करके श्री नाथूराम के आश्रितों को ५,०००·०० रु० (पांच हजार) एवं मृत घोड़े के वैधानिक मालिक/व्यक्ति को ५०० रु० (पांच सौ) क्षतिपूर्ति के रूप में स्वीकृत किया गया है।

५,०००·०० रु० में से १,०००·०० रु० की अन्तरिम क्षतिपूर्ति श्री नाथूराम के आश्रितों तथा ५००·०० रु० घोड़े के वैधानिक मालिक/व्यक्ति को जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को चेक द्वारा वितरण हेतु दिनांक ७-४-७८ को दिया गया है।

४,०००.०० रु० (चार हजार) की अवशेष धनराशि का चेक भी जिलाधिकारी,] फर्रुखाबाद को वितरण हेतु दिनांक १-५-७८ को दे दिया गया है।

राज्य विद्युत् परिषद् के सेवा संघ का ज्ञापन

५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद् अधीनस्थ सेवा संघ, उत्तर प्रदेश का जो ज्ञापन उनकी प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में दिनांक ६ दिसम्बर, १९७७ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें (बिजली मंत्री को) मिला? उसमें मुख्य मांगे क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां। उस पत्र में मुख्य मांग सहायक सुपरवाइजरों को बिना किसी परीक्षा अथवा समीक्षा के अवर अभियन्ता पद पर प्रोन्नति करने की है। इस मांग पर कई बार गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया। सहायक सुपरवाइजर के पद परिचालक वर्ग में आते हैं और इस वर्ग के कर्मचारियों को अवर अभियन्ता वर्ग में प्रोन्नति किए जाने हेतु २५ प्रतिशत का आरक्षण है। अवर अभियन्ता सेवा नियमावली, १९७२ के अनुसार इन सहायक सुपरवाइजरों को बिना नियमित परीक्षा पास किए अवर अभियन्ता पद पर प्रोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका हापुड़ के अधिशासी अधिकारी, श्री विशन चन्द्र गोयल की पदोन्नति

६--श्री रामदत्त जोशी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि हापुड़ नगरपालिका में इस समय नियुक्त अधिशासी अधिकारी विगत ६ माह पूर्व नीचे पद से प्रोन्नत होकर सीधे उच्च श्रेणी की नगरपालिका में किस आधार पर भेजे गए।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

नगरपालिका, हापुड़ में इस समय कार्यरत अधिशासी अधिकारी श्री विशन चन्द्र गोयल को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६ के नए नियम ३१ के अधीन तदर्थ रूप से सहायक नगर अधिकारी, नगर महापालिका, कानपुर के पद पर नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति प्रोन्नति स्वरूप नहीं की गयी थी।

डालीगंज, लखनऊ के श्री सुभाष आनन्द की मीसा में निरुद्धि एवं उनका वेतन

७--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात काल में मीसा निरुद्ध श्री सुभाष आनन्द, निवासी डालीगंज, लखनऊ द्वारा २ जनवरी, १९७८ को अथवा उसके आस-पास कोई इस आशय का पत्र मिला कि उन्हें मीसा निरुद्धी काल का वेतन एवं भत्ता आदि मैं मूलर एण्ड फिप्स (ई०) लखनऊ से दिलाया जाय ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

श्री सुभाष आनन्द, निवासी डालीगंज, लखनऊ का पत्र दिनांक ९ जनवरी, १९७८ प्राप्त हुआ था। जिस अवधि में श्री आनन्द जेल में थे उस अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में सेवायोजकों का कहना है कि श्री आनन्द की गिरफ्तारी में उनका कोई हाथ नहीं था, अतएव वेतन एवं भत्ता आदि भुगतान करने में सेवायोजकों ने असमर्थता प्रकट की है।

८--श्री देव बहादुर सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ का मांग-पत्र

९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ संघ का कोई मांग पत्र फरवरी, १९७८ के दूसरे पखवारे में मिला जिसमें कि उनकी सेवा शर्त आदि बनाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो मांग क्या हैं तथा उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, मांग पत्र में उल्लिखित मांगों तथा उनपर की गयी कार्यवाही की विवरणात्मक टिप्पणी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५९९ पर)।

१०--श्री रवीन्द्र सिंह--

[४थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बिजली की उत्पादन लागत एव आपूर्ति की जाने वाली बिजली का दर

११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या बिजली मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली उत्पादन की प्रति यूनिट लागत क्या है तथा कृषि कार्य हेतु, औद्योगिक कार्य हेतु एवं घरेलू उपयोग के लिए बिजली किस दर पर दी जाती है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७७-७८ में विद्युत् गृहों के 'दस बार' एवं उपभोक्ताओं के परिसर पर बिजली की उत्पादन लागत क्रमशः लगभग १९.२६ एवं २९.०० पैसे प्रति यूनिट थी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दिनांक १-७-७८ से कृषि कार्य, औद्योगिक कार्य तथा घरेलू उपयोग के लिये पुनरीक्षित दरें संलग्न दर-सूची में दी गयी हैं।

सीतापुर जिले के अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद

१२--श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक, चिकित्सालय कौन-कौन हैं जहां अप्रैल, १९७८ तक डाक्टरों के स्थान रिक्त पड़े हैं तथा ये स्थान कबसे रिक्त हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

वांछित सूचना निम्न प्रकार है :

चिकित्सालय का नाम	तिथि जबसे डाक्टर का पद रिक्त हुआ।
एलोपैथिक	
१--महिला चिकित्सालय, खैराबाद	५-१०-७६
२--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, मथुरा	२२-२-७८
३--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिसावा,	फरवरी, ७८
होम्योपैथिक	
१--राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, तिलपुरा	१-९-७७
२--राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, सोनसरी	१-९-७७

उपरोक्त दोनों चिकित्सालयों में डाक्टरों ने अप्रैल/मई १९७८ में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

आयुर्वेदिक

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर का कोई पद रिक्त नहीं रहा।

टाउन एरिया, महमूदाबाद में लगाया गया सम्पत्ति एवं हैसियत टैक्स

१३--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया कमेटी, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में वर्ष १९७७-७८, १९७८-७९ किस अनुपात से हाउस टैक्स तथा अन्य टैक्स टाउन एरिया कमेटी द्वारा निवासियों पर लगाए गए ? इन टैक्सों को लगाने के आदेश क्या शासन द्वारा थे ?

छापी नहीं गई।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

टाउन एरिया, महमूदाबाद में वर्ष १९७८-७९ के लिये कर निर्धारण नहीं हुआ है वर्ष १९७७-७८ के लिये केवल सम्पत्ति तथा हैसियत टैक्स का निर्धारण किया गया है जो टाउन एरिया मैनुअल के अधीन स्वीकृत उप नियमों के अनुसार सम्पत्ति पर ६ प्रतिशत तथा हैसियत पर २ प्रतिशत की दर से लगाया गया है। टैक्स का निर्धारण प्रत्येक मामले में व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा हैसियत के आधार पर किया गया है। यदि उक्त वर्ष में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अथवा हैसियत में वृद्धि हुई है तो टैक्स में वृद्धि हुई है। वैसे वर्ष १९७६-७७ में कुल टैक्स की धनराशि २४,४४८ रु० ६६ पैसे थी जो वर्ष ७७-७८ में २५,९७७ रु० ८७ पैसे हो गई है। हाउस टैक्स अथवा कोई अन्य कर नहीं लगाया गया। सम्पत्ति एवं हैसियत टैक्स का निर्धारण स्वीकृत उप नियमों के अधीन किया गया है जिसके लिये कोई और आदेश शासन द्वारा अपेक्षित नहीं है।

मलेरिया कर्मचारियों का अवशेष यात्रा-भत्ता

४--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश के आदेश सं० माल, ए/५५/१३५७६-६२०, दिनांक २६ सितम्बर, १९७७ तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाराबंकी के दिनांक २३ मार्च, १९७८ के लिखित समझौते के उपरान्त मलेरिया कर्मचारियों के देय यात्रा-भत्ता का भुगतान वर्ष १९७७ का नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां। आबंटित धनराशि की अपर्याप्तता के कारण।

प्रदेश में आसवनी (डिस्टिलरीज) की संख्या

१५--श्री राम दत्त जोशी--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी तथा कोआपरेटिव सेक्टर में कितनी और कौन-कौन सी डिस्टिलरीज हैं और उनके द्वारा उत्पादित मदिरा की खपत के लिए उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग कितने जिले दिए गए हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितना प्रतिशत देशी शराब बनाने के अनुमति किस आधार पर दी गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

निजी क्षेत्र में २२ एवं कोआपरेटिव सेक्टर में एक आसवनी है।

विवरण संलग्न है।

कौन आसवनी कितने प्रतिशत तक शराब बनायेगी इसके लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६०१ पर)।

राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिधौरा, जिला वाराणसी के भवन का निर्माण

१६--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल सिधौरा, जिला वाराणसी की इमारत इस समय बनायी जा रही है और उसके लिए सिर्फ ५० हजार रुपये की ही व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए और धन की व्यवस्था करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां । राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल, सिधौरा, जिला वाराणसी के भवन निर्माण हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा ५० हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिससे सभी कमरे बन चुके हैं और भीतर प्लास्टर भी हो चुका है । अवशेष कार्य की पूर्ति के लिए २५,००० रुपये की धनराशि सहायक अभियंत्रण सेवा, वाराणसी द्वारा शासन से मांगी जा चुकी है । उक्त धनराशि की स्वीकृति लाटरी निधि से धन की व्यवस्था होने पर की जायेगी ।

१७--श्री रियासत हुसैन--

[४ थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरपालिका, झांसी, द्वारा ट्रैक्टर व ट्राली की खरीद के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कथित जांच

१८--श्री हुक्म चन्द तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि झांसी नगरपालिका द्वारा सन् १९७६ से मार्च, १९७८ तक कितने ट्रैक्टर व ट्राली किस-किस अधिकारी के माध्यम से व किस-किस कम्पनी के कितने-कितने मूल्यों के खरीदे गये व टोटल पेमेन्ट उक्त अवधि में कितना हुआ था ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रश्नगत अवधि में केवल वर्ष १९७७ में नगरपालिका झांसी द्वारा रु० २,२४,६४३·७८ मूल्य के ट्रैक्टर व रु० ५,३७,४०० रु० मूल्य की ८ ट्रालियां, प्रभारी अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से, क्रमशः आईशर कम्पनी इण्डिया लिमिटेड, गाजियाबाद तथा माडर्न फर्म इक्यूपमेन्ट, झांसी से खरीदे गये । उक्त अवधि में उपरोक्त क्रय पर २,७८,०४३·७१ का कुल भुगतान किया गया ।

१९--श्री हुक्म चन्द्र तिवारी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सतर्कता आयोग, झांसी को व उनके माध्यम से सरकार को सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त खरीददारी में भारी भ्रष्टाचार कमीशन के रूप में हुआ है, यदि शिकायत प्राप्त नहीं हुई तो जनहित में क्या सरकार सतर्कता अयोग, झांसी के अधीक्षक से जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

सतर्कता अधिष्ठान झांसी परिक्षेत्र झांसी से जानकारी प्राप्त की गई । उनको इस सम्बन्ध में न तो कोई सूचना प्राप्त हुई और न उनके द्वारा शासन को ही कोई सूचना प्रेषित की गई ।

२०--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

फैजाबाद जिले की नगरपालिकाओं एवं टाउन एरिया के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति का आरक्षण

२१---श्रीमती राम रति देवी--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत समस्त टाउन एरिया और नगरपालिका में प्रत्येक श्रेणी के अलग-अलग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें हरिजनों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में क्या है ? क्या हरिजनों का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत समस्त नगरपालिका तथा टाउन एरिया में कार्यरत श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या तथा उनमें प्रत्येक श्रेणी में हरिजनों (अनुसूचित जाति) की संख्या का विवरण संलग्न है, जिससे प्रतीत होता है कि द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का निर्धारित कोटा पूरा नहीं है जब कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कोटा निर्धारित प्रतिशत से कहीं अधिक है । द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के कोटे के न पूरा होने का कारण यह है कि ये नियुक्तियां बहुत पूर्व की गई थीं । अब नियुक्ति नियमानुसार की जायगी ।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ६०४ पर ।)

वाराणसी जिले के ग्राम हीरामनपुर में अस्पताल की स्थापना की मांग

२२---श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान हीरामनपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में एक होम्योपैथिक अस्पताल सन् १९७७ में खोलने की योजना थी और इमारत आदि भी निश्चित किया गया है ? यदि हां, तो अस्पताल कब तक खोल दिया जायेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् के सदस्य लेखा के पद पर नियुक्ति

२३---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि इंडियन इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई ऐक्ट, १९४८ की धारा ५ के अन्तर्गत विद्युत् परिषद् ने सदस्य लेखा के पद पर वांछित योग्यताओं के किसी पूर्वकालीन सदस्य की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक उसकी नियुक्ति करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में सदस्य लेखा के पद पर श्री वेद प्रकाश, महालेखाकार द्वितीय की नियुक्ति अप्रैल, १९७८ में की गई थी लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ।

गोरखपुर जिले के कस्बा गजपुर–भोवापार–पिपरौली में पेयजल योजना की मांग

२४––श्री रवीन्द्र सिंह––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९७७ से जनवरी, १९७८ तक गोरखपुर जिले के कितने ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था की गयी है ? क्या कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र के कस्बा गजपुर–भोवापार–पिपरौली में भी पेय जल की व्यवस्था की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा किया जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी––

जून, १९७७ से जनवरी, १९७८ तक गोरखपुर जिले के १० ग्रामों में सीधे पम्पिंग द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई ।

जी हां, कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र के कस्बा गजपुर–भोवापार–पिपरौली में पेयजल की व्यवस्था की मांग श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा की गयी थी । किन्तु उक्त क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था के लिए जिला परिषद्, गोरखपुर का प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । जिला परिषद् का प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना के विरचन हेतु आवश्यक कार्यवाही जल निगम द्वारा की जायेगी ।

चकिया विद्युत्–सब स्टेशन, वाराणसी, के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती–पत्र

२५––श्री ऊदल––

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकिया सब–विद्युत् स्टेशन, जिला वाराणसी के इन्सपेक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ चकिया टाउन एरिया के नागरिकों ने कई प्रार्थना–पत्र अधिकारियों को दिए और माननीय विद्युत् मंत्री को भी सितम्बर, १९७७ में प्रार्थना–पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त प्रार्थना–पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

जी हां, चकिया विद्युत उपकेन्द्र, जिला वाराणसी के प्रवर अभियन्ता (इंसपेक्टर) तथा कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य विद्युत् परिषद् में कई शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे । इन शिकायती–पत्रों में वर्णित शिकायतों की छानबीन परिषदीय अधिकारियों द्वारा कराई गई, परन्तु आरोपों में कोई तथ्य नहीं पाये गये ।

प्रश्न में उल्लिखित सितम्बर, १९७७ का प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ नहीं पाया गया है, अतः उसको सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

आज की कार्य सूची की नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

मान्यवर, मैं आपसे इस बात की व्यवस्था चाहता हूं । मंत्री जी ने कहा कि पूजा–पाठ की जरूरत पड़ती है । क्या वे इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अन्य राजनैतिक पार्टियां जब पूजा–पाठ या धार्मिक कार्य करेंगी तो शासन से पैसा मांगने पर शासन उसके लिए पैसा देगा ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन ने जो प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। क्योंकि पूजा-पाठ करना इस सरकार से सम्बन्धित नहीं है। अगर सरकार ने अनुदान देकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ आप सेन्सर कीजिए।

आज की कार्यसूची की नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ५ का विद्युत् मंत्री द्वारा अन्तरिम उत्तर दिए जाने पर आपत्ति

*श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं प्रक्रिया नियमावली के नियम ३८ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और नियम ३८ के दूसरे परन्तुक के अन्दर आज का हमारा प्रश्न संख्या ५ जो २४-४-७८ को स्थगित किया गया था आज एजेन्डे में शामिल था। दिनांक २४-४-७८ के बाद आज २४-८-७८ हो गया और आज भी मंत्री जी कहते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत उस तारीख से १५ दिन से अधिक का समय शासन द्वारा नहीं लिया जा सकता। किन्तु आज ४ महीने के बाद भी इनको १५ दिन का समय चाहिए। यह नियमों का खुला उल्लंघन है। आज की कार्यसूची के अनुसार जो प्रश्न इस सूची में था उनका उत्तर मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी ने नियमों का उल्लंघन किया है और श्रीमन, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मंत्री जी कारण बतायेंगे कि किन कारणों से वह स्थगन चाहते हैं। लेकिन मंत्री जी ने कोई कारण बताने के बजाय यह कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो यह कोई कारण नहीं है। कृपया आप इस पर व्यवस्था दें कि नियमानुसार सुसम्बद्ध उत्तर निश्चित तिथि पर दिया जाय। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि जो मंत्री ऐसा नहीं करेगा वह अव्यवस्था फैलाने में सहायक होगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने स्वयं नियमावली के नियम ३८ के उपनियम (२) की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि "किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूचीबद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बतायेंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय, जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।" इसलिए जो उत्तर आया है उसमें लिखा है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है।" आप देखेंगे कि अध्यक्ष द्वारा जो जारी किए गए कारण हैं उनमें कारण २१ है, वह यह है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो ऐसे उत्तर का आशय यह समझा जायगा कि सरकार उस प्रश्न को स्थगित कराना चाहती है और अध्यक्ष इसको अधिक से अधिक १५ दिन के अन्दर पुनः उत्तर देने के लिए सरकार को कहेंगे। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने स्वतः ही एक सप्ताह देने को कहा है। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक सप्ताह की बात नहीं कही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

पहले वाले में कही थी। आपका भी मैंने स्थगित किया है। नियम के अनुसार १५ दिन में फिर आ सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

इतना मैं समझता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १५ दिन के स्थगन की बात २४ अप्रैल को कर चुके थे। आज चार महीने बाद फिर स्थगन चाहिए। इसके लिए आपसे प्रार्थना करनी चाहिए। तब आप स्थगन देंगे। अगर आप देना नहीं चाहते तो नहीं दिया जा सकता। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी को आप किन परिस्थियों में स्थगन दे रहे हैं। इसीलिए मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मामला ऐसा नहीं है कि १५ दिन का उनको अधिकार है। २४ अप्रैल को आप स्थगन दे चुके हैं। आज पांच महीने हो गये और इसके बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं है तो आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है और उसमें आप और मंत्री सहायक हो रहे हैं। इस गरीब प्रदेश का पैसा, अधिकारी दुरुपयोग करते हैं और फिर मंत्री उसकी लीपापोती करते हैं। इसलिए पैसे के दुरुपयोग का भी सवाल है। आप कड़ाई से पेश आवें और इसका उत्तर दिलवायें, नहीं तो मंत्री जी इस प्रकार के बेईमानी के कामों की सदैव लीपापोती करेंगे और इससे प्रदेश और शासन की ओर भी अधिक दुर्दशा होगी।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं आपकी सहायता के लिए नियम ३८ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि आपने कहा १५ दिन तक आपको अधिकार है, लेकिन आप विचार कर लें माननीय सदस्यों के अधिकार के सम्बन्ध में और जो माननीय कल्पनाथ सिंह और मैनेजर सिंह ने उठाया। अगर आप १५ दिन की बात कहते हैं, तो यह सत्र ११-१२ तारीख तक ही मुश्किल से चलेगा यानी यह निश्चित है कि यह सदन आगे १५ दिन तक चलने वाला नहीं है अर्थात् इस सत्र में इसका उत्तर आने वाला नहीं है। इसके अलावा इन मंत्रियों के विभागों के लिए उत्तर के निश्चित दिन हैं, विद्युत् मंत्री के लिए शायद बृहस्पतिवार का दिन है। आज के आठवें दिन आएगा, इसे न आप न संसदीय कार्य मंत्री और न मंत्री स्वयं कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह उस दिन आएगा। ऐसी सूरत में जो ७ दिन भी कहा जाता है। वह भी निश्चित नहीं है। तो आप जब निर्णय दें, तो माननीय सदस्यों के अधिकारों के बारे में उन्हें आश्वासन दें कि इसी सत्र में उसका उत्तर आ जाए। तभी यह सन्तोष की बात होगी, अन्यथा नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मेरा निवेदन यह है कि प्रश्नों के बारे में अगर सरकार की तरफ से यह उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है तो उसका मतलब यह हुआ कि प्रश्न स्थगित होगा, लैप्स नहीं होगा, कभी न कभी आएगा। लेकिन उसके बाद यदि प्रश्न का उत्तर दुबारा-तिबारा इस तरह से दिया जायगा कि सूचना एकत्र की जा रही है तो मंत्री को उसका कारण बताना पड़ेगा कि किन कारणों से अभी वह इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं। जो कल्पनाथ जी का प्रश्न है, उसके बारे में मंत्री जी ने कोई कारण आपको नहीं दिया है। यदि नहीं दिया है और फिर वही उत्तर दोहराया गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो मैं समझता हूं उससे माननीय सदन का और माननीय सदस्यों का अपमान होता है और उनके अधिकारों का भी हनन होता है। इस पर आप गम्भीरता से विचार कर लें, जल्दबाजी में कोई व्यवस्था देंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

जैसा प्रश्नों के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया और हमें भी वैसा ही अनुभव हुआ। एक कठिनाई हमारे सामने आती है कि कभी-कभी कोई प्रतिवेदन या उत्तर जो मंत्रालय या सरकार के खिलाफ होता है, उसे किसी ने किसी बहाने सरकार सदन के पटल पर रखने से टालती रहती है। मेरा भी ऐसा आज एक प्रश्न था, श्रीमन, आप को जानकर आश्चर्य होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद की रिपोर्ट यहां के आडिटर जनरल तक को भी नहीं दिखाई गई। इसे केन्द्र के आडिटर जनरल की रिपोर्ट में पढ़ा गया है। तो इस तरह से गम्भीर से गम्भीर प्रश्न टाले जाते हैं। क्योंकि वह रिपोर्ट जो सन ७१ में प्राप्त हुई है, आज तक न नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने न इस सरकार ने सदन के समक्ष रखी है। तो किसी प्रश्न को जब टाला जाए तो आप देख लें कि डाकूमेन्ट तो कोई ऐसा इन्वाल्वड नहीं है, जो बहुत जरूरी और गम्भीर किस्म का है।

श्री अध्यक्ष--

यह जो प्रश्न उठाया गया है इसके दो पहलू हैं, एक नियम का और एक नैतिक कर्त्तव्य का। श्री कल्पनाथ सिंह ने जब यह प्रश्न उठाया, माननीय विद्युत् मंत्री ने पहले सत्र में इसको स्थगित करने की अनुमति चाही और मैंने उनको अनुमति दे दी। आज प्रश्न का उत्तर दिया है। तो नियम ३८ के अनुसार यह स्थगन तो है नहीं। लेकिन वास्तव में उसका मतलब स्थगन है। जैसा कि नियम ३८(२) में है, उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं प्रश्न स्थगित कराना चाहता हूं, जैसा नियम ३८(२) में लिखा है--"किसी प्रश्न का उत्तर उस तिथि को दिया जायगा जिसके लिए वह सूची बद्ध किया गया हो। यदि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध न हो तो मंत्री तदनुसार स्थिति बताएंगे और अध्यक्ष इतना अधिक समय जिसे वे परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त समझें, दे सकेंगे तथा उत्तर के लिए कोई तिथि नियत करेंगे।" इसका मतलब यह है कि पहली मर्तबा उन्होंने मुझ से स्थगन मांगा। अब की मर्तबा उत्तर दिया। लेकिन उत्तर का मतलब यह था कि मुझे स्थगित करना पड़ा। तो यह अनुचित है। मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी को यह निर्देश दे रहा हूं कि सब प्रश्नों का, जिनको आज स्थगित किया गया है कृपया एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से, उत्तर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप इसको समाप्त होने दीजिये । व्यवस्था इस पर नहीं ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही (विद्युत् मंत्री)—

मान्यवर, इस सदन को सूचना देना और समय से सूचित करना यह मंत्री परिषद् का धर्म है । लेकिन दिक्कत यह है कि इस प्रश्न में जिस पर चर्चा हुई यह पूछा गया है कि जुलाई १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक दस हजार से ऊपर विद्युत् परिषद् ने कितने प्रदेश में....

श्री अध्यक्ष—

(श्री सोहन वीर सिंह तोमर के खड़े होने पर) आप बैठिए, श्री सोहनवीर सिंह जी ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

आपकी व्यवस्था के बाद किस तरह से मंत्री जी बोल सकते हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

आज्ञा दे दिया है, उन्होंने ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें स्पष्टीकरण मैंने....

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मुझे इतना कह लेने दीजिये....

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने यह कहा, श्री कल्पनाथ का प्रश्न एक दफा स्थगित किया गया, स्थगन के लिए मैंने इजाजत दिया । अब दोबारा जो आपका उत्तर है उसमें आप कहते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है । तो नियम के अनुसार मैंने यह कहा कि अन्तिम रूप से, यह अध्यक्ष को अधिकार है कि अगर वह सूचना अपर्याप्त है तो उसके लिए समय निश्चित करें, तो इसके लिए मैंने समय निश्चित किया क्योंकि सदन पन्द्रह दिन चलेगा नहीं, और यह प्रश्न मार्च के महीने में गया तो यह उचित लगता है कि आप इसका उत्तर एक सप्ताह के अन्दर दे दें ।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

५६ जिलों से सूचना मंगानी है कि ५६ जिलों में विद्युत् परिषद् ने क्या खरचेज किया, यह सूचना मंगानी है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शाही जी जुलाई, १९७७ से १९७८ तक एक साल की सूचना के लिये पांच माह से अधिक समय में आप उत्तर नहीं दे सकते तो सदस्यों का प्रश्न पूछने का कोई अर्थ ही नहीं होता ।

आज की कार्यसूची की नत्थी 'ख' के प्रश्न संख्या ६ के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम ४२ के अन्दर माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है ।

आज आप देखें कि प्रश्न संख्या ६ में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री राज नारायण जय गुरुदेव का यज्ञ करा रहे हैं जिसमें सरकार का लगभग २ लाख रुपया खर्च हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । मंत्री जी के पास पूरी सूचना नहीं है और अगर अनुपूरक प्रश्न रेलेवेन्ट हो तो उसको स्थगित किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं और इसका उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है । अगर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जाता है तो मैं अवश्य ही अवसर देता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

किस विधि से रुपया दिया गया ? कैसे दिया गया ? तो इसको स्थगित समझा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ४९ के अन्तर्गत आप विवाद मांग सकते हैं, अगर आप असंतुष्ट हैं ।

एक ही प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों के लिये अधिक समय दिये जाने पर आपत्ति

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य सूची में बहुत से माननीय सदस्यों के प्रश्न छपे रहते हैं । लेकिन किसी प्रश्न पर २-३ मिनट किसी पर २० मिनट और किसी पर आधा घन्टा समय दिया जाता है । माननीय सदस्यों का समान अधिकार है आप व्यवस्था दें कि किसी भी प्रश्न पर ५ मिनट से अधिक समय नही दिया जायेगा । तभी माननीय सदस्यों को समान अधिकार मिल सकेगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजनाथ सिंह ने जो आपत्ति उठायी है, वह वास्तविक है, लेकिन जब तक आप इसमें मेरी मदद नहीं करेंगे मैं व्यवस्था नहीं दे सकता। उचित यही है कि किसी प्रश्न पर ५ मिनट से ज्यादा न लगें, लेकिन जब माननीय सदस्य अनुरोध करने लगते हैं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ५ मिनट एक प्रश्न के लिए हो अगर ऐसी राय आप सभी की हो तो मैं उसी के अनुसार कार्य कर सकूंगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल नियम ३०१ के अन्तर्गत मैं वाराणसी में विद्युत् आपूर्ति में जो गतिरोध पैदा हुआ है उसकी सूचना दी थी। माननीय विद्युत् मंत्री जी से वक्तव्य दिलवायें।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर जो सदन का समय नष्ट किया जाता है उसको आप रोकने की कृपा करें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

आपने राजनाथ सिंह जी की व्यवस्था पर अपनी व्यवस्था दी। आपने कहा कि ५ मिनट का समय एक प्रश्न के लिए निश्चित किया जाये, लेकिन इस सदन की व्यवस्था माननीय सदस्यों की इच्छा पर चल रही है। यह अनियमन वाले तो आप हैं।

श्री अध्यक्ष--

अनियमन भी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है।

श्री राजनाथ सिंह-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठे।

श्री राजनाथ सिंह-- [× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इसके लिए इजाजत नहीं देता। आप बैठे। आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं। यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रतापगढ़ के ग्राम काशीपुर के निकट गश्ती पुलिस पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले के फलस्वरूप सिपाही विजय सिंह की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्रीमती शशि प्रभा (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मैं माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मेरे जनपद प्रतापगढ़ के थाना कुण्डा के अन्तर्गत ग्राम काशीपुर के निकट आम रोड पर दिनांक २१-८-७८ को लगभग ११ बजे दिन में थाने के दो सिपाही जिनके पास एक सरकारी रायफल तथा एक बारह बोर स्वतः चालित बन्दूकें थीं, रात को गश्त करके अपने ही क्षेत्र में सायकिल से जा रहे थे कि एकाएक रास्ते में बनी पुलिया के पास बैठे कुछ असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियारों से हमला किया। जिससे एक सिपाही विजय सिंह घटनास्थल पर ही मर गया। दूसरे सिपाही ने घायल अवस्था में वहां से लगभग ८ मील दूर थाना कुण्डा में आकर सूचना दिया। वह वहां किसी को पहचान नहीं सका। उन दोनों को सरकारी तथा गैर सरकारी लाइसेन्सी बन्दूकें भी, मय कारतूसों के बदमाश उठा ले गये। घायल सिपाही को उसी दिन जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेज दिया गया। इस कांड से उस क्षेत्र की जनता में आतंक छा गया है। वह अपने को असुरक्षित समझ रही है। इसकी सूचना मुझे सायंकाल लखनऊ में दिनांक २२-८-७८ को वहां से आये कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त हुई है। श्रीमन्, मैं फिर एक बार आपके द्वारा गृह मंत्री से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र में चोरी, डकैती का बढ़ाव रोकने के लिए तथा उपरोक्त ढंग के बौखलाने हमले से जनता तथा पुलिस वालों को बचाने के लिए कठोर कदम उठाने का कष्ट करें। इसके पहले भी मैं अनेकों बार अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अनुरोध कर चुकी हूं। थाना कुण्डा में सभी दरोगा व सिपाही नये कर दिये गये हैं। जिन्हें अभी कुछ स्याह सफेद की जानकारी नहीं हो सकी। चार महीने से आए दरोगा को भी हटा दिया गया जिसके कार्यकाल में गुण्डे बदमाश कांप गये थे। कम से कम अब तो इस ओर ध्यान दिया जाय।

इसी प्रकार थाना मानिकपुर का हाल है। कुछ दिन पहले थाने से कुछ मील दूरी पर डकैती पड़ी। पुलिस वाले जनता तथा बदमाशों की आवाज सुनते रहे। मौके पर नहीं पहुंच सके। उस थाने पर बिना लेन देन के सुनवाई भी तो नहीं होती। आज की हालत देखते हुए दोनों पक्ष अराजक तत्व तथा रक्षक दोनों ही गरीब जनता के भक्षक बन गये हैं। यदि कोई कर्मचारी ठीक काम करता है तो उसे शराफत का खोल ओढ़ने वाले अराजक तत्वों को पालने वाले इन थानों में रहने नहीं देते हैं। प्रशासन तक का जोर उनको हटाने में लगा देते हैं। श्रीमन्, यदि इसी तरह का हाल रहा तो मेरा सारा क्षेत्र लुट जायेगा। अतः गृह मंत्री जी से आपके द्वारा फिर अनुरोध है कि कभी-कभी हम लोगों की बात मानकर क्षेत्र की जनता आवाज के साथ अपनी आवाज मिलावें तथा उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी हथिगवां ग्राम में कायम करा दें। यह क्षेत्र कुण्डा थाने से काफी दूर है।

पुलिस कन्ट्रोल रूम, गोरखपुर के श्री बुधि राम मिश्र की बम के प्रहार से हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अभी चन्द दिन हुए कन्ट्रोल रूम (गोरखपुर पुलिस) में कार्यरत श्री बुधि राम मिश्र की हत्या बम के भीषण प्रहार से कप्तान गंज (देवरिया) में की गयी । श्री मिश्र इसके पूर्व गोरखपुर के धुधली थाने में तैनात थे और गोरखपुर के लिए स्थानान्तरण के बाद उनका परिवार धुधली में ही रहता था ।

इस भीषण घटना की व्यापक प्रतिक्रिया है । प्रदेश के पूर्वान्चल में यह अपने प्रकार की नयी घटना है । तरह-तरह की चर्चायें इसके सम्बन्ध में लोगों में चल रही हैं । स्थानीय समाचार पत्रों में इस घटना के सम्बन्ध में जो विवरण छपा है, उससे जनाक्रोष और बढ़ रहा है । कहा जाता है कि जब श्री मिश्र धुधली थाने में तैनात थे तो ६०,००० रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया था जो केवल ६-७ हजार ही दिखलाया गया है । ऐसा कहा जाता है इस मामले को लेकर श्री मिश्र का अपने अधिकारियों से द्वन्द था । यह भी कहा जाता है कि श्री मिश्र के पास तस्करी का विस्तृत विवरण और कुछ तथ्य भी थे जिन्हें विभाग के लोग नष्ट करवाना या वापस लेना चाहते थे । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अविलम्ब उच्चस्तरीय जांच के लिए शासन को निर्देश दें तथा श्री मिश्रा के परिवार को हर सम्भव सहायता शासन द्वारा दिलवायें ।

पशुओं के प्रदेश व्यापी संक्रामक रोगों के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान से लाना

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों में रिन्डर वेस्ट, गल घोटूं, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, सरा आदि पशु रोगों के तीव्र संक्रमण से करोड़ों पशु प्रभावित हैं । प्रलयकारी बाढ़ के कारण तथा जल जमाव के कारण चारे की समस्या भी जटिल हो गयी है । कृषि प्रधान प्रदेश में हरित क्रांति का मूल आधार श्वेत क्रांति है । हजारों पशु आए दिन महामारियों के शिकार हो रहे हैं । यदि युद्धस्तर पर पशु रोगों की रोकथाम न की गयी तो निकट भविष्य में ही पशुधन की अपार क्षति से प्रदेश में कृषि उत्पादन में असाधारण ह्रास होगा । बीमार पशुओं के दूध के कारण मानव जीवन में संकट भी संकट उत्पन्न हो गया है ।

पशुरोगों की दवाइयों के मूल्य में दिन प्रतिदिन असाधारण रूप से बढ़ोत्तरी हो रही है । पशु चिकित्सालयों में औषधि व उपकरणों का घोर अभाव हो गया है ।

प्रदेश के लिए यह अत्यन्त चिन्ताजनक परिस्थिति है ।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत् परिषद् के ट्रान्सफार्मर्स के क्षतिग्रस्त होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के विभिन्न खंडों में जून, १९७८ तक १.५ एम० वी० ए० से लेकर १०० एम० वी० ए० की क्षमता के १ करोड़ से अधिक मूल्य के ट्रान्सफार्मर्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

१९६२ में परिषद् के भंडार क्रय संस्थान की स्थापना के बाद १०० करोड़ मूल्य के १ लाख ८० हजार ट्रान्सफार्मर्स खरीदे गये, पनकी तापघर और विभिन्न डिजाइज मंडलों द्वारा ३५ करोड़ और तीन विभिन्न संस्थाओं द्वारा ५ वर्षों में ४७ करोड़ रुपये के ६५ हजार ट्रान्सफार्मर्स खरीदे गये। ऊपर लिखे ट्रान्सफार्मरों के बारे में कोई संकलित लेखा आश्चर्यजनक रूप से उपलब्ध नहीं है कि इनमें कुल कितने ट्रान्सफार्मर्स उपयोग में हैं।

मुख्य अभियन्ता के आलेखों के अनुसार ३१ मार्च, ७६ तक खरीदे गये १ लाख ५१ हजार ट्रान्सफार्मरों में केवल ७७ हजार ही प्रयोग में थे। इसी प्रकार १९७२ से १९७६ तक खरीदे गये और खराब हुए ट्रान्सफार्मरों के मूल्य का अन्तर केवल १७ करोड़ है।

नियमानुसार परिषद् के पास प्रत्येक ट्रान्सफार्मर का विवरण कार्ड होना चाहिए, परन्तु ट्रान्सफार्मरों की जीवन अवधि २५ से ३५ वर्ष होने के बावजूद काम में न आने वाले ट्रान्सफार्मरों की कोई सूची परिषद् के पास नहीं है।

देवरिया जिले के ग्राम बरवा राजा पकड़ के सवर्णों द्वारा हरिजनों के मारे पीटे जाने तथा लूटे जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, देवरिया जनपद के अन्तर्गत ग्राम बरवा राजा पकड़ थाना तुरपट्टी में पूर्व से बसे बयालिस हरिजन....

श्री अध्यक्ष—

जिस भाग को मैंने वर्जित किया है उसे आप न पढ़ें।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

मुसहर, दुसाध, यादव आदि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की झोपड़ियां, मकान को उसी गांव के सवर्ण परिवार के लोगों ने गत सप्ताह लाठी, भाला, डंडा, व बंदूक से लैस हो टूट पड़े। उन लोगों को मारा, सामानों को लूटा और मकान को उजाड़ कर जमीन पर गिरा दिया। खेद इस बात का है कि जब ये भूमिहीन परिवार के लोग थाने पर इस घटना की रिपोर्ट लिखाने गये तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उन लोगों को अपमानित कर थाने से भगा दिया। जब इस घटना की रिपोर्ट सूचना प्रदेश के मुख्य मंत्री जी श्री राम नरेश यादव तथा सम्बन्धित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि केवल प्रसाद]

अधिकारियों को दिया तो आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । प्रदेश के विद्युत् मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही जब वहां पहुंचे तो भूमिहीनों ने उनसे अपनी करुण कहानी कही जिस पर उन्होंने उन लोगों को यह कह कर कि उजाड़ी गयी जगह पर स्कूल बनेगा, छात्र पढ़ेंगे, जब कहीं जमीन होगी तो आप लोगों को बसा दिया जायेगा । आज भी इस क्षेत्र में मजदूरी आठ आने से एक रुपये पचास पैसे प्रति-दिन है । जो लोग प्रभावशाली लोगों की बेगार नहीं करते उन्हें अपमानित कर घर से उजाड़ देने का काम जारी है । जब जनता पार्टी की सरकार समाज के कमजोर वर्गों पर जुल्म ज्यादती को रोकने में सक्रिय है तो वहां इस प्रकार के अत्याचार क्यों और उसे दबा देने का प्रयास क्यों किया जा रहा है ?

अस्तु आज माननीय सदन में माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि ग्राम बरबा राजा पकड़ के बयालीस भूमिहीन हरिजनों को मार पीट कर उजाड़े जाने की घटना की जांच करायी जाय और उन लोगों को पुनः वहीं बसाया जाय तथा जिन लोगों द्वारा उत्पीड़न किया गया है उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही की जाय ।

प्रदेश के विद्यालयों में प्रवेश की समुचित व्यवस्था न होने से छात्र असंतोष के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)—

आपके माध्यम से सदन में निम्नलिखित सूचना लाना चाहता हूं । इस समय उत्तर प्रदेश की सारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश चल रहा है । विद्यालयों में प्रवेश की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण बहुत से छात्र और छात्राओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों तथा छात्राओं में घोर असंतोष बढ़ रहा है । एक दिन ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी कि समस्या का समाधान होना कठिन हो जायेगा । व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध न होने का मुख्य कारण नौकरशाही है और जिस प्रकार की मौजूदा व्यवस्था है, जिम्मेदार है । इसी क्रम में प्रतापगढ़ जनपद में राजकीय बालिका इन्टर कालेज तथा राजकीय इन्टर कालेज में छात्राओं तथा छात्रों के प्रवेश की समस्या दिनों दिन जटिल होती जा रही है । राजकीय बालिका इन्टर कालेज में कक्षा ११ में प्रवेश की समस्या अधिक कठिन है । नियमतः कक्षा में चालीस छात्राएं ली जाती हैं । परन्तु छात्राओं की संख्या लगभग २०० के ऊपर है । जिन छात्राओं का प्रवेश नहीं हो पा रहा है, उनमें बड़ा असंतोष बढ़ रहा है । कक्षा में छात्राओं को न बैठने की व्यवस्था है और न अध्यापकों की ही समुचित व्यवस्था है । इसी प्रकार से राजकीय इन्टर कालेज में भी अव्यवस्था है । कहा जाता है कि कालेज की प्रधानाचार्या तथा जिला विद्यालय निरीक्षक ने कक्षा बढ़ाने, दो पाली विद्यालय चलाने के लिए शिक्षा निदेशक को कई में ही लिखा परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही ही नहीं हुई । इसी प्रकार की समस्याएं लगभग सारे जिलों की है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं तथा सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश की समस्या का तत्काल समाधान किया जाय ताकि विस्फोटक स्थिति से बचा जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सहकारी समिति जंगीगंज, जिला वाराणसी में भ्रष्टाचार के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, वाराणसी जिले में सहकारी समिति के ज्वलंत भ्रष्टाचार की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां जंगीगंज सहकारी समिति किसानों को रुपये कर्ज पर देती है। गत कई वर्षों में वहां के सुपरवाइजर ने बिना किसानों के संज्ञान के उनके कर्ज की रकम को कई गुना बढ़ा दिया है। कई वर्ष ये सुपरवाइजर किसानों से प्रति वर्ष कागज के बदले के लिए हस्ताक्षर के नाम पर उनसे वास्तव में प्रोनोट आदि पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। इस वर्ष से इन कर्जों की वसूली शुरू हुई तो किसानों को पता चलने लगा कि सैकड़ा रुपयों के स्थान पर कई हजार रुपये उन पर बकाया कर दिये गये हैं। कई किसान इसके लिए जेल भी इस वर्ष भेजे गये। यह भी मालूम हुआ है कि किन्हीं-किन्हीं किसानों के कर्ज की यह रकम पास बुक पर भी अंकित नहीं है।

इस संबंध में किसानों ने विभाग को कई प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं पर उनकी जानकारी में विशेष कुछ नहीं हुआ है सरकार क्या कर रही है, वसूली क्यों नहीं बन्द की जा रही है, ऐसा सहकारी मामला अपराध जांच शाखा को क्यों नहीं दिया जा रहा है, इन तमाम बातों पर सहकारिता मंत्री जी का तत्काल वक्तव्य दिलाने की कृपा करें।

मथुरा जनपद के गरकी पीड़ित क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों के भवनों को क्षति के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मथुरा जनपद गरकी पीड़ित क्षेत्र जो हजारों सालों से चला आ रहा है। इस कारण वहां देहाती क्षेत्रों में बने प्राइमरी बेसिक स्कूलों के भवन अत्यधिक जर्जर-शीर्ण हालत में हैं, छाता क्षेत्र में विशेषकर तथा अन्य तहसीलों मे मैंने लगभग २५० विद्यालय भवनों का निरीक्षण किया है। इन भवनों की स्थिति ऐसी है कि कभी भी भवन गिर सकते हैं और हजारों की संख्या में बच्चों की प्राण हानि हो सकती है। ऐसी गम्भीर स्थिति से बचने के क्या पूर्व प्रयास हैं ?

मथुरा जनपद में एक मात्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय मथुरा में ११० वर्ष पूर्व निर्मित भवन में चल रहा है। अति जीर्ण-शीर्ण कभी भी धराशाही होने वाले बरामदों में सैकड़ों बच्चों की कक्षायें चलती हैं। इस दुर्दशा के कारण जनपद के नागरिकों में घोर आतंक है।

ऐसी स्थिति में श्रीमन्, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री से अविलम्ब वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सूचना के द्वारा सरकार का ध्यान ....

श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन्, आपने वक्तव्य दिलवाने की बात नहीं की है, मैं बैठूंगा नहीं। आज बैठने वाला नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री लक्खी सिंह--

चाहे मार्शल को भेज दीजिये। आप अध्यक्ष हैं कोई डिक्टेटर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी आपको उत्तर देंगे।

श्री लक्खी सिंह--

मैं नहीं बैठता।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपनी जगह पर बैठिये।

श्री लक्खी सिंह--

या तो वक्तव्य दिलवाइये नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा, मार्शल खींचकर भले निकाल दें।

श्री अध्यक्ष--

शिक्षा मंत्री आपको जवाब दे देंगे।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है आप बैठ जायें।

श्री सुखपाल पांडेय--

मान्यवर, आपने कल मौखिक कहा था कि कल स्वीकार किया गया बभनान चीनी मिल की हड़ताल के संबंध में मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

हमीरपुर जिले की लिफ्ट कैनालों की दुर्दशा के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सूचना के द्वारा सरकार का ध्यान हमीरपुर तहसील में लिफ्ट कैनालों की दुर्दशा व किसानों के प्रति अन्याय के अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, जनपद हमीरपुर की तहसील हमीरपुर में यमुना व बेतवा नदियों से ८ लिफ्ट कैनालें जो अधिकतर बरबादी व अधबनी हालत में वर्षों से हैं पत्योरा पंप कैनाल त्रुटिपुर्ण अनियमित निर्माण व भ्रष्टाचार के कारण अधबनी पड़ी है। खेत छीने गये पर कुछ भी सिंचाई नहीं हो पाती यही हाल भौली लिफ्ट कैनाल का है कुछ नगण्य भाग यह एक बार वर्ष में सींच पाती है। बिलोरा लिफ्ट कैनाल वर्षों से मरम्मत न होने, चकबंदी से गूलें व माइनर बिगड़ जाने से लघु कृषक सिंचाई नहीं कर पाते कमांड क्षेत्र अधिक होने से क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। सहुरापुर लिफ्ट कैनाल भी विभागीय ढ़िलाई से अधबनी हालत में है व मशीनें चोरी हो रही है। रमेड़ी व मीरापुर पंप कैनालें भी इसी प्रकार अव्यवस्था त्रुटिपूर्ण निर्माण सामयिक मरम्मत के अभाव में कमांड का अधिकांश भाग नहीं सींच पातीं। महोदय, काश्तकार अधिकारियों के झूठे आश्वासनों पर आकर उन्नत बीज खाद, प्रयोग करता है पर सिंचाई न होने से फसल झुलस जाती है वह कर्ज से लद जाता है। ग्रामोत्थान का सपना बिल्कुल यहां असफल है। यहां का कमांड क्षेत्र सिंचाई की अन्य योजनाओं में भी न लिए जाने से यहां के विकास की दिशा बिल्कुल रुक गयी है।

अतः श्रीमन्, हमीरपुर तहसील के किसानों की इस दुर्दशा की ओर शासन का ध्यान आपके माध्यम से दिलाते हुये आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से अविलंब प्रभावी सुधार की मांग करता हूं।

इलाहाबाद जनपद के ग्राम सरसवा के निवासी श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी के घर की पुलिस द्वारा लूट व मारपीट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक ३ अगस्त, १९७८ समय साढ़े ५ बजे शाम थाना मन्झनपुर, जिला इलाहाबाद के थानाध्यक्ष, ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र श्री सुधीर, कुमार अवस्थी और क्षेत्राधिकारी मन्झनपुर को साथ लेकर ग्राम सरसवा थाना-पश्चिम सरोरा, जिला इलाहाबाद के निवासी श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी के घर गये। पूरी फोर्स के साथ श्री त्रिपाठी के घर में घुस गये। थाना अध्यक्ष मंझनपुर, अन्य अधिकारीगण, श्री त्रिपाठी के घर घुस गये और उनके परिवार वालों को मारा पीटा जिसमें औरतों को खूब पीटा गया, जिसका डाक्टरी मुआयना भी कराया गया है। घर में ४५ हजार रुपया और छः अदद सोना, तथा ३ अदद चांदी का जेवर, दो साइकिल और एक जीप की स्टेपनी उठा ले गये तथा जाते समय टार्च और घड़ी तथा अन्य सामान उठा ले गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बांके लाल]

श्री लालता प्रसाद त्रिपाठी, सब-इंस्पेक्टर थाना कोतवाली फैजाबाद में इस समय कार्यरत हैं और उस दिन वह अवकाश पर गये थे। उस समय वे अपने नलकूप पर थे। उन्हें इन अधिकारियों ने न तो बुलाया और न गांव वालों को। एक डकैत गिरोह की भांति की गयी लूट से सारे क्षेत्र में आतंक व्याप्त है। श्री त्रिपाठी ने तार द्वारा माननीय मुख्य मंत्री, आई० जी० उत्तर प्रदेश को सूचित किया व प्रधान मंत्री को भी तार दिया। परन्तु अब तक कोई कार्यवाही न होने से और असंतोष व्याप्त है।

इसलिए सरकार व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

नियम ३०१ की सूचनाओं को स्वीकार न किये जाने पर आपत्ति

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं और उनमें जिनको मैंने स्वीकार किया है उनको बुलाया है। आप लोग बैठ जांय।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

आप मुझको सुन लें। मैं अपनी सूचना को पढ़ूंगा नहीं। मान्यवर, हड़ताली अध्यापकों के वेतन रुक जाने से बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी है। इस पर मैंने आपको नोटिस दिया आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपके कमरे में गया और बैठा रहा। आपने कहा कि कल दे दें तो मैं ले लूंगा लेकिन फिर भी इजाजत नहीं दिया। चूहा मार तथा और सूचनाओं को ले लिया। इसलिए मेरी सूचना को आपको लेना पड़ेगा।

(व्यवधान)

*श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको अनुमति नहीं दिया। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री भगवती प्रसाद सिंह, आपका मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम ३०१ के अन्तर्गत जो सूचनायें आती हैं उनके महत्व की छानबीन करके आप स्वीकार करते हैं। जैसा बताया कि कल आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा था कि इस प्रश्न को, कि बभनान चीनी मिल के मजदूरों में जो ११ तारीख से हड़ताल चल रही है इसको कल लेंगे। मैंने तुरन्त उनको वापस ले लिया था। मजदूरों में स्थिति यह है कि बाजार में वह चल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको ४ महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि फिर इसको स्वीकार करने का कौन सा तरीका है? आज मैं गलती से पिछड़ गया और आपके दरबार में नहीं पहुंच सका। फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास करूंगा लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें सैकड़ों आदमियों के जीवन व मरण का प्रश्न निहित है, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्री भगवती प्रसाद सिंह तथा सुखपाल पाण्डेय तीन दिन से प्रस्ताव दे रहे हैं । आपने शायद उनको मौखिक आश्वासन भी दिया था, लेकिन आपने उनको नहीं लिया । आपका निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन अच्छा हो अब आप इन प्रस्तावों को २८ तारीख को ले लें ।

श्री अध्यक्ष--

२७ सूचनाएं थीं जिनमें १० मैंने स्वीकार की । सर्वश्री सुखपाल पाण्डेय तथा भगवती प्रसाद सिंह जी ने जिस प्रकार से अपने प्रस्ताव रखे इसका मतलब यह है कि मुझे २७ की २७ सूचनाएं स्वीकार कर लेना चाहिये और उनकी ग्राह्यता पर सोचने की जरूरत नहीं है । अगर २८ तारीख को मेरे सामने ये आयेंगे तो मैं उनको अपेक्षाकृत देखूंगा और अगर ग्राह्य हुए तो स्वीकार करने पर विचार करूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

कल मैं एक मामला लाया था । आपने कहा शून्य प्रहर में दे दीजिये । मैंने दे दिया । तीन दिन से मैं इस प्रश्न को उठा रहा हूं । मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप राजनीतिक कारणों से सत्ता पक्ष को बचा रहे हैं । तीन दिन हो गये लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया । उद्योगपतियों से जनता पार्टी ने रुपया लिया उस पर बहस भी यहां नहीं हो सकती लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ विजिलेंस में मुकदमें कायम हो रहे हैं । उनके मामलों को आपने ले लिया लेकिन इस मामले को जो मैंने उठाया, उसे आपने नहीं लिया ।

श्री अध्यक्ष--

पहले आप स्थान ग्रहण करें । आप आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

ये जो पूंजीपतियों के पैसे पर तीस साल से पलते आये हैं इन लोगों को आप प्रश्रय न दें । ३० साल तक यह पले हैं । (व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री गुलाब सेहरा--

आपने कहा कि शून्य अवर में दे दीजिये जिसे मैंने दे दिया । तीन दिन से प्रयास कर रहा हूं इसको उठाने का लेकिन आपकी आज्ञा नहीं मिल रही है । आपने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा लेकिन आपने नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप पहले स्थान ग्रहण करें ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय सदस्य ने आप पर आक्षेप किया है । उसको पहले वह वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका यह आक्षेप है कि मैंने राजनीतिक कारणों से सत्ता पक्ष को बचाने के लिए आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया ।

श्री गुलाब सेहरा—

यह राजनीति आप करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह अनुचित है ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं आपके संज्ञान में एक मामला लाया । फिर आपके कक्ष में भेंट की । आपने कहा कि शून्य प्रवर में दे दीजिये और मैंने दे दिया । आप इस सदन के सम्मानित अध्यक्ष हैं ।

(व्यवधान)

(श्री मैनेजर सिंह तथा श्री मधुकर दिघे के खड़े होने तथा गुलाब सेहरा जी के साथ-साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष—

आपने जो आक्षेप किया है उसको आप कृपया वापस लीजिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप आक्षेप वापस लें तब आपकी बात सुनूंगा ।

श्री गुलाब सेहरा—

अध्यक्ष जी, यही विवाद का विषय है, रोज इस तरह की बातें वह पक्ष करता है और आप चेतावनी देते हैं । हमसे आप वापस लेने की बात करते हैं । इस तरह आप विरोध पक्ष की सुरक्षा कायम नहीं कर पायेंगे, संरक्षण नहीं दे पायेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

उनसे कहें कि वापस लें ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नारायण दत्त जी, श्री सेहरा ने यह अध्यक्ष पर आक्षेप किया कि मैंने उनकी सूचना को राजनीतिक कारणों से सत्ता पक्ष को बचाने के लिए अस्वीकार

किया । यह मुझ पर आक्षेप लगाना है और मेरे निर्णय को चुनौती देना है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लीजिये । कृपया आप लोग शांत रहें ।

(व्यवधान)

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि यह प्रकरण इस प्रकार उपस्थित हुआ । आप को ज्ञात है कि विगत ६ दिनों से मैं भी स्वयं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शासन से संबंधित हैं वह किस नियम के अन्तर्गत उठाये जायें ताकि सदन में निरर्थक विवाद न हो और नियमानुकूल वह उठाये जा सकें ।

श्रीमन्, आप देखते हैं कि लोक सभा और राज्य सभा में बहुत से प्रश्न आजकल विवादास्पद हैं । लेकिन कभी भी अध्यक्ष से या चेयरमैन से किसी को विवाद करने की नौबत नहीं आई और बहुत ही शांति से घंटों तक विवाद चलता रहा । भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दूसरे आरोप हैं जिन पर घंटों चर्चा रही और एक भी नोटिंग नहीं हुई । किसी मेम्बर को मार्शल की जरूरत नहीं पड़ी । वहां पर कड़वी से कड़वी बातें कही गई हैं और चेयरमैन ने उन्हें उठाने की इजाजत दी है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

इससे इसका क्या संबन्ध है ?

श्री अध्यक्ष--

पहला प्रश्न तो यह है कि जो आक्षेप किया है उसको वापस लेना चाहिये । उसके बाद आप अपनी बात कह सकते हैं । इस प्रकार से तो कार्यवाही नहीं चल सकती ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जहां तक मैं समझ पाया जिन शब्दों का प्रयोग माननीय सदस्य आगरा, श्री सेहरा ने किया उनका तात्पर्य सीधा आक्षेप लगाने का नहीं था ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह--

आपने कहा 'सीधा आक्षेप' लगाने का नहीं था यानी परोक्ष में आक्षेप लगाया इसकी ताईद विरोधी दल के नेता कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उनका तात्पर्य यह था कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये जिससे कोई यह कह सके कि राजनीतिक कारणों से पक्षपात किया जा रहा है । यह अर्थ था, यह नहीं था कि आप ऐसा कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे अत्यंत खेद है कि श्री सेहरा ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपने राजनैतिक कारणों से मेरे इस प्रश्न को सत्ता पक्ष को बचाने के लिये ऐसा किया है। यह आक्षेप है। इस निर्णय के बाद भी, आप सदन के इतने सम्मानित सदस्य होते हुये भी, आप मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, संसदीय प्रणाली के अनुसार आप न खेद प्रकट करने के लिये तैयार हैं और न वापस लेने को तैयार हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो, मान्यवर, स्थिति को बचा रहा हूं। श्रीमन्, मैं आपको अलग से भी बता सकता हूं, सदन में नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर विवाद नहीं। श्री सेहरा ने आक्षेप किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह आक्षेप नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों की कदापि यह मंशा नहीं है कि कोई भी ऐसी बात कही जाये। जो आपके लिये अपमानजनक हो। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि..

(शोर)

अब यह क्या है? मैं स्वयं अपमानजनक इसको समझता हूं कि मेरी बात को सुनने न दिया जाय। मैं समझता हूं आप उनको मना करेंगे कि शोर न करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको अनुमति दी है। आप बोलें।

श्री श्यामधर मिश्र—

ऐसी ही बात इसी सदन म आज ही हुयी है जबकि माननीय लक्खी सिंह ने बार-बार आपके कहने पर कहा कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा मैं नहीं बैठूंगा। तब यहां जनता पार्टी के लोगों ने नहीं प्रस्ताव किया? तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नहीं प्रस्ताव किया।

एक सदस्य—

वह आक्षेप नहीं था, मिश्रा जी।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामधर मिश्र—

तब उन्होंने यह तर्क नहीं किया ? यदि तब वे तर्क करते तो मैं उनके साथ होता। और अब भी उनके साथ होता। लेकिन तब उन्होंने नहीं किया। तो यह बात चल रही है सदन में। जब माननीय मैनेजर सिंह ने आपकी अवमानना की थी और आपने अनुज्ञा दी थी..

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी दो तरह की व्यवस्था हो रही है। जनता पार्टी के लिये अलग और विरोधी दल के लिये अलग। यह नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

हम आपकी ही बात मानेंगे। आप कहेंगे तो क्षमा मांग लेंगे। लेकिन अगर ये लोग कहेंगे ..

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

जितना भी हमारे मित्र आगरा ने कहा, उसका अभिप्राय क्या है ? उसको आप अपने ऊपर लांछन मानते हैं कि नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर है। आप मानते हैं कि लांछन है तो इस पर टीका की आवश्यकता नहीं। नहीं मानते हैं तो चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मैंने स्वयं निर्णय दिया कि श्री सेहरा जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह मेरे निर्णय पर आपत्ति है कि मैंने पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया। इसलिये मैं उसको निंदनीय समझता हूं और श्री सेहरा के कार्य की भर्त्सना करता हूं। मैं नारायण दत्त तिवारी से कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह प्रश्न दिया, सचिव ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। वह नियमों के अनुसार नहीं आता था। उसको सचिव को सम्बोधित करना चाहिये था। उसके बाद जब कल आपने दिया १० बजे के बाद दिया तब मैंने कहा कि सचिव को दे दें। मैंने देखा और इस सम्बन्ध में ३०१ के बारे में जो ग्राह्यता की शर्तें मैंने उसमें लिखी हैं जो आपको प्रसारित किया गया है कि विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का हो और अभी हाल ही में घटित हुआ हो। वह प्रश्न मैंने देखा। उसका सन् १९७७ से ताल्लुक है इसलिए वह हाल का नहीं है। आपने लोकसभा का जिक्र किया। मुझे इस बात का खेद है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी जैसे व्यक्ति, जो रोज अखबार पढ़ते हैं उन्होंने नहीं देखा कि जब प्रश्न उठाया गया तो अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। उन्होंने काम रोको प्रस्ताव के रूप में दिया चुनाव धन संग्रह पर जिसकी अनुमति नहीं दी। नियम १८४ में संकल्प का प्रश्न होता है। आप मुझसे मिलेंगे, आप कोई कागज देंगे तो मैं अवश्य उसे लूंगा, लेकिन मैं उसकी ग्राह्यता को देखूंगा। जब मैंने पुनः आपके पत्र को देखा

[श्री अध्यक्ष--]

तो सन् १९७७ से उसका सम्बन्ध है। साल भर से ज्यादा का समय हो गया। आप इसके लिए नियमावली को पढ़ें। आप उसके पंडित है। आप इसके लिये संकल्प ला सकते है, सदन उसको स्वीकार करे या न करे। आज २७ सूचनाएं थी। आखिर उनकी ग्राह्यता पर मुझे विचार करना पड़ेगा और सापेक्षिक महत्व पर भी गौर करना पड़ेगा। मैं इस प्रश्न को सदन के सामने पुनः उठाता हूं। मैंने यह प्रथा सदन के अन्दर डाली। पहले जीरो आवर हंगामा का घंटा होता था। मैंने उसको कुछ नियमित किया। अगर फिर इसी किस्म का विवाद होगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ३०१ की प्रथा को खत्म किया जाय और एक घंटा १२ से १ फ्री हो [× × ×] और वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, जब आप उस कुर्सी से इस तरह व्यवस्था की मांग कर रहे हों कि १२ से १ बजे तक एक घंटा फ्री हो तो हम क्या आशा करें? अगर कोई सदस्य इस तरह से करता है तो आप उसकी भर्त्सना करें या जो करें लेकिन इस तरह से एक घंटा फ्री छोड़ दें तो यह क्या उचित है? आप अपने विवेक से काम करें, इसके लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप एक सदस्य के कहने से नियम का परिवर्तन करें और फ्री फाइट करने का अवसर दें तो यह अच्छी बात नहीं है। आप उसके लिए व्यवस्था करें यह मुनासिब बात होगी।

श्री कवल (जिला वाराणसी)—

आपने कहा कि एक घंटा फ्री कर दिया जाय और सदस्य कसरत किया करें तो यह कार्यवाही का अंग बनेगा या नहीं? दूसरी बात यह कि जो आपने कहा वे शब्द उस कुर्सी के अनुरूप नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं और इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा कि नियम पहले नहीं था कि लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। मैंने उसको नियमित किया। लेकिन सदस्य अगर इस तरह से करेंगे तो फिर नियमन की आवश्यकता नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

आपने जो व्यवस्था की है वह अच्छा है और आपके अच्छे काम में यह भी शुमार है। लेकिन आपने कह दिया कि माननीय सदस्य कसरत करें तो यह एक प्रकार का लांछन सा है और आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह आक्षेप है।

श्री गुलाब सेहरा--

आपने पूरे सदन पर आक्षेप किया है।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहा था । व्यवस्था तो वह है जो लागू है । मैंने यह नहीं कहा कि इसको बन्द कर दिया जाय । मैंने कहा कि विचार करें । अगर आप लोग इस तरह करें तो मेरे आने से पहले जैसे एक घंटा की छुट्टी हुआ करती थी वह करें । अगर किसी को एक घंटा कसरत करें शब्दों से आपत्ति है तो मैं उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस माननीय सदन के सम्मानित सदस्य एवं संसदीय प्रणाली के पंडित श्री नारायण दत्त तिवारी एवं श्री श्यामधर मिश्र दोनों ने इस प्रकार की बात इस सदन में कही, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है । आपने अपनी व्यवस्था दी थी और कहा था कि श्री गुलाब सेहरा ..

श्री अध्यक्ष---

श्री राजनाथ सिंह यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजनाथ सिंह---

अपने वाक्य को वापस लें । लेकिन उन्होंने वापस नहीं लिया और श्री नारायण दत्त तिवारी ने परोक्ष रूप से आपके ऊपर सीधे आरोप लगाने का प्रयास किया है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां आपने श्री गुलाब सेहरा से अपने वाक्य वापस लेने का आग्रह किया है, श्री नारायण दत्त तिवारी से भी आग्रह किया जाना चाहिए कि अपने वाक्य वापस लें अन्यथा इन लोगों को सदन से निकाले जाने की व्यवस्था करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, क्या आप इस पर डिबेट करवा रहे हैं ? अन्यथा जब आपकी व्यवस्था हो गयी और निर्णय हो गया तो इसे बन्द होना चाहिए ।

४ अप्रल,१९७८ की कार्यसूची में उ० प्र० डीजल आयल कराधान विधेयक, १९७८ के खंड २ में संशोधन में श्री हरी सिंह का नाम छपे होने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

अब मैं विशेषाधिकार की सूचनाएं ले रहा हूं । दिनांक ४ अप्रैल, १९७८ की कार्य-सूची में उत्तर प्रदेश डीजल आयल कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ के खंड २ में श्री हरी सिंह के नाम से छपे संशोधन के सम्बन्ध में श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ४ अप्रैल, सन् १९७८ को उठाने की सूचना दी थी । उनकी सूचना के अनुसार श्री हरी सिंह का कथन था कि उन्होंने कोई संशोधन दिया ही नहीं था । श्री हरी सिंह मुझसे भी मिले थे । उनका कथन था कि वह संशोधन उनके नाम से फर्जी है, गलत दिया गया है । उस पर मैंने मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा की थी कि कृपया इस सम्बन्ध में शीघ्र

[श्री अध्यक्ष—]

जांच करके स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें। मुख्य मंत्री जी ने दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को सूचना दी है कि श्री हरी सिंह की बात स्वायत्त शासन मंत्री श्री गणेश दत्त बाजपेयी से हुई और उन्होंने यह स्वीकार किया कि संशोधन पर हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हरी सिंह और स्वायत्त शासन मंत्री जी की बातचीत के समय श्री बोरा भी उपस्थित थे। यह मामला ऐसा प्रतीत होता है कि जिसमें आगे जांच पड़ताल करना आदरणीय सदन और माननीय सदस्यों की गरिमा के अनुकूल न होगा। अतः मैं इसे समाप्त करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

वह अपने हस्ताक्षर से इन्कार कर रहे हैं और आप समाप्त कर रहे हैं। आपने जो पढ़कर सुनाया, हरी सिंह कह रहे हैं कि हस्ताक्षर नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य इन्कार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हस्ताक्षर हैं तो यह कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष—

श्यामधर जी, मुझे खेद है कि आप सुनने का प्रयास नहीं करते। मैंने यह कहा कि श्री हरी सिंह ने श्री सोहनवीर सिंह तोमर से कहा था कि यह संशोधन मेरा नहीं है और उन्होंने मेरे कक्ष में भी कहा था। मैंने उसे जांच के लिए भेजा।

मैंने मुख्य मंत्री जी के पास भेजा, अब वही सदस्य हरी सिंह जी कहते हैं कि नहीं, संशोधन पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। तो अब इनके दो बयान हैं और आखिर में उनका कहना है कि संशोधन पर उनके ही हस्ताक्षर हैं, तो यह प्रश्न अब यहीं समाप्त हो गया, कोई चीज आगे नहीं उठती है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपने इस मामले को जिस तरह कह दिया, उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसा कहा हरी सिंह जी आपके सम्मुख गये और कक्ष में कहा, कक्ष में जाकर कहा, तो वह वैसी ही समझी जाएगी कि जैसे उन्होंने उसे सदन में कहा, तो अब वह किसी से कुछ भी कहें। अब सोचना यह है कि अध्यक्ष से जो कहा है वह सही होगी या मंत्री से या अन्य से जो कुछ कहा है?

श्री अध्यक्ष—

उनका विशेषाधिकार मंत्री के खिलाफ था और जब अब हरी सिंह जी स्वयं कहते हैं कि उनके हस्ताक्षर हैं तो कोई विशेषाधिकार का प्रश्न मंत्री जी के खिलाफ नहीं बनता है।

गलत ढंग से सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ के विरुद्ध उठाई गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ के टेलीप्रिन्टर मैसेज, दिनांक ९ अगस्त, १९७८ के आधार पर दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को सदन में मैंने यह सूचना दी थी कि

श्री मंजूर अहमद, सदस्य विधान सभा, मेरठ तथा श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य विधान सभा, मेरठ ने सी० आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत अपने आप को गिरफ्तार करवाया। श्री मन्जूर अहमद तथा श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्यगण, विधान सभा ने २१ अगस्त, १९७८ को यह सूचना दी कि जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना गलत थी। उनका कहना है कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची और जिलाधिकारी ने गलत सूचना देकर सदन का अवमान किया है। श्री मन्जूर अहमद तथा श्री अजीत सिंह सेठी ने उपर्युक्त सूचना में यह स्वीकार किया है कि वे हिरासत में लिये गये।

जिला मैजिस्ट्रेट के टेलीप्रिन्टर मैसेज में अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त हैं, वे कोर्टेड अरेस्ट हैं, जिनका हिन्दी अनुवाद मेरे सचिवालय द्वारा 'गिरफ्तार करवाया' किया गया, जिससे यह भ्रम उत्पन्न हुआ। शब्द 'कोर्टेड अरेस्ट' कानूनी भाषा में एक प्रचलित शब्द है और फौजदारी आरोप में माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सदन का यह विशेषाधिकार है कि उसे गिरफ्तारी की सूचना दी जाय, जो तदनुसार दी गयी।

अतः इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक परियोजना, खंड २८, हैदरगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री सुन्दरलाल दीक्षित, सदस्य, विधान सभा ने श्री बाल कृष्ण त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक परियोजना, खंड २८, हैदरगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है। माननीय सदस्य का कहना है कि ३१ जुलाई, १९७८ को वे उक्त अधिशासी अभियंता के पास अपने क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न बाढ़ के खतरे से अवगत कराने के लिए गये। उक्त अधिशासी अभियंता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। माननीय सदस्य का कहना है कि वे आपे से बाहर हो गये और बोले एम० एल० ए० जनता का ठेकेदार बनकर जनता को लूट रहा है, इन्हीं में से आप भी एक हैं, इन एम० एल० ए० से बदनाम और कौन होगा।

डेलीमेल में छपे एक सार्वजनिक भाषण में सभा के एक भाग को "पागल टोरी-जलील, बदमाश और पाजी" की संज्ञा देने के सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स के अध्यक्ष के निर्णय, जिसका उल्लेख २० अप्रैल, १९६० को लोक सभा में तत्कालीन अध्यक्ष के निर्णय में है, के अनुसार विशेषाधिकार भंग का मामला तभी उठता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग सारी सभा के लिए किया गया हो। किन्तु माननीय श्री सुन्दर लाल दीक्षित जब उक्त अधिशासी अभियन्ता से मिलने गये थे तो वे सदन या उसकी समिति के किसी कार्य के सम्बन्ध में नहीं गये थे। इसके अतिरिक्त लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने मथाई के मामले में कहा था "यह बात सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती कि प्रत्येक

[श्री अध्यक्ष—]

ऐसे वक्तव्य पर ध्यान दिया जाये जो सभा के अवमान की परिभाषा में आता हो। सभा की गरिमा इसी में है कि वह ऐसी अनुचित तथा विवेकहीन बातों पर ध्यान ही न दे।" (दूसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की नवीं रिपोर्ट, पृ० २१)।

धीरेन्द्र भौमिक के मामले में भी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति ने फैसला किया कि श्री भौमिक, जिसने अध्यक्ष तथा सभा पर आक्षेप करके सभा का अवमान किया है, ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसके लेख पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय और इसलिये सभा की गरिमा इसी में है कि वह इस मामले में आगे कोई ध्यान ही न दे--(दूसरी लोक सभा की विशेषाधिकार समिति की ग्यारहवीं रिपोर्ट, पृ० ३१)

जिन भाषणों तथा लेखों में सभा, उसकी समितियों तथा सदस्यों पर आक्षेप किये गये हों उनके सम्बन्ध में ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स का सामान्य रवैया, विशेषाधिकार समिति ने डेली मेल के मामले में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है--

"यह बात सभा की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि प्रत्येक ऐसे मानहानि कारक वक्तव्य के बारे में दंड देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय, जो विशेषाधिकार भंग की परिभाषा में आता हो। समिति यह तो मानती है कि संसद का कर्तव्य है कि जहां पर ऐसे आक्रमण किये जायं जिनसे कि संसद में जनता का विश्वास कम हो जाय या लोग उसका समर्थन करना छोड़ दें, वहां पर कार्य करे। लेकिन हमारा विचार है कि इस बात का भी बड़ा महत्व है कि संसद के विशेषाधिकार सम्बन्धी कानून को इस ढंग से लागू नहीं करना चाहिये कि स्वतन्त्र रूप से विचार प्रकट करने या आलोचना करने में बाधा पड़े या उसके लिये व्यक्ति निरुत्साहित होते हों। वह आलोचना और विचार चाहे कितने ही अतिशयोक्तिपूर्ण या पूर्वधारणाओं पर आधारित क्यों न हो। इसके साथ ही संसद की जांच की प्रक्रिया का प्रयोग इस ढंग से नहीं होना चाहिये कि उससे गैर जिम्मेदारी से कही गयी बातों को महत्व मिले--(हा० आ० का० १९२-१९४७-४८, पृ० ४।)

उपर्युक्त तथ्यों एवं दृष्टांतों के प्रकाश में मैं समझता हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के रूप में उठाने की इजाजत दी जाय। परन्तु मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह श्री सुन्दरलाल दीक्षित की शिकायत—यह शिकायत मैंने माननीय मुख्य मन्त्री को भेजी भी है—की अविलम्ब जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करें तथा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से मुझे भी अवगत करा दें।

एक सदस्य—

एक मिनट मेरा निवेदन सुन लिया जाय, अगर इजाजत हो।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६३ के अनुसार जो सूचनायें होती हैं जिन पर मैं स्वयं निर्णय लेता हूं उस पर आवश्यकता नहीं है।

साप्ताहिक पत्रिका 'रविवार' में 'मवेशी चोर मन्त्री' शीर्षक से छपे समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री आरिफ महोम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक 'रविवार' में दिनांक २० अगस्त, १९७८ को "मवेशी चोर मन्त्री" के शीर्षक से समाचार छपा है जिसमें कहा गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से आये राम नरेश मन्त्रि मंडल के एक सदस्य के बारे में एक रिटायर.... (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कल डेढ़ घंटा इस विषय पर चर्चा करवा दी। फिर आज चर्चा करवा रहे हैं। ऐसी बेबुनियाद बातों पर चर्चा सदन में होगी। अब इनके बारे में मिश्रा जी कहते हैं, इनके बारे उठा रहे हैं, क्या-क्या चोरी इन लोगों ने की है, सारा समय इसी में लग जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह नोटिस कल दी। (व्यवधान)। आप लोग शान्ति रखिये। एक नोटिस मुझको २१ तारीख को मिली। उसके बाद दूसरी नोटिस श्री सोहनबीर सिंह तोमर की मिली। कल मैंने स्वयं कहा था जब श्री शतरुद्र प्रकाश एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे थे। इस सदन के लोग बिना मेरी इजाजत के बोलते रहे जिनको मने कार्यवाही का अंग नहीं माना। नियम ६३ के अनुसार जो सूचना मिलती है उसकी ग्राह्यता पर मुझे विचार करना है। जो सूचना मुझे मिली है उस पर मैं अपना निर्णय दे रहा हूं। नियमों में है कि अध्यक्ष स्वयं निर्णय दे सकते हैं। मैं जिन सदस्यों ने नोटिस दिया है उनकी मदद ले सकता हूं। मुझे सोचना होगा कि जो प्रश्न है उसके निर्णय में लोगों की सहमति लूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आवश्यकता के प्रश्न पर सम्मति ले ली जाये।

श्री मैनेजर सिंह—

कोई खबर अखबार में छप गयी और उसके आधार पर सदन का बहुमूल्य समय नष्ट करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर कहीं पर आप थाने पर रिपोर्ट लिखाते हैं तो वह लिखी जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको फाड़ कर फेंक दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जो सूचना मुझे मिली उसको फाड़ कर फेंक दूं। मुझे उस पर निर्णय देना है। विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करके जांच की कार्यवाही करने की मांग की गयी है। जो सूचना मुझे मिली है उस पर तो मुझे अपना निर्णय देना ही है।

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत तैयारी करके आया हूं ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए :

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं कल से निवेदन कर रहा हूं । मैं बिना आपकी इजाजत के नहीं बोलूंगा । मैं आपकी इजाजात मांग रहा हूं । मान्यवर, मेरी बात जरूर सुन ली जाये । मैंने बहुत तैयारी की है । मैं एक नया सदस्य हूं । मैंने बड़ी तैयारी की है । मैं बिना आप की इजाजत के नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री आरिफ, शान्त रहिए ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मैं सिर्फ ग्राह्यता पर बोलूंगा । मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । मेरी विशेषाधिकार की सूचना 'रविवार' के खिलाफ है जो कलकत्ता से निकलता है । (माननीय मधुकर दिघे के कुछ कहने पर) आप संसदीय कार्य मन्त्री हैं और बीच में बोलते हैं । मान्यवर, संसदीय कार्य मन्त्री जी बीच में बोल रहे हैं. . .

(शोर)

मान्यवर, सदन का अपमान कर रहे हैं ।

(शोर)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे इजाजत दी है । आप कौन होते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहां इजाजात दी है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मेरी यह सूचना "रविवार" साप्ताहिक के खिलाफ है जो कलकत्ता से निकलता है । मैं मानता हूं कि जितने मन्त्रि परिषद् के सदस्य हैं वे अपने आवरण के द्वारा अपने दल विशेष का नहीं बल्कि पूरे विधान मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं । एक मन्त्री पर जिनका नाम भी नहीं लिया गया, मैं यह कहता हूं कि यह समाचार गलत है और बिल्कुल झूठा है । लेकिन एक झूठे समाचार द्वारा अगर मन्त्रि मंडल के सदस्य पर हमला करके पूरे मन्त्रि परिषद् और सदन पर लांछन लगाने की कोशिश की गयी है और जन प्रतिनिधियों की तस्वीर खराब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने की कोशिश की है। मान्यवर, यह बात ऐसी है जिससे आम जनता के दिमाग में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बारे में शुबहा पैदा होता है। आये दिन यह निकलता रहता है कि कितने मन्त्री हिस्ट्री शीटर्स हैं, किसने चोरी की, किसने डकैती डाली, कितने कानून तोड़ा, किसने शिमला में दफा १४४ तोड़ा, किसने खोये की दुकान का उद्घाटन किया जबकि खोये पर पाबन्दी थी? इसलिये मान्यवर, लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बारे में आशंकायें पैदा हो चली हैं और उन आशंकाओं को दूर करने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से आने वाले हर मन्त्री के बारे में उंगली उठायी जाती है। सीजर की बीवी सशपीशयन के ऊपर होनी चाहिये। अगर मन्त्री परिषद् के सदस्यों के बारे में लोगों के दिलों में शुबहा है तो राज काज नहीं चल सकता है। अगर मन्त्रियों के खिलाफ इस प्रकार की बातें छपेगी। मान्यवर, मैं विशेषाधिकार के मामले में अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह पृष्ठ ४८० के नम्बर ३ पर है। इसमें दिया हुआ है—

> "जब तक कोई समाचार पत्र जानबूझकर असत्य समाचार प्रकाशित नहीं करता तब तक उसके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।"

तो मान्यवर, इससे यह बात साफ जाहिर होती है कि यह समाचार असत्य है और मैं समझता हूं कि जानबूझकर यह समाचार छापा गया है, मन्त्रि मंडल के सदस्यों की इमेज खराब करने के लिये। इसलिये मान्यवर, इसकी रूह से यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है।

इसके अलावा उड़ीसा असेम्बली का एक मामला है। यह इंग्लिश में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

आप इसका हिन्दी रूपान्तर कर दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

यह मामला "दी ला ऑफ पार्लियामेन्टरी प्रिविलेजेज इन इंडिया" के पृष्ठ २६८ पर नं० ५ पर है। यह हाउस के सदस्यों के आचरण के बारे में है, उसके क्रिटिसिज्म करने के आशय से है।

मान्यवर, अब मैं एक रेफरेन्स इसी पुस्तक के पृष्ठ २७२ के पैरा ७ जो कि पंजाब विधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित है। मान्यवर, जब आप इन रूलिंग्स को मिलाकर पढ़ेंगे तो यह बात जाहिर होगी कि समाचार पत्रों में छपी सूचना....

श्री अध्यक्ष—

आप यह बतायें कि आपने सन् ५२ की पंजाब की रूलिंग का जो जिक्र किया है, तो क्या इस आनेरेबल रूलिंग पर विधान सभा ने उस अखबार पर विशेषाधिकार का प्रश्न माना है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

सन् १९७४ में जार्ज फर्नान्डीज जब वे लोक सभा में विरोधी दल में थे और जो आज जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता है वह प्रोसीडिंग्स भी मेरे पास मौजूद है। तो पीलू मोदी आदि प्रति पक्ष के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाये। पूरी डिबेट को मान्यवर, आप देखें। उसमें माननीय अध्यक्ष लोक सभा ने कोई निर्णय नहीं दिया। चूंकि उसमें वोटिंग हुई ....।

श्री अध्यक्ष--

क्या यह विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

उस पर हाउस में वोटिंग यह कहकर कराई कि जहां तक इस मामले को सौंपे जाने का सम्बन्ध है सरकार ने अपनी तरफ से कहा। लेकिन आज वे ही लोग सत्ता पक्ष में हैं जिन्होंने ७४ में खुद उक्त प्रिविलेज मोशन मांगा है। आज इस पार्टी के लोग सत्ता पक्ष में हैं तो उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिये। विशेषाधिकार का मतलब क्या है ? सदन की सदस्यों की गरिमा की रक्षा के लिए ही विशेषाधिकार बनाया गया है और मैं समझता हूं कि जब मन्त्री के खिलाफ झूठे समाचार छपेंगे तो उनकी गरिमा नहीं रह सकती। इसलिये इस सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए विशेषाधिकार बनाया गया है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं इरिवेलेन्ट एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष के मोह या दुर्भावना से नहीं केवल इसकी ग्राह्यता पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, नियम ६५ में तीन चीजें हैं जो ग्राह्यता के लिये आवश्यक है। एक तो प्रश्न अविलम्बनीय हो। दूसरा प्राग्दर्शन में प्रायमाफेसी केस बनता हो और तीसरे यह सदन के हस्तक्षेप लायक हो। पत्र में अगर किसी व्यक्ति का नाम लेता है तो सदन के अवमान का प्रश्न न होता। उन्होंने किसी मन्त्री का नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि "बदमाश आदमी वासिल सिलाई बजारत लखनऊ में रहता है। इलाके में जानवरों की चोरी कम हो गई है फिर भी सख्त निगरानी रखी जाय"। जो मन्त्रि मंडल के सदस्य होंगे आज भी उन पर निगरानी रखी जा रही है और रिपोर्ट रोजनामचे में दर्ज की गई है और यह भी दरोगा द्वारा कहा गया है कि उन पर निगरानी रखी जाय। आगे जाकर यह कहा कि श्री राम नरेश यादव के मन्त्रि मंडल में यह अकेले ऐसे मन्त्री नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैंने जो पढ़ कर सुना दिया है उसकी आप पुनरावृत्ति न करें। आप केवल इस पर ही कहें कि यह किस प्रकार से ग्राह्य है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैं इसी पर आ रहा हूं। आप श्रीमन्, मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस (१६ वां एडीशन) के पृष्ठ १४१ पर देखें :

Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House.

अर्थात् किसी सदस्य का नाम लिये बिना उस पर आक्षेप सदन पर आक्षेप के समान है। हाऊस आफ कामन्स ने यह डिसाइड किया है। एक और संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार नामक पुस्तक है श्री कौल व श्री शकधर की, उसके पृष्ठ २३८ (सेकेन्ड एडीशन) पर हाऊस आफ कामन्स का एलीगेशन का केस है जिसमें यह माना है कि सदस्यों पर आक्षेप जहां व्यक्तियों को नामजद न भी किया गया हो, इस प्रकार गढ़े जा सकते हैं जिसमें उस सदन की अवमानना हो जिसके कि वह सदस्य हों। ऐसे आक्षेप सदन पर आक्षेप समझे जायेंगे।

मान्यवर, यह एक सबसे बड़ी अथारिटी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको इस "रविवार" पत्रिका में इस ढंग से बनाया गया है (व्यवधान) कि इसमें किसी को नामजद नहीं किया है। अगर किसी का नाम दिया गया होता तो स्पष्ट वह विशेषाधिकार की अवहेलना है। आप कहेंगे कि यह इस पर कैसे लागू है। जो मन्त्रि मंडल का सदस्य होता है वह इस सदन का भी सदस्य होता है। माननीय सदस्य का नाम लिये बिना भी आक्षेप करना और घुमाफिरा कर आक्षेप करना, यह स्पष्ट सदन की अवमानना है। यह बात केवल एक मन्त्री के लिये नहीं कही गयी है, यह भी लिखा है कि और मन्त्री भी ह। देहरादून के बारे में भी लिखा है। तो यह स्पष्ट सदन की अवमानना है।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)—

व्यवस्था का प्रश्न है। हम ४२५ या ४२६ सदस्य हैं। यदि प्रति दिन किसी समाचार पत्र की सूचना या समाचार पर यहां किसी न किसी तरह से विवाद होता रहेगा तो क्या यह सदन का समय बरबाद करना नहीं है? इस तरह से क्या आप इसकी इजाजत देंगे?

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य कोई प्रश्न मेरे सामने लायेंगे, तो उस पर निर्णय करने का मुझे अधिकार है। यह समय बर्बाद करना नहीं है।

सत्यागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

इस समय जो सम्मानित सदस्य की उत्कंठा है, वह समझा जा सकता है, लेकिन कभी-कभी उत्साह के साथ जब नासमझी बर्ती जाती है, तो अफसोस होता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

यह अपमानजनक बात है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

क्या अपमान?

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, यह अपमान की बात है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

अगर किसी मामले के निहित तथ्यों को न समझें तो नासमझी कहना कोई अपमान की बात नहीं है। माननीय आरिफ साहब ने सीजर की पत्नी का हवाला दिया, लेकिन ऐन्टोनी का हवाला नहीं दिया। उन्होंने एन्टोनी की तरह वही कहा जिसको कहते थे कि नहीं कहना चाहते। मान्यवर, नियम ६४ और ६५ देखें। नियमावली के नियम ७४ में लिखा है कि किसी भी सदस्य को शिकायत करने का अधिकार है लेकिन ६५ का (ख) देखें—सूचना के विषय से विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का प्रश्न प्राग्दर्शन से विदित तथा (ग) ऐसे मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो। नियम ६३ मान्यवर, देखें—किसी सदस्य के अथवा सदन के अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से उठाया जा सकता है। मान्यवर, इस समाचार में किसी सदस्य के या किसी समिति के अधिकार के भंग होने की बात नहीं है। सदन के अधिकार भंग होने की बात कैसे आ सकती है? तोमर साहब, आरिफ साहब ने स्वीकार किया है, उसमें किसी सदस्य का नाम नहीं दिया है। जब तक उस समाचार में किसी सदस्य का नाम न छपा हो, तब तक पता ही नहीं हो सकता है कि जिस सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया गया है, वह विधान सभा का सदस्य है अथवा विधान परिषद् का सदस्य है। यह हवाला ही नहीं है। यदि कोई विधान परिषद् का सदस्य, मंत्रिपरिषद् का सदस्य है। तो इस सदन में उसके विरुद्ध किसी भी समाचार के प्रकाशन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का या अवमानना का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है इस सम्बन्ध में आप जरा सा देखें—किसी भी मंत्री के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो। ६ महीने की सीमा तक कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी मंत्री पद ग्रहण कर सकता है। तो मान्यवर, इस समय हम लोग विधान सभा के सदस्य के रूप में बैठे हैं, और इस को आज जानकारी नहीं है कि यह समाचार विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य से सम्बन्धित है...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मेरी पहली आपत्ति मान्यवर, यह है कि इस प्रस्ताव को, इस सूचना को इसी आकार पर अग्राह्य कर देना चाहिए, क्योंकि इसे इस सदन से सम्बन्धित नहीं पाया जा सकता है। इस सूचना में, माननीय विधायक के पत्र में अथवा समाचार पत्र में इतना तथ्य ही नहीं है कि इस सदन के किसी विशेषाधिकार का भंग होना पाया जाता है अथवा अवमानना हुई है। मैं अपने तर्क में उदाहरण भी दूंगा और मैं दृष्टांत भी दूंगा। दूसरी चीज यह है कि जितनी चीजों पर बल दिया गया है उन सभी चीजों का केन्द्र बिन्दु सदस्य है। अगर किसी सदस्य की हैसियत से सम्बन्धित समाचार नहीं है तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। मैं उदाहरण देता हूं। भरत जी ने रामचन्द्र जी की खड़ाऊं लेकर राज्य किया। अगर कोई यह कहे किसी प्रदेश के एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पुत्र की चप्पलें उठायीं और अगर यह समाचार छप जाय, छपा भी है, तो क्या उस आधार पर कहा जायगा कि चूंकि मुख्य मंत्री सदन का नेता होता है प्रा: उस भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया है किसीयुवराज की चप्पलें उठाकर? (मेजों की थपथपाहट)

श्री आरिफ मोहम्मद खां—

चप्पल उठाना और बैल चुराना बराबर नहीं है। दोनों में फर्क है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। कभी-कभी मनुष्य अपने हृदय पर काबू नहीं कर पाता है। बहुत से मंत्रिगण ऐसे हैं जो अधेड़ हैं। एक अवस्था थी वह कभी युवा थे। यदि युवावस्था में उनमें से किसी एक ने अपनी किसी मित्र को प्रेरित किया कि वह उनके साथ भागकर ब्याह रचाकर रहें और बाद में वह विधान सभा का सदस्य और फिर मंत्री हो गये। तो क्या उस आचरण को सदन की अवमानना हम कहेंगे? यदि यह समाचार छप जाय कि लड़की भगाने वाला मंत्री हो गया तो कहेंगे कि इस सदन का अवमान हुआ है? (मेजों को थपथपाने की आवाज।) इसलिए सदस्य का कार्य और आचरण यदि सदन की सदस्यता से सम्बन्धित है, सदन से सम्बन्धित है तभी यह सदन कोई निर्णय लेने में सक्षम होगा।

ब्रिटेन में, हाउस आफ कामंस के अन्दर एक प्रश्न उठा। उसमें यह था कि एक समाचार पत्र में छपा कि ब्रिटेन के सांसदों द्वारा संसद की गुप्त बैठकों में हुई वार्त्तालाप की सूचना सोवियत रूस को मिल जाती थी। यह समाचार प्रकाशित हुआ और यह विशेषाधिकार समिति के सामने आया। विशेषाधिकार समिति ने निर्णय दिया कि इस पर विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं बनता है। इसी तरह से दूसरा दृष्टांत है। जर्मनी में लिपजिक फेयर, एक मेला होता है जिसमें बहुत से व्यवसायी कन्वेसिंग करते हैं व्यापार के सम्बन्ध में। आर्डर्स भी बुक करते हैं। इस सम्बन्ध में एक डेलीगेशन ब्रिटेन से गया। उसमें से एक संसद सदस्य के बारे में एक समाचार पत्र में आरोप लगाया गया कि वह एक व्यवसायिक संस्थान के दलाल के रूप में, कमीशन लेकर, मेले के अन्दर, उस व्यवसाय का प्रचार करते थे। यह प्रश्न ब्रिटेन की संसद के समक्ष आया। इस पर कहा गया कि यह एक व्यक्ति का आचरण है इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

इसी तरह से १८८७ का टाइम्स का केस है। एक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग अपराधों को बढ़ावा देकर आजीविका पैदा करते हैं। इसके बारे में भी कहा गया कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। डेली मेल का दूसरा केस है, इस तरह के मामलों की एक शृंखला है जिसमें निर्णय कर दिया गया है कि इस प्रकार के मामले जो सदन के किसी सदस्य के सदस्य रूपी आचरण से सम्बन्धित नहीं है उनके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

मान्यवर, रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में विधान सभा या विधान परिषद् राज्य सभा या लोक सभा में चुनकर आयेगा उसकी योग्यताओं और अयोग्यताओं का जिक्र किया गया है। उसमें जिसको सजा मिल चुकी हो, ६ वर्ष बीत चुके हों कुछ विशिष्ट मामलों में, वह भी विधान सभा, विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के योग्य हैं। कोई सजा याफ्ता अपराधी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जब ऐसा व्यक्ति सदस्य हो सकता है तो जब राज्यपाल महोदय ने अपने विवेक से मंत्री नियुक्त कर दिया तो उसमें विशेषाधिकार का क्या प्रश्न है इसलिए विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—

यह जो आप दलील दे रहे हैं तो यह नहीं। यहां पर विशेषाधिकार का प्रश्न किसी मंत्री या सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध नहीं है। विशेषाधिकार का

प्रश्न तो अखबार के सम्पादक और प्रकाशक के विरुद्ध है । इसलिए आपको कहना चाहिए कि उस अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है । यहां पर किसी मंत्री के चरित्र या उनके आचरण या राज्यपाल ने उनको नियुक्त किया, यह हमारे सामने विचारणीय नहीं है ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यदि किसी सदन के सदस्य का आचरण सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है तो उसके उस आचरण पर यदि कोई समाचार पत्र टीका टिप्पणी, आलोचना करता है तो उसके आधार पर उस पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के भंग का प्रश्न नहीं है । इसलिए मैं पहले यह सिद्ध करना चाहता था कि यह आचरण सदन से सम्बन्धित नहीं है ।

मान्यवर, इस देश में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता के हम हामी हैं । तो जब हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि देश के अन्दर समाचार पत्रों को निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए । तो मान्यवर, उसमें और विशेषकर प्रजातंत्र के समय में इस तरह की आलोचनायें अनुमति देने योग्य है । आलोचना कठोर और अप्रिय हो सकती है लेकिन यदि वह आलोचनायें सदन की मर्यादा भंग नहीं करती हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं होगा । सदन की मर्यादा तो छोटी-छोटी बातों को उपेक्षा (इग्नोर) करने में होती है । मर्यादा की रक्षा सीमा के अन्दर रहने से होती है । इसलिए यह प्रस्ताव आप निरस्त कर दें ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

पहली बात यह है कि क्या आप समझते हैं कि जो शब्द छपे हैं वह तौहीन आमेज हैं कि नहीं ? यदि हैं, तो फिर इस रूल आफ ला में उस आदमी की तौहीन हुई है । उसको सुनने का मौका मिलना चाहिये । यहां उस आदमी का नाम तो छपा नहीं है । यदि छपा होता तो आई० पी० सी० की दफा ५०० में कोर्ट में मुकदमा वह लड़ सकता था । इसलिए यहां सवाल यह है कि मंत्रि परिषद् में जो कि लखनऊ में, वह है, लेकिन मालूम नहीं कि वह कौन मंत्री है ? उसके ऊपर नजर भी रखी जाय लेकिन पता नहीं किसके ऊपर नजर रखी जाय ? इसलिए उसकी रक्षा कौन करेगा ? आई० पी० सी० में रक्षा मिल नहीं सकती है । सदन अपनी रक्षा करने में सक्षम है । इसलिए सदन में ही यह तय होना चाहिए ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लें । मेरा निवेदन यह है कि मंत्री विधान परिषद् का सदस्य भी हो सकता है और वह भी हो सकता है जिसने चुनाव न लड़ा हो । रामनरेश मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वे इस माननीय सदन के सदस्य हैं और मंत्री की हैसियत से यहां बैठे हैं । सदन के प्रति वे उत्तरदायी हैं । यदि उन पर पुलिस की तरफ से दबाव डाला जाता है तो स्वतंत्रतापूर्वक इस सदन के प्रति जो उनका कर्त्तव्य है उसका निर्वहन वह नहीं कर सकते । फिर किसी एक मंत्री का नाम नहीं लिया गया । ४०, ४५ की यह जो भीड़ है इसमें कोई भी चोर हो सकता है । आरोप स्पष्टतः वर्तमान मंत्रिमंडल पर है जिसके नेता रामनरेश

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यादव हैं। मेरा इतना ही निवेदन है क्योंकि नाम नहीं लिया गया है और सभी मंत्रियों का इस सदन के प्रति कर्त्तव्य है इसलिए अवमान का प्रश्न पैदा होता है और इसको प्रिविलेज कमेटी में न भेजा जाय बल्कि इसका निस्तारण इसी सदन में होना चाहिए।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

एक मिनट मुझे भी दिया जाय...

श्री अध्यक्ष—

मान सिंह जी, इस प्रश्न की गम्भीरता को आपको समझना चाहिए। अब आप बैठ। इस पर वाद-विवाद करना उचित नहीं होगा।

(श्री गनेशी लाल चौधरी के खड़े होने पर।)

मैं किसी को अब अनुमति नहीं दे सकता। आप बैठ जायं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

[× × ×]।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

जो लोग बिना इजाजत बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री मान सिंह आजाद—

[× × ×]।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

[× × ×]।

श्री अध्यक्ष—

जिन लोगों ने मेरी अनुमति के बिना बोला है वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

(श्री गनेशी लाल चौधरी के पुनः खड़े होने पर।)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री गनेशी लाल जी आप बार-बार उठ कर व्यवधान डाल रहे हैं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मुझको आज्ञा तो दें । मैं एक मिनट भी बिना अनुमति के नहीं बोलूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

इस विषय पर मुझे खेद है जिस पर विवाद की आवश्यकता नहीं है, विवाद हो रहा है । नियमानुसार उसका निर्णय या तो अध्यक्ष स्वयं कर सकते हैं या जिन सदस्यों ने प्रश्न दिया है, या अन्य सदस्यों से अपने विवेकानुसार सहायता के लिए कह सकते हैं । यदि मैं आपकी सहायता चाहूं तभी तो आपको सहायता देनी चाहिए । प्रत्येक सदस्य इसके लिए आग्रह करे कि एक मिनट में भी अपना मत देना चाहता हूं तो वह नियम के विरुद्ध है । अगर मुझे आवश्यकता होती तो मैं आपसे स्वयं मदद ले सकता था ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मेरी बात सुन लीजिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी—

मैं आपके नियमों का पालन कर रहा हूं । आप मेरी भावनाओं का आदर नहीं कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

यह आक्षेप सीधा-सीधा आप पर लगाया गया कि आप भावनाओं का आदर नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सदन नहीं चल सकता यदि आपके दल के सदस्य नियंत्रित नहीं होंगे। श्री रस्तोगी का यह व्यवहार उचित नहीं है कि खड़े होकर चीत्कार करें। जब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

(श्री रस्तोगी के पुनः खड़े होने पर) आप बैठिये। फिर आपका यह व्यवहार नियम विरुद्ध है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मेरी बात तो सुनी नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

मैं बैठा जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

श्री रस्तोगी को मालूम होना चाहिए कि जब अध्यक्ष किसी बात को कहने के लिए खड़े हों तब किसी सदस्य का खड़ा होना, यह भी सदन का अवमान करना है। श्री रस्तोगी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह इस सदन की कार्यवाही की गरिमा के विरुद्ध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपने सदस्यों को सदन में अनुशासन और संयम कायम करने के लिए कहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

उन्होंने कुछ कहा ही नहीं।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

[× × ×]।

श्री अध्यक्ष--

श्री रस्तोगी ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां--

मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं। यह आपको चैलेंज दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

लिख कर दें

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

श्री रस्तोगी जी बहुत पीछे बैठे हुए हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह था जैसा कि वह कह रहे थे कि मैं आपको सहायता करना चाहता हूं और इसी संदर्भ में कुछ

नो--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री रामनरेश यादव--]

कहना चाहते थे । इतना जरूर मैं अपने सदस्यों से कहना चाहूंगा और प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी कि यदि सचमुच में कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाना है तो हमारा और आप सब का कर्तव्य हो जाता है कि जब अनुमति मिल जाय उसी समय खड़े होकर अपने विचारों को रखें तभी हमारी और आपकी मर्यादा रहेगी । मैं पुनः सभी सदस्यों से कहूंगा कि नियमों का पालन करें और अध्यक्ष जी को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमेशा जितने भी सदस्य हैं आपकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं और करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जहां आपके प्रति हमारे मन में अत्यन्त आदर और सम्मान है और आपकी हर व्यवस्था सर माथे पर है वहीं इस माननीय सदन के सदस्यों का भी अपना स्थान है । नियम २९४ के अनुसार आपके कथन को मौनपूर्वक सुनना चाहिये । आप एक व्यवस्था दे रहे थे । एक सदस्य ने बोलने की इच्छा प्रकट की थी । सब को आपने मना कर दिया और उसके बाद एक सदस्य को अनुमति देकर कई को अनुमति दे दी । अगर कोई सदस्य खड़ा होता है और प्रार्थना करता है कि उसको मौका दिया जाय तो यह कोई अपराध नहीं है । मैं एक बात जानना चाहता हूं कि माननीय रस्तोगी जी ने कौन से अनादरपूर्ण शब्द कहे ? जहां तक मैं नियमावली को समझ पाया हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुए कह रहा हूं कि माननीय रस्तोगी जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा था जिससे आपके सम्मान को किंचित भी धक्का लगता ।

एक माननीय सदस्य खड़े हो गये और कोई शब्द कह दिया । मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि उस बेचारे के प्रति यह बात हो गयी तो उसके कथन को कार्यवाही से निकाल दिया गया । जिस दिन मेरे कथन को कार्यवाही से निकाल दिया जायगा तो इससे बड़ा अपमान मैं नहीं समझता । मुझे पता तो लग जाय कि कौन सा ऐसा अभद्र शब्द मैंने कहा । माननीय रस्तोगी को यह पता तो लग जाय कि कौन सा शब्द उन्होंने ऐसा कहा । हो सकता है वह उसके लिए खेद व्यक्त करने को तैयार हो जायं ।

जब मैं खड़ा होकर निर्णय दे रहा हूं तो सदस्य खड़े होकर बोलने लगते हैं । मैंने बार-बार कहा बैठिये मैं व्यवस्था दे रहा हूं । किसी सदस्य को बिना अनुमति के नहीं बोलना चाहिये । मैंने कहा कि इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है । लेकिन सदस्य खड़े हुए और मैंने अनुमति दी । जैसा कि मैनेजर सिंह जी ने कहा इस पर बहुत विवाद चला जिसकी कि आवश्यकता नहीं थी । मैंने दोनों पक्षों की बात सुन ली । इस पक्ष को श्री त्रिपाठी जी ने विद्वतापूर्ण ढंग से रख दिया । फिर मुझे अपना निर्णय देना है तो फिर सदस्यों का खड़ा होना उचित नहीं है । जो प्रस्ताव कर्ता थे उनकी भी बात सुन ली और अन्य दल के भी दो-तीन माननीय सदस्यों की बात सुन ली । फिर बार-बार आग्रह करना कि मेरी बात भी सुनें तो यह अवज्ञा नहीं, तो क्या है ? मैं खड़ा हुआ हूं । कम से कम मेरे खड़े होने के बाद तो बैठ जाना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे यह निवेदन करना है कि जब आप किसी को बोलने के लिए बार-बार मना करते हैं और कहते हैं कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं और वह सदस्य लगातार बोलता चला जाता है और आप मौन हो जाते हैं । आपने अनुमति तो दी नहीं और न ही आपने इंगित किया कि बोलिये । आप चुप रहते हैं और वह बोलता जाता है तो मुझे यह पूछना है कि किस प्रकार आप बोलने की अनुमति देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आपने तो स्वयं ही उत्तर दे दिया ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

एक बात माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ नहीं कहा । माननीय रस्तोगी जी ने कोई शब्द कहा या नहीं, मैं नहीं जानता । उन्होंने कहा--नारायन नारायन । उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल किये, उनको मैं अपनी जबान से नहीं कहना चाहता । उसके बाद भी देखता हूं कि एक को दबाने के लिये ऐसा कह दिया जाता है और दूसरे को कुछ नहीं कहा जाता । तो मैं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल से पूंछना चाहता हूं कि वे इसके बारे में बतायें ताकि भविष्य में ऐसी गलती न कर सकूं ।

श्री अध्यक्ष--

आरिफ मोहम्मद खां ने मेरा ध्यान खींचा है । वह कार्यवाही को देखकर मैं स्वयं निर्णय कर लूंगा । आरिफ मोहम्मद खां और श्री तोमर ने कलकत्ता साप्ताहिक के खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना दी है । इस सम्बन्ध में मैंने आरिफ मोहम्मद को भी सुना और माननीय सोहनवीर सिंह तोमर को भी सुना । उनकी दलीलों का सार यह है कि निराधार और असत्य समाचार प्रकाशित करके सदन की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया गया । अतः "रविवार" के सम्पादक और उसके प्रकाशक के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय जो इसकी जांच करने के बाद उचित निर्णय करे ।

पहली बात तो यह है कि क्या यह सदन का अपमान है और दूसरा प्रश्न है कि अगर सदन का अपमान है तो क्या इस तरह के प्रश्नों को महत्व देकर हमको उन्हें विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करना चाहिये । कौल और शकधर की पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की ओर श्री त्रिपाठी जी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया जिसमें कहा गया है कि यह बहुत दिनों से मान्यता है कि सदन की गरिमा पर और किसी सदस्य के ऊपर यदि कोई आक्षेप हो तो वह सदन का अपमान है जिसको दण्डित किया जा सकता है । यह सत्य है कि जो आक्षेप किसी सदस्य पर हो या किसी मंत्री पर हो, वह ऐसा कार्य हो जो कि उसने चाहे जानकर या अनजान कर एक सदस्य की हैसियत से अपने कर्तव्य के पालन के अन्दर किया हो । तो जहां तक त्रिपाठी जी ने कहा, उस पत्र में जो भी आक्षेप है, यह 'बेग' है । उसमें यह नहीं कहा कि किसी सदस्य ने मंत्री की हैसियत से या सदस्य की हैसियत से कोई ऐसा कार्य किया जिनकी उसने आलोचना की । श्री आरिफ

[श्री अध्यक्ष--]

ने श्री जार्ज फर्नाडीज और उस पत्र का जिक्र किया है । मैं उसको जानता हूं । मैं भी उस समय राज्य सभा में था । प्रश्न प्रतिपक्ष की तरफ से उठा । लेकिन मैंने स्वयं आपसे प्रश्न किया कि क्या इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया गया, तो आपने स्वयं माना कि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द नहीं किया गया । प्रश्न यह है कि इस तरह के समाचार जो निराधार, निर्मूल हैं, अगर किसी अखबार में प्रकाशित हों तो क्या इस माननीय सदन को इन सभी प्रश्नों पर संज्ञान लेना चाहिये । यदि यह सदन इस तरह के प्रश्नों को संज्ञान में लेगा तो ठीक नहीं होगा । उसको तो घृणास्पद और उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिये । बहुत से ऐसे प्रश्न हैं कि अगर कोई मान लीजिए मैं कहता कि अगर कोई बैल आ रहा है । बैल किसी के सींग मार दे । क्या आप बतायेंगे कि हम उस पर कोई नोटिस लेंगे । एक दफे हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जब श्री गोविन्द बल्लभ पन्त थे । वे बरेली स्टेशन पर जा रहे थे और उनके पत्र के जो सलाहकार थे, उन्होंने एक पत्र उनके सामने रखा । पन्त जी ने उसे फेंक दिया । उनके पत्र सलाहकार ने कहा कि इसमें आपकी आलोचना की गयी है । पन्त जी ने कहा तो मैं इस पत्र को पढ़कर उस व्यक्ति को अनुग्रहीत नहीं करना चाहता और उसे उपेक्षा की दृष्टि से फेंक दिया । इस प्रकार के पत्र को विशेषाधिकार समिति को भेजना सदन के समय और धन का अपव्यय होगा और इसकी उपेक्षा करनी चाहिये । अतः इस प्रश्न को मैं ग्राह्य नहीं करता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वे अपनी ओर से इसका स्पष्टीकरण कर दें कि क्या सही है और क्या गलत है । मैं प्रिविलेज की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

एक और प्रश्न है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

क्या इसी के बारे में है ?

श्री अध्यक्ष--

इसी के बारे में है । श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने भी विधान परिषद् में विपक्ष के नेता श्री ब्रह्मदत्त तथा श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमानना की सूचना दी है । वह भी इसी प्रकार का प्रश्न है । लिहाजा मैं इसको भी ग्राह्य नहीं करता हूं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह किसके खिलाफ है ?

श्री अध्यक्ष--

जिस अखबार का मैंने नाम लिया है ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८*

श्री आबिद अली (परिवहन मंत्री)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री आबिद अली--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करता हूं ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय सभा के लिए सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--

मुझे निम्नलिखित चुनाव के कार्यक्रम की सूचना सदन को देना है :--

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिए विधान सभा के ५ सदस्यों तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

(१) नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
(२) सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह (सचिव विधान सभा के कक्ष में) ।
(३) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
(४) मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से ५ बजे अपरान्ह तक कमरा नं० ४८, विधान भवन में होगा ।

*दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक काम रोको प्रस्ताव के जरिये श्री ऊदल ने सूचित किया है कि जनपद मिर्जापुर के रेणुकूट स्थित हिन्डालको के मजदूरों के प्रश्न को लेकर वहां धारा १४४ लागू की गयी है तथा कुछ मजदूरों को गिरफ्तार किये जाने की बात है ।

कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही होती है, उसमें कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं आता । इसलिए मैंने इसको अस्वीकृत किया है ।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप जो व्यवस्था देंगे वह तो शिरोधार्य है, लेकिन आप दो-एक मिनट बात जरा सुन लें । वहां १५ अगस्त के पहले से ही धारा १४४ लगा दी गई है, सारे नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए गये हैं, सभा सोसाइटियों पर पाबन्दी लगी हुई है, डेढ़ सौ के करीब मजदूर निलम्बित कर दिये गये हैं । झारखण्डे राय जैसे नेता, जो आपके साथ एम० पी० रहे, वहां भी सदस्य रहे और मंत्री भी रहे, जो वहां की स्थिति देखने गये उनको भी गिरफ्तार करके जेलखाने में बन्द कर दिया गया । १५-२० मजदूर भी पकड़कर बन्द कर दिये गये हैं । वहां लालेसनेस व्याप्त है । पुलिस और पी० ए० सी० पूरे रेणूकूट में घूम-घूम कर गाली-गलौज और अत्याचार कर रही है । इससे किसी भी वक्त संगीन घटना घट सकती है । अगर आप काम रोको प्रस्ताव नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, तो आप श्रीमन्, सरकार से एक बयान ही दिलवा दें ।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, यह बात जब मेरे संज्ञान में लाई गई तो आज ही मैंने इनकी यूनियन ए० आई० टी० यू० सी० के प्रतिनिधियों अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक इसी सम्बन्ध में साढ़े तीन बजे बुलाई है, इस पर विचार करके समाधान निकालने के लिए । जहां तक पुलिस व १४४ का सवाल है, वहां पर हाल ही में एक मजदूर की हत्या हो गई है । किसने की यह अलग बात है, ऐसी स्थिति में वहां पर पुलिस और १४४ की व्यवस्था करना लाजमी हो गया है । जहां तक मजदूरों की मांगों का सम्बन्ध है, उस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए ही सारे सम्बन्धित लोगों की बैठक बुलाई गई है ।

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए ।)

श्री ऊदल--

मंत्री जी की बात शिरोधार्य है, वह आप सुलझा लें, लेकिन शान्ति और व्यवस्था की जो स्थिति है और गिरफ्तारियों से सम्बन्धित जो आतंक व्याप्त है, उस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी से ही आप वक्तव्य दिलवा दें । श्रम मन्त्री तो अपने विभाग से सम्बन्धित बातों पर कार्यवाही कर रहे हैं । यही मैंने माननीय अध्यक्ष से भी कहा है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया है, अब वक्तव्य बाद में दे देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

जो शान्ति और व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है, उस पर वक्तव्य गृह मंत्री की ओर से होना चाहिए।

श्री रमा शंकर कौशिक--

वहां पर जो समस्या है और जो सारी स्थिति है, उन्हीं सारी चीजों के परिपेक्ष्य में यह भी है पुलिस का इन्तजाम । उस फैक्टरी के मजदूर, जिसकी हत्या कर दी गई है, उस हत्या के कारण गृह विभाग को ऐसी वहां व्यवस्था करनी पड़ी है । जब बैठक में रास्ता निकल आएगा तो यह चीजें भी दूर हो जायेंगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

ठीक है, पूरा वक्तव्य आप मंत्री जी से दिलवा दें ।

(अगला विषय लेने पर)

श्री ऊदल--

वक्तव्य होगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

होगा ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८†

श्रम मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा संशोधन विधेयक है, लेकिन उतना ही यह बुनियादी और आवश्यक है । ऊदल जी जरा सुन लें तो अच्छा होगा मुझे बड़ा खेद है कि नेगी जी ने इस विधेयक पर अपना संशोधन रखा है । यह ऐसा विधेयक है, जो पिछले अनेक वर्षों से लोकतन्त्र के विरोध में हो रहा था और जो मजदूरों के विरोध में हो रहा था, उन सारी कमियों को दूर करने के लिए इस विधेयक के जरिये कोशिश की गयी है ।

१९४७ के ऐक्ट के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई प्राविधान उत्तर प्रदेश में नहीं है कि जो इन्डिविजुअल इनजस्टिस होते हैं, जिसके साथ सामूहिकता नहीं होती या जिसके साथ कोई मजदूर संगठन नहीं होता, उस मजदूर को सुनने के लिए कोई प्राविधान नहीं है, श्रम न्यायालयों में । १९४७ का जो सेन्ट्रल ऐक्ट है उसके तहत यह प्राविधान जरूर है कि ऐसे मुकदमे श्रम न्यायालयों में चलेंगे जो व्यक्तिगत मजदूरों के हैं । संगठन के जो मुकदमे हैं, या जो सामूहिकता के सवाल

†दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री रमाशंकर कौशिक--]

हैं उन सवालों पर श्रम न्यायालयों में सुनवायी होती रही है, उत्तर प्रदेश ऐक्ट के मुताबिक और सेन्ट्रल ऐक्ट के मुताबिक भी है। लेकिन जो किसी यूनियन के साथ नहीं है, या जिस मजदूर की मांग को मजदूर यूनियन नहीं उठाती या जिसमें सामूहिकता नहीं है, उसके साथ बराबर अन्याय हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे केस होंगे जो व्यक्तिगत मजदूरों के हैं। जो केन्द्रीय कानून है उसकी तहत अपनी सुनवाई की उस अदालत में छूट है जिसमें विशिष्ट प्रकार के जज हैं। इस समय १२ श्रम न्यायालय हैं उनमें से केवल तीन में व्यक्तिगत मजदूरों के केसेज की सुनवाई हो सकती है। श्रीमन् व्यक्तिगत मजदूरों की सुनवाई न हो यह लोकतन्त्र की बुनियाद के विरुद्ध है। बहुमत और संगठन का लोकतन्त्र में एक महत्व है लेकिन लोकतन्त्र में व्यक्ति का भी बहुत महत्व है। इसीलिये जो यह संशोधन विधेयक आज रखा गया है उसमें यह व्यवस्था की गयी है कि जो व्यक्तिगत मजदूरों के डिस्प्यूट होंगे उनको भी इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जायगा। उनको अदालतों में जिनमें यूनियन के केसेज जाते हैं, उसमें व्यक्तिगत केसेज भी मजदूरों के जा सकते हैं। दूसरा जो प्राविधान किया गया है जो बहुत बुनियादी और महत्व का है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, कोरम पूरा नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रमाशंकर कौशिक--

तो श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो केन्द्रीय कानून है उसकी तहत जो उन्होंने शर्त लगायी है कि व्यक्तिगत मजदूरों के केसेज को सुना जा सकता है। हमारे यहां पर ऐसा था कि अगर वैसा प्रिसाइडिंग आफीसर मेरठ में होता था तो मजदूर को मेरठ जाना पड़ता था। अब इस संशोधन के तहत व्यवस्था की गयी है कि जहां का केस होगा वहीं पर सुना जा सकेगा। अगर कोई वैध समझौता अथवा एवार्ड के फैसले को नहीं मानता है, उसके फैसले का क्रियान्वयन नहीं होता है तो सरकार के पास कोई जरिया नहीं था कि उसका क्रियान्वयन कराये। मजदूर और उसकी युनियनें लेबर कोर्ट्स में मुकदमा लड़ती रहती हैं और अगर वह जीत जाती है तो भी फैसले के मुताबिक कार्य नहीं होता था। अब जो संशोधन पेश किया जा रहा है उसके द्वारा सरकार को उन्हें प्रासीक्यूट करने का अधिकार होगा, अगर कोई एवार्ड को नहीं मानता है। उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ६ महीने की सजा दी जा सकती है और आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।

तमाम मजदूरों के केसेज जो सालों चला करती है और उनके हक में फैसला हो जाता है तो भी उनका लाभ उनको नहीं मिलता है। अभी तक सरकार के पास अधिकार नहीं था कि मुकदमा श्रम न्यायालय में चल रहा है तो उसे न्यायाधिकरण में और अगर न्यायाधिकरण में चल रहा है तो उसे श्रम न्यायालय में ट्रान्सफर किया जा सके। हम अब व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई भी मकदमा जहां पर चाहे वहां पर ट्रान्सफर हो सकता है। अभी तक यह अधिकार नहीं था,

लेकिन इस संशोधन के द्वारा यह चीज की जा रही है और ट्रान्सफर का अधिकार हमको होगा । जो मुकदमें चल रहे हैं उनमें जो निर्णय हो उनको लागू किया जाये ।

जहां तक इस विधेयक के प्राविधानों का सवाल है मैंने संक्षेप में उनका उल्लेख किया । यह वैसे भी बहुत ही संक्षिप्त है । यह इतना बुनियादी और क्रान्तिकारी विधेयक है जिससे मजदूरों का हित होगा । इस पर किसी विवाद की गुन्जाइश नहीं है और मैं नेगी जी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने संशोधन दिया है उन्हें वापस ले लें और इस विधेयक को स्वीकार करें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह स्वागत योग्य है । मैं समझता हूं कि सभी पक्ष के लोग इसका स्वागत करेंगे । जो व्यक्तिगत मजदूर थे जो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिधि में नहीं आते थे अब उसका प्राविधान इसमें कर दिया गया है । इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, मेरा प्रस्ताव तो यह है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिसे इस बिल की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो । मान्यवर, माननीय गणेश दत्त बाजपेयी जी जब श्रम मंत्री थे तो वे भी खुद इस चीज को महसूस करते थे कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट है चाहे वह केन्द्र का हो या वह उत्तर प्रदेश का हो, ना काफी है । कन्सीलिएशन की प्रोसीडिंग्स देखिये मान्यवर, उनमें इतने मामले चलते हैं परन्तु कोई फायदा नहीं होता । लगातार चलते रहते हैं । कोई अधिकार कन्सीलिएशन आफिसर को नहीं है ।

मान्यवर, मेरे सामने एक केस है । हिन्डालको का एक श्रमिक है । वर्ष १९६९ के जुलाई में उसकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई । १४-११-७१ को श्रम न्यायालय ने उसको बहाल कर दिया । उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गयी जो कि खारिज हो गयी । अब १९७८ चल रहा है और अभी तक उस बेचारे को नौकरी पर नहीं रखा गया । अब मैं पूछना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल डिसप्यूटस ऐक्ट इसलिए बनाया गया ताकि कमजोर वर्ग जो है, श्रमिक जो हैं उनको उससे जल्दी से न्याय मिल सके । ७१ का मामला है और ७८ तक निर्णय नहीं हो पा रहा है । अभी तक उस पर अमल नहीं हो रहा है तो क्या न्याय आप मजदूरों के साथ करेंगे । मान्यवर, जितने भी आपके अधिकारी हैं इंडस्ट्रियल डिस्पयूटस के उनको कोई अधिकार नहीं है ।

दूसरी चीज, मान्यवर, इस कानून के अन्तर्गत केवल वही मजदूर जा सकते हैं जिनकी नौकरी समाप्त की गयी । वह मजदूर क्यों नहीं जा सकते हैं जिनको निलम्बित किया गया है और अन्य प्रकार की सजा दी गयी है ? एक बात और है मान्यवर, आप उनको अधिकार तो दे रहे हैं कि कोर्ट में जायें, कोर्ट्स बना रहे हैं उन कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह उनको कोई अंतरिम रिलीफ दे सके । किसी की सजा पेन्डिंग करने का अधिकार उनको नहीं है । आज हिन्डालको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी--]

के बिरला जी ने जो मजदूर निकाल दिए तो वह कोर्ट में गए । परन्तु आपकी अदालत को यह अधिकार नहीं है कि उन्हें स्टे आर्डर दे सके । अदालत में ३ साल तक फैसला पड़ा रहेगा । फिर ३ साल बाद फिर फैक्ट्री का मालिक हाई कोर्ट में रिट कर देगा । एक मजदूर कहां-कहां जायेगा । बिड़ला जी के पास तो नौकर हैं, वकील हैं, पैसा है ।

इसलिए मान्यवर, ऐसा प्राविधान होना चाहिए कि मजदूरों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके और यह इसके अन्दर नहीं है । आये दिन छटनी होती है, ले आफ, तालाबन्दी होती है । अभी तक कोई प्राविधान नहीं है कि छटनी के सम्बन्ध में या ताला बन्दी और ले आफ के सिलसिले में मजदूरों की भी सलाह ले ली जाय । सरकार भी उसमें मजबूत नहीं है । सरकार को अधिकार मिलना चाहिए ताकि गलत आधार पर मालिक लोग छंटनी और ले आफ न करा सकें । मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी अधिकार होना चाहिए कि वे इसके बारे में उनको अपनी सलाह दे सकें । जब हमारे कांग्रेस वाले भाई राज करते थे तो भले ही उनकी यूनियन अल्पमत में हो या बहुमत में लेकिन बात उनकी ही सुनी जाती थी । आला अफसरान तो सरकार के रहमोकरम पर थे ही वे उनकी बात सुने, एम० एम० एस० की बात सुने, बी० एम० एस० की बात सुनें या हिन्द मजदूर पंचायत की बात सुनें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

सब की सुनी जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आज पंचायत वाले, सभा वाले और भारतीय मजदूर वाले सभी इधर बैठे हैं । जिस घटक के माननीय मंत्री जी होंगे, उसी यूनियन की बात सुनी जायेगी मैं समझता हूं हमारे कौशिक जी जो समाजवादी हैं और ट्रेड यूनियनस के आन्दोलन से सम्बन्धित रहे होंगे । मैं तो समझता हूं कि चुनाव सीक्रेट बैलट के द्वारा होने चाहिए और जिस यूनियन के साथ बहुमत हो, उसको अनिवार्यतः मान्यता मिलनी चाहिए वह अधिकार सबसे बड़ा मालिकों के हाथ में है और जहां पर सरकारी संस्थान हैं, सरकार के हाथ में है । माइनरिटी यूनियन्स बनते चले जा रहे हैं जो केवल बनावटी होते हैं, उनके द्वारा नोटिस वगैरह दिलाकर पैन्डेंसी करवा लेते हैं । तो जो सही यूनियन नहीं हैं उनसे कलेक्टिव बारगेनिंग करा सकते हैं । मान्यता का जो अधिकार मालिकों के हाथ में है उसको आप ले नहीं सकते हैं जब तक आप सीक्रेट बैलट से मान्यता को तय नहीं करवाते हैं ।

अभी भी बहुत से ऐसे सेवा योजक हैं इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में नहीं आते हैं । देहरादून और मसूरी में बहुत बड़े बड़े क्लब हैं जिनमें छोटे मोटे कर्मचारी काम करते हैं । चूंकि वे क्लब हैं इसलिए वे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट की परिधि में नहीं आयेंगे । यही नहीं वहां हर बड़े बड़े स्कूल्स चल रहे हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है । जैसे दून स्कूल है, मार्टिन स्कूल्स हैं । वे स्कूल क्या हैं उनके द्वारा दुकानदारी हो रही है, उनके जरिये से मुनाफा कमाया जा रहा है, दुकानदारी चल रही है । वहां पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं लेकिन वे भी इस ऐक्ट की परिधि में नहीं आते हैं लिहाजा जो रिलीफ उनको मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल पाती है ।

मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं । यह छोटा सा बिल है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधायें मजदूरों को देने का प्राविधान है, मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन यह काफी नहीं है । इस बिल से जो आपकी मंशा है मजदूरों को राहत देने की वह उनको नहीं मिलने जा रही है । इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें यह प्राविधान है कि अगर एवार्डस को सेवायोजक इम्पलीमेन्ट न करें तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है । आपने मालिक का प्रोसिक्यूशन करा दिया, उस पर जुर्माना करा दिया आपने जेलखाने भी अगर भिजवा दिया तो उस मजदूर को उससे क्या मिलेगा ? एवार्ड को इम्पलीमेन्ट करने की क्या मशीनरी है आपके पास जो रिलीफ मजदूर को मिलना चाहिए और जो आप देना चाहते हैं वह इससे मिलने वाला नहीं है । इसलिए आप इसमें जल्दबाजी न करें । केन्द्र में भी एक काम्प्रीहेन्सिव बिल लाया जा रहा है इस पर । आप इसे प्रवर समिति में जाने दें जहां केन्द्र के बिल का भी अध्ययन हो सकेगा और इस बिल पर भी विचार होकर एक अच्छा सा बिल तैयार हो सकेगा ।

श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया । इस संशोधन विधेयक की मांग बहुत अर्से से की जा रही थी । बार बार मंत्रियों द्वारा और सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि मजदूरों के कानून में परिवर्तन किया जायेगा, मजदूर और मालिकों को समानता का दर्जा दिया जायेगा. वह विश्वास अब तक केवल विश्वास ही बना रहा । यह हमारा विश्वास तब तक और दृढ़ हो गया जब इस प्रदेश के श्रम मंत्री हमारे दद्दू हो गए । उनसे हमें आशायें हैं । अभी तक कुछ टेक्नीकल दिक्कतों के कारण कभी भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी, कभी कोई और रुकावट आ गयी । इस कारण मामला लटकता चला गया अब माननीय श्रम मंत्री जी इस विधेयक को ला पाये हैं जिसके लिए बधाई के पात्र हैं मैं इसका समर्थन करता हूं साथ ही अपने कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं ।

श्रमिकों के मामले जो अदालतों में जाते हैं उनमें बहुत समय लग जाता है मिल मालिक चाहते हैं कि उनके मामले काफी दिनों तक कोर्ट में लटके रहें ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम रतन सिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि श्रमिकों के डिस्मिसल और सस्पेन्शन के केसेज में कोई टाइम लिमिट कर दी जाय ताकि समय से निर्णय हो सके और सेवायोजक अनावश्यक रूप से परेशान न कर सकें । मान्यवर, श्रमिकों को कानूनी सहायता देने की बात का बराबर आश्वासन मिलता रहा है कि श्रमिकों को कानूनी

[श्री राम रतन सिंह—]

सहायता उपलब्ध कराई जायगी, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकी मैं निवेदन करूंगा कि श्रमिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाय। श्रमिक के जो कानून हैं इनके सिलसिले में अगर कोई शासन द्वारा बुकलेट तैयार की जा सके, जो साधारण हिन्दी में हो, ताकि जो कानून की पेचीदगियां हैं उनको श्रमिक समझ सकें।

मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एक राजकीय विज्ञप्ति द्वारा कुछ मुकदमों में गोरखपुर में नियंत्रण अधिकार बनाया गया था, उसमें कुछ त्रुटियां रह गई, वहां पर करीब-करीब १०० मुकदमें विचाराधीन थे और शासन की विज्ञप्ति का लाभ उठाकर सेवायोजक हाई कोर्ट चले गये, श्रमिकों को हानि उसके कारण उठानी पड़ी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसमें विशेष रुचि ले लें और ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो यह कठिनाई श्रमिकों और श्रमिक संगठन को हो रही है, यह कठिनाई दूर हो सके। सामूहिक सौदेबाजी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसा नेगी जी ने कहा पहले चाहे जो प्रस्ताव हो, इस समय आप कुर्सी पर हैं, तो आप ही से निवेदन करना होगा। जहां पर जिस युनियन का बहुमत हो, आप देखवा लें, उसी आधार पर मान्यता होनी चाहिए।

यूनियनों के कानूनी अधिकारों की भी आज तक परिभाषा नहीं है। जबतक कानूनी तरीके से अधिकारों की परिभाषा नहीं होती तब तक कठिनाई रहेगी। यह परिभाषा भी होनी चाहिए। एक निवेदन और करना चाहता हूं। हाई कोर्ट्स में प्रेक्टिस के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स में मजदूरों के प्रतिनिधि जाते हैं और मालिकों के प्रतिनिधि जाते हैं। प्रेक्टिस के आधार पर जिस तरह से हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की व्यवस्था है उसी तरह से इनमें भी व्यवस्था की जा सके तो उचित होगा। पहले इन अदालतों में एसेसर की व्यवस्था होती थी अब एसेसर की व्यवस्था खत्म हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि एसेसर की व्यवस्था की जा सके तो उत्तम होगा। अभी तक मजदूर आपकी कृपा से लेबर कोर्ट और ट्रिब्युनल में जा पाते हैं। ऐसी व्यवस्था हो जाय कि मजदूर ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट में सीधे जा सके तो सुविधा होगी।

श्रमिकों की समस्याओं को निपटाने के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि त्रिदलीय पद्धति को बढ़ावा दिया जाय। जो उद्योग हैं उनमें त्रिदलीय पद्धति को जारी किया जाय और इस पद्धति से काम लिया जाय और श्रमिकों की समस्यायें निपटायी जायें। माडल स्टेंडिंग आर्डर्स इतने पुराने हो गये हैं कि उसमें श्रमिकों को न्यायार्थ कठिनाई होती है। इनमें सुधार होना चाहिए।

गांधी आश्रम के सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि गांधी आश्रम के व्यवसायी और सेवायोजक बहुत प्रयत्नशील हैं इस बात के लिए कि गांधी आश्रम श्रम कानूनों से बाहर हो जाय लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको श्रम कानूनों से बाहर न होने दिया जाय। एक और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे भूतपूर्व श्रम मंत्री मौजूद हैं उनके सामने सरकारी गन्ना समिति के कर्मचारियों का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ था और उसमें ३५-३६ मांगें थीं। जिस पर तत्काल श्रम मंत्री जी ने आदेश कर दिया कि इनको निपटाने के लिए अभिनिर्णय हेतु भेज दिया जाय। अब यह पता चला है कि पुनः सेवायोजकों ने

पूछा जा रहा है कि क्या इसे अभिनिर्णय के लिए भेजा जाय ? जिसके खिलाफ मामला हो उसी से पूछा जाय तो क्या वह आसानी से जवाब दे देगा ? ऐसा ही सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बारे में प्राविधान है । प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों से शासन जानकारी करता है कि क्या विवादों को अभिनिर्णय हेतु भेजा जाय सेवा योजक से पूछने पर तो सेवायोजक जरूर देर करेंगे । यह पद्धति उचित नहीं है । मेरा निवेदन है कि यह सेवायोजकों से न पूछा जाय । जिन मामलात में उचित समझा जाय उनको सीधे अभिनिर्णय हेतु भेजा जाय ।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूं । श्रम मंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर एक बात कही कि सभी श्रम संगठनों को समान अवसर दिये जायेंगे । मैं बहुत अदब से जानकारी चाहूंगा कि अभी मसूरी में एक मीटिंग बुलाई थी श्रम मंत्री जी ने । भेदभाव के कारण उस मीटिंग में आई० एन० टी० यू० सी० के प्रतिनिधि नहीं बुलाये गये । तो इससे कुछ लोगों के दिमाग में एक बेचैनी पैदा हो गयी है कि शायद मंत्री जी की कृपा आई० एन० टी० यू० सी० पर नहीं है और आई० एन० टी० यू० सी० को कमजोर करना चाहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ।

इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चीनी उद्योग में एक त्रिदलीय समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष हुआ करती है जिसमें १० प्रतिनिधि आई०एन०टी०यू० सी० के आया करते थे । इस साल बताया गया है कि आई० एन० टी० यू० सी० प्रतिनिधियों की संख्या १० के बजाय ७ कर दी गई है । तो जो सुबहा मसूरी में हुई बैठक से हुआ था उसकी पुष्टि हमको यहां इस निर्णय से दिखाई पड़ी । हम उम्मीद करते है कि श्रम मन्त्री जी अपनी मर्यादाओं की रक्षा करेंगे । यह बात साफ है कि श्रम मन्त्री एक पार्टी से विशेष रिश्ता रखते हैं । ठीक है पार्टी को ताकत दें इसमें मुझे शिकायत नहीं है । लेकिन जब सामूहिक रूप से सब संगठनों को बुलाया जाय, तो भेदभाव रखना उचित नहीं । मसूरी में लिये गए निर्णयों के आधार पर लखनऊ में एक कान्फ्रेन्स हुई जिसमें श्रम विभाग के सभी अधिकारी ५–६ अगस्त को लखनऊ में आये थे और शासन का काफी पैसा खर्च हुआ । मैं समझता हूं कि यह आपका फर्ज है, आप मन्त्री हैं, सब को बुलायें ठीक है, औद्योगिक शान्ति के लिए लेकिन कान्सपिरेसी हो रही हो किसी संगठन को गिराने की, किसी संगठन को ठेस पहुंचाने की तो जाहिर है कि इससे वातावरण दूषित होगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से मान्यवर, पुनः निवेदन करता हूं कि श्रम मन्त्री जी अपनी मर्यादा की रक्षा करें और जो श्रम के सिलसिले में पुरानी मान्यतायें और निर्णय है उनको ऐसा न तोड़ें कि भ्रान्ति उत्पन्न हो जाय और प्रदेश में जो औद्योगिक शांति है उस को खतरा पैदा हो जाय ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने जो विधेयक पेश किया है वह स्वागत योग्य है और मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस विधेयक की परिधि से इस प्रदेश के दो सेठ अछूते रह जायेंगे । डाक्टर लोहिया कहते थे कि देश में तीन सेठ हैं जो देश को लूटते हैं । पहले वह सेठ हैं जो गद्दी पर बैठे हैं, दूसरे बिरला सेठ और तीसरे नौकर शाह हैं । हमें लगता है कि यह जो विधेयक है बिरला सेठ पर तो लागू है लेकिन अन्य दो सेठ इससे वंचित हो जायेंगे । इससे अधिकांश मजदूरों को लाभ नहीं मिल पायेगा । जब यह पुराना विधेयक बना था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी--]

तो उस समय निगमों की बाढ़ नहीं आई थी। लेकिन इधर सरकार अपने दायित्व से भाग रही है इसलिए सरकार सफेद हाथी रूपी निगम बना रही है जिससे लूट खासोट का बाजार गरम है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि चाहे जो सरकार हो वह 'किंकर्तव्य विमूढ़' होकर तमाशा देखाती है।

पिछले साल विद्युत् परिषद् में घाटा हुआ और इसलिए बिजली के रेट बढ़ा दिये गए। मेरी समझ में नहीं आता कि १० दिन पहले यही विद्युत् परिषद् बरेली में २ लाख का हाउस क्लब बनाने के लिए रुपया स्वीकृत किया है जबकि वहां के विद्युत् कर्मचारियों के निवास गृहों का अभाव है। मान्यवर, अब यह विधेयक निगमों पर भी लागू होगा। और जब ५५ निगमों पर लागू होगा तो जो समझौते को नहीं मानेगा उसे दंड दिया जायगा।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जो केस आज भी मेरठ न्यायाधिकरण में चल रहा है। विद्युत् परिषद् के रोटीन ग्रेड क्लर्क तथा टाइम कीपर जब अंग्रेज थे तो तनख्वाह एक थी। हमारी सरकार बनने पर भी एक थी, लेकिन बीच में एक का २१० और दूसरे का १८० कर दिया जबकि भरती तथा काम का तरीका एक ही रहा। इसको लेकर आन्दोलन चला। प्रदर्शन हुए तो मामला न्यायाधिकरण को दे दिया। सरकार के पास रिपोर्ट आई लेकिन सरकार बहाना बनाने लगी तो मजदूर सड़कों पर घूमा। उसके बाद विद्युत् परिषद् कोर्ट में चला गया। मसला लटका हाई कोर्ट में। फैसला जब दिया तो सरकार को अधिकार था उसने दूसरी बार लौटा दिया न्यायाधिकरण को। अब न्यायाधिकरण रोटीन ग्रेड क्लर्क के पक्ष में फैसला दे देगा तो क्या यह सजा होगी? लिहाजा मेरा निवेदन है कि जिस समय विधेयक बना था उसी समय तत्काल इसका समावेश हो जाना चाहिये था।

नए परिवेश में जनता पार्टी को जिन्दा रखना है तो हमको इस पर सोचना होगा कि मजदूर के हितों की रक्षा कैसे हो सकेगी, वर्ना बदलते समय में जनता आपको माफ नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं इसका विरोध करूंगा। कम से कम पुराने जो बाप दादा कहे जाते हैं उनका आदर किया जाता है। सदन में एक बार नहीं अनेक बार कहा गया कि हम मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं। हम उम्मीद करते थे कि बद्दू के हट जाने के बाद आप ही ऐसा विधेयक ले आयेंगे लेकिन इससे मंशा पूरी नहीं होती। उम्मीद यह थी कि जो लेबर एक्ट है उसमें तरमीम की जायगी। पिछले बजट के मौके पर जब श्रम विभाग की ग्रान्ट थी तो एक फैसला हुआ था। कर्मचारी हाई कोर्ट से जीत गया लेकिन मालिक कितना बड़ा है? हिन्डालको का बिरला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, यह सुना है। ऐसे लोगों पर किस तरह से प्रतिबन्ध लगाया जाय यह भी विचारणीय प्रश्न है। १५० लोगों को हिन्डालको ने निकाल कर सस्पेन्ड किया। लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए। लेबर विभाग का यह हाल है कि उसकी कोई सुनता नहीं। हिन्डालको को वह बुलाता रहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। मार्टिन बन्द हो गई। बड़े पूंजीपति थे। सरकार बुलाती रही लेकिन वह आते नहीं थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेबर विभाग के अधिकार बहुत सीमित हैं इसलिए लेबर विभाग को सक्षम बनाना चाहिये ताकि जितने बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो मजदूरों का शोषण करते हैं उनको काबू किया जाय। ग्रेच्युटी का सवाल है इसी तरह बीमे के पैसे कट जाते हैं मजदूर का हिस्सा जमा हो जाता है लेकिन मालिक जमा नहीं करता और यह सरकार भी उनसे कम नहीं है वह भी पैसा जमा नहीं करती है। हम चाहते थे कि एक व्यापक विधेयक आयेगा तो अच्छा होगा। कमियां हमेशा रहती हैं क्योंकि समाज आगे बढ़ रहा है तो वह कमियां भी दूर होंगी।

यह जो विधेयक है यह स्वागत योग्य है उसके लिए मैं बधाई देता हूं, लेकिन यह आश्वाशन चाहता हूं कि निकट भविष्य में एक व्यापक विधयक पेश करेंगे ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी मजदूरों की हो और जो मिल मालिकान हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसलों को दबा देते हैं उन पर प्रतिबन्ध लगे। और वह आगे अदालतों में न जा सके इस तरह का कोई विधेयक लायेंगे। इन शब्दों के साथ में श्री नेगी जी ने प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक श्रमिकों के हित में है मैं इसका स्वागत करता हूं। और साथ-साथ माननीय सदस्यों ने जिन महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर इंगित किया है उनका समर्थन करता हूं। माननीय शम्भू नाथ जी ने तथा माननीय ऊदल जी ने जो कहा है कि एक व्यापक विधेयक लायें। क्योंकि श्रमिकों के लिए कानून तो बनते जा रहे हैं लेकिन बड़ी समस्या जो है वह उन पर अमल होने की है। ग्रेच्युटी का पैसा मजदूरों को तत्काल मिलना चाहिये। आज ही मेरा एक सवाल था माहेश्वरी खेतान शुगर मिल के बारे में। वहां पर मजदूर बड़े पीड़ित हैं किसान उत्पीड़ित हैं। अनुग्रह का पैसा मजदूरों को साल भर बाद भी नहीं मिलता है। शासन का उसके लिए कोई दायित्व नहीं है कि ऐसे लोगों पर अंकुश रखें। इस पर ध्यान देना आवश्यक है।

मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उन्होंने भविष्यनिधि के पैसे में लूट मचा रखी है। उन निरीह और निर्मम मजदूरों को सहायता करनी चाहिए। कई केसेज ऐसे हैं हमारे यहां ही खलीलाबाद में एक बहुत गरीब आदमी एक प्रतिष्ठान में काम करता था, एक मजदूर पडरौना में, मेरे पड़ोस में बीमार पड़ा है। लेकिन उनको भविष्य निधि के पैसे नहीं मिले। उसकी औरत बीमार पड़ी लेकिन भविष्य निधि के पैसे नहीं मिले और दोनों आदमी मर गए। बहुत दिनों के बाद, उसके लड़के के बड़े प्रयास से और मैंने भी प्रयास किया तो पांच साल में जाकर भविष्य निधि का पैसा मजदूर को मिला। यह एक मजदूर की नहीं, करोड़ों, करोड़ों मजदूरों की हालत है।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं। जनता कुछ और सोच रही है, मजदूर कुछ और सोच रहे हैं, उधर के बैठने वाले या इधर के बैठने वाले, हम लोग एक-दूसरे पर छींटाकसी करके निकल जाते हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। मैंने कई बार उस ओर ध्यान आकर्षित किया सदन का और आज भी कहना चाहता हूं कि जो श्रमिकों से ठेके पर काम कराने वाले लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने लूट मचा रखी है। पिछले दिनों की बात है। कठकुइयां मिल में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक]—

माननीय तेज सिंह को ले गया । एक मजदूर से बात की और उससे पूछा कि तुमको क्या मिलता है । उसने कहा कि २ रुपया । उसको नहीं मालूम था कि ये मंत्री जी हैं । जब हम लोग चले आये तो उसका गला दबाया गया कि यहां से हटा दिये जाओगे और उससे उल्टा-सीधा लिखवा लिया गया । यह हर जगह हो रहा है । ये जो कन्ट्रैक्ट लेबर हैं, ये बलि का बकरा है । उनका शोषण देखने वाला कोई नहीं है । हम देख रहे हैं कि लोग किनारे पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं । इसलिए यह बात ध्यान में रखें कि अब इस काम को टाला नहीं जा सकता क्योंकि—

समय की धार में अरमान सारे डूब जाते हैं ।
बुरा जब वक्त आता है, सितारे डूब जाते हैं ।
किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालो,
कभी ऐसा भी होता है, किनारे डूब जाते हैं ।

तो बड़ा विचित्र समय आ रहा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, कोरम पूरा नहीं है ।

(कोरम के लिए घण्टी बजायी गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष —

(श्रम मन्त्री जी से) अभी तीन विधेयक हैं । कृपया अपने साथियों को निर्देश दें कि वे उपस्थित रहें और दुबारा घंटी न बजानी पड़े ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जो सबसे बड़ी समस्या है, वह भविष्य निधि की समस्या है । पूरे प्रदेश में यह समस्या है । यहां के मजदूर बाहर भी काम करते हैं । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय श्रम मन्त्री जी से वार्ता की थी । हम लोग रवीन्द्र वर्मा जी से मिले थे । उन्होंने कहा था कि हम कमिश्नरी लेविल के आधार पर भविष्य निधि के लिए अलग-अलग कार्यालय खोलवाने का विचार कर रहे हैं ताकि मजदूरों को असुविधा न हो । लेकिन इतने बड़े सूबे में केवल एक कार्यालय है, कानपुर में । तो उनके भविष्य निधि की समस्या, बोनस और ग्रेच्युटी का पैसा, ये मामले आसानी से सुलझ जाने चाहिये ।

एक चीज माननीय मंत्री जी से और कहना चाहता हूं कि यह जो 'एक्जी' का मामला है, यह बड़ी भारी समस्या है । हमारे यहां कठकुइयां आदि शुगर मिलों में कोई औद्योगिक कानून उन पर लागू ही नहीं है । श्रम कानों की निरंतर हत्या की जा रही है । उन पर कोई अंकुश नहीं लागू है । तो यह बिल मजदूरों के कल्याण और हित में है । लेकिन इस पर कड़ाई से अमल हो और व्यापक दृष्टि से एक बिल लाया जाय जसा कि माननीय ऊबल जी ने कहा । इन शब्दो के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक मैंने पढ़ा और इसमें कुछ प्रस्ताव आये हैं, जो अच्छे हैं। एक तो इसमें यह प्राविधान किया गया है कि व्यक्तिगत श्रमिक भी बगैर यूनियन के आ सकता है। दूसरा यह कि, केसेज ट्रान्सफर करने की बात रखी गई है और तीसरे मिल मालिकों के लिए पनिशमेंट का प्राविधान किया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जहां यह दो तीन चीजें की गई हैं और इनसे श्रमिक जगत म उत्साह पैदा हुआ है वहीं दो एक बात छूट गई है वह भी जोड़ दी जाती तो इस संशोधन विधेयक में चार चांद लग जाते। वह बात यह है कि श्रमिकों के जो केसेज चलते हैं वह काफी लम्बे अर्से तक चलते रहते हैं। उसमें कभी-कभी तीन-चार साल तक लग जाते हैं और बेचारा छोटा मजदूर जो अपनी छोटी सी मजदूरी से अपना पेट पालता है मजबूर हो जाता है कि या तो वह मुकदमा ही न लड़े या फिर मिल मालिक से समझौता कर ले। फलस्वरूप जो उचित न्याय उसको मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाता। आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि बिल पेश करने से पहले इसका भी समावेश कर लिया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा विधेयक पेश किया है तो जब औद्योगिक झगड़ा पैदा होता है तब समस्या पैदा होती है। प्रति वर्ष हमारे प्रदेश के अन्दर अनेक हड़ताल होती हैं, श्रमिक काम पर नहीं जाते और खुलकर संघर्ष होता है जिसमें रक्तपात तक होता है। अच्छा होता यदि इस प्रकार का प्राविधान इसमें किया गया होता कि इस प्रकार के झगड़े शुरू होने के पूर्व ही ट्रिब्युनल में देखते और झगड़े का निपटारा कर देते जिससे कि जान माल की बरबादी बच जाती और देश के उत्पादन का जो नुकसान होता है वह भी न होता।

तीसरी बात यह है कि जो एवार्ड्स ट्रिब्युनल के माध्यम से दिए जाते हैं उनके विषय में इसमें यह कहा है कि ६ महीने की सजा अथवा जुर्माना या दोनों में से कोई भी सजा मिल सकती है लेकिन यह जुर्माना या सजा काफी नहीं है। एवार्ड्स के कार्यान्वित करने के लिए इस संशोधन विधेयक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये था कि अगर मिल मालिक किसी एवार्ड को कार्यान्वित नहीं करता तो सजा के अलावा किस पद्धति का अनुपालन करेंगे। एक बात यह भी कही गई कि श्रमिक गरीब होता है और इन बड़े-बड़े ट्रिब्युनल्स में आने के लिए इतना पैसा जुटाना मुश्किल होता है। क्या वह न्याय पा सकेगा? ऐसी परिस्थिति के अन्तर्गत श्रमिक की उस विकराल गरीब स्थिति को देखते हुए आपको इस संशोधन के माध्यम से उनको यह सहायता करनी चाहिए थी और कानून में इस बात का प्राविधान होना चाहिए था। जिस तरह से हमने देखा है कि फौजदारी के मुकदमे में आप कानूनी सहायता मुफ्त देते हैं। इसी तरीके से उन गरीब श्रमिकों को जो तीन-चार साल तक तो लड़ाई लड़ें और दूसरी तरफ उनकी रोजी भी नहीं रहती है, ऐसे व्यक्ति के लिए कानूनी सहायता मुफ्त देने का प्रयास होना चाहिए था। इन शब्दों के साथ में नेगी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब परिषद् और निगम इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल द्वारा दिये गये निर्णय का पालन नहीं करते तो उनको किस प्रकार से सजा मिलेगी। सन् १९७५ में मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड और उनके मजदूरों के बीच जो मुकदमा चल रहा था उसमें ट्रिब्यूनल ने उनके ग्रेड का फैसला किया और कम्पनी ने दे दिया। लेकिन विद्युत् परिषद् ने जब राष्ट्रीयकरण किया तो सन् १९६९ से उनको फिर उसी ग्रेड में भेज दिया और इस तरह से अवार्ड और अवार्ड देने वाली संस्था का अपमान किया। इसी प्रकार जितनी भी अधिग्रहीत कम्पनियां हैं उनके मजदूरों का बोनस बकाया है। एसेस्ट्स और लायबेलिटीज तो ले लिया है। हिसाब आप करते रहें। यह तो बीस वर्ष तक चलता रहेगा किन्तु आम मजदूरों का बकाया कम्पनी के ऊपर जो बनता है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस डिबेट में हिस्सा लिया है। मैं मंत्री जी का भी आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने मजदूरों की तरफ ध्यान देना शुरू किया है और कुछ कानून मजदूरों की राहत के लिए लाये हैं। यह सही है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा और इसके गवाह दद्दू जी हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। जितने भी आपके पब्लिक अन्डर टेकिंग हैं वे श्रम विभाग की बिल्कुल कद्र नहीं करती हैं। उनका जो एटीट्यूड है वह श्रम विभाग को हिकारत की नजर से देखते हैं। श्रम विभाग के अधिकारियों को हिकारत की नजर से देखते हैं और कम से कम श्रम मंत्री को तो देखते ही हैं। आखिर जो पब्लिक अन्डर टेकिंग हैं उनको आदर्श सेवायोजक होना चाहिए। लेकिन आदर्श सेवायोजक होने के बजाय इसमें तमाम ब्यूरोक्रेट भरे हुए हैं। आज हर आई० ए० एस० यह चाहता है कि वह किसी पब्लिक अन्डर टेकिंग में चला जाय। क्योंकि वहां जाने से कम से कम दिल्ली जाने और फाइव स्टार होटल में ठहरने और दो सौ रुपया रोज भत्ता बनाने का अवसर तो मिलेगा। उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है तो किस प्रकार आप उनसे मजदूरों के राहत की बात सोचते हैं? आपको चाहिए कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाइये उनको कसिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संशोधन वापस लेते हैं या नहीं? भाषण तो आप पहले भी कर चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जवाब तो देना ही चाहिए था। अगर मंत्री जी कुछ आश्वासन दें तो कुछ हो सकता है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने और खासकर नेगी जी, ऊदल, रामरतन जी और दूसरे सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं वे सब स्वागत योग्य हैं। इससे कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंकार नहीं कर सकता है। लेकिन अब वह समय आ गया है कि हम लोग जो यूनियनें चलाते हैं, हमें सही मायने में सारी चीजों को पूरे परिपेक्ष्य में देखना पड़ेगा और यह भी देखना है कि उत्तर प्रदेश में जो ५ लाख संगठित मजदूर हैं, उनके अलावा जो एक करोड़ के करीब दूसरे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनके कल्याण के मामले में भी हम सब यूनियन वालों को सोचना चाहिए। यदि हम प्रदेश का हित सोचने की जरा भी कल्पना करते हैं तो हमें इस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। सब जानते हैं कि यूनियन की तरफ से जो मुकदमें चल रहे हैं, उसमें यूनियन प्रतिनिधियों की तरफ से भी बार-बार मुकदमें आगे टालने की कोशिश की जाती है, जिससे समय मिल जाए। यह मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, हमारी भी यूनियनें ऐसा ही कर रही हैं। जब तक हम ठंडे दिल से इन सब चीजों पर नहीं सोचते हैं एक करोड़ लोगों के सन्दर्भ में, तब तक मजदूरों की समस्या का जो हम निदान निकालना चाहते हैं, उसको निकालना आसान नहीं होगा।

यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक आना चाहिए। उसका महत्व सब लोग स्वीकार कर चुके हैं कि यह भी आवश्यक है कि एक प्रतिष्ठान में एक यूनियन हो। उसको मान्यता मिले और उसके द्वारा सब काम हों। दूसरे लोगों को भी यूनियन बनाने का अधिकार हो लेकिन प्रतिष्ठान की ओर से एक यूनियन को एक प्रतिष्ठान में एक समय में मान्यता हो। जैसे हम यहां विभिन्न पार्टी के लोग हैं लेकिन बहुमत पार्टी को सरकार चलाने का मौका मिलता है, वैसे ही जिस यूनियन की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या हो, उसे एक-दो साल का समय अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उस दिशा में सोच रहे हैं। यों केन्द्र का इस सम्बन्ध में जो व्यापक विधेयक आ रहा है या आनेवाला है, उसकी भी प्रतीक्षा है। उसके अलावा भी हमको यदि इस बात की जरूरत पड़ती है तो हम उसे भी करेंगे। अब तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसी अवार्ड या वैध समझौते के मामले में कुछ कर सकें, सिवाय इसके कि साल भर की अवधि के बारे में सरकार फैसला ले ले कि एक साल तक आगे यह और लागू रहेगा। अब यह है कि कोई यदि उसे नहीं मानता है तो उसको हम प्रासीक्यूट कर सकते हैं--६ महीने तक की सजा और उसे अर्थ दण्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी और कोई तरीका हो सकता है या इसमें कोई बाधा हो तो हम इस कानून और इस व्यवस्था के बावजूद भी अन्य उपाय करने में हम संकोच नहीं करेंगे, यदि इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

श्री रामरतन जी ने मंसूरी वाले जिस सम्मेलन की बात कही, तो वह सरकारी सम्मेलन नहीं बुलाया गया था। जिन यूनियनों से हमारा सम्बन्ध है दल के रूप में, उन्हीं यूनियनों को उसमें बुलाया गया था। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि जो दूसरे श्रमिक संगठन हैं, उनके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाएगा। जहां तक त्रिदलीय समिति, शुगर वाले मामले में कहा, उसके सम्बन्ध में प्रतिनिधियों को बुलाने की जो संख्या तय की गई है, वह इसी आधार पर तय की गई है कि जो हमारे यहां रजिस्टर्ड संख्या मौजूद है उसी संख्या के अनुपात में सभी लोग बुलाये गये हैं। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है न आगे भेदभाव होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी संक्षेप में कहें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

गांधी आश्रम के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। माननीय सदस्यों से सोचने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि इस मामले में श्रम विभाग या सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह सोचने की बात है कि गांधी आ[illegible] या गांधी संस्थान जो हैं, जिन आधारों पर काम करते हैं अगर उनका मापदंड वही रखा जाय जिस आधार पर बिड़ला, टाटा और दूसरे लोगों की संस्थाएं काम करती हैं, यह सवाल है जिस पर हम लोगों को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। गांधी आश्रम की जो संस्थाएं हैं देश या प्रदेश की उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए अपने ढंग से कोशिश की है जो अन्य प्रतिष्ठानों से अलग पड़ता है। उस सम्बन्ध में जरूर सोचना पड़ेगा कि उनके लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्थाओं की आवश्यकता है या नहीं। यह नहीं कि उनके ऊपर कोई कानून या व्यवस्था न लागू हो। लेकिन इस मामले में थोड़ा विभेद करना पड़ेगा। यह मेरा विचार है। इस पर आप लोगों को भी विचार करना पड़ेगा और बिना आप लोगों के विचार किये, बिना पूरा परिपेक्ष देखे हुए परिवर्तन नहीं किया जायगा। मैं इन शब्दों के साथ जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल के आने से किसी व्यापक विधेयक के आने का रास्ता बन्द नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वीकार करते हैं मेरे सुझाव को कि व्यापक विधेयक की आवश्यकता है। इसलिए प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप वापस नहीं लेते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एक निवेदन था। आपने जो औद्योगिक झगड़ा लगा दिया, "झगड़ा" के स्थान पर "विवाद" रखें। कोई मारपीट झगड़ा नहीं है।

खण्ड २

२--संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

किसी मजदूर की पदच्युति आदि को औद्योगिक झगड़ा समझा जायगा

"२-क--जहां कोई मालिक किसी एक मजदूर की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्य प्रकार से सेवा-समाप्ति करता है, वहां उस मजदूर और उसके मालिक के बीच ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा समाप्ति से सम्बद्ध या उत्पन्न होने वाले किसी झगड़ा या मतभेद को औद्योगिक झगड़ा समझा जायगा भले ही कोई अन्य मजदूर या कोई मजदूर संघ उस झगड़े में पक्षकार न हो।"

सं० प्रा० ऐक्ट सं० २८ सन् १९४७ में नई धारा २-क का बढ़ाया जाना

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३ से ७, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

३--मूल अधिनियम की धारा ४-ङ में--

धारा ४ङ का संशोधन

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (३) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(३-क) श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश,"

(ख) उपधारा (३) में शब्द "अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस" के स्थान पर शब्द "अथवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अथवा स्टेट सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच)" रख दिये जायेंगे।

४--मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात--

धारा ६ का संशोधन

"(२-क) किसी मजदूर की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति से सम्बन्धित औद्योगिक झगड़े के पंचनिर्णय में सेवोन्मुक्ति या पदच्युति को अपास्त करने का और मजदूर को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिसे पंच-निर्णय देने वाला प्राधिकारी उचित समझे, बहाल करने का या मजदूर को ऐसा अन्य अनुतोष दिये जाने का जिसमें सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बजाय मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार कोई हल्का दण्ड देना सम्मिलित है, निदेश दिया जा सकता है।"

धारा ६-छ का संशोधन

५--मूल अधिनियम की धारा ६-छ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(१) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उसमें उल्लिखित कारणों से, किसी कार्यवाही को--

(१) किसी श्रम न्यायालय से वापस ले सकती है और निस्तारणार्थ किसी अन्य श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण को संक्रामित कर सकती है,

(२) किसी न्यायाधिकरण से वापस ले सकती है और उसे निस्तारणार्थ किसी अन्य न्यायाधिकरण को या यदि झगड़ा श्रम न्यायालय की अधिकारिता में हो तो किसी श्रम न्यायालय को संक्रामित कर सकती है, और वह श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसे कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की जाय, संक्रामण आज्ञा में उल्लिखित किसी विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, या तो नये सिरे या उस चरण से जिस पर कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की गई थी, कार्यवाही कर सकता है।"

नई धारा १४-क का बढ़ाया जाना

६--मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"१४-क--कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे निपटारा या पंच-निर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर है, किसी निबन्धन का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है कारावास से, या जुर्माना से, या दोनों से और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रुपये तक हो सकता है, और अपराध पर विचार करने वाला न्यायालय, यदि वह अपराधी पर जुर्माना करता है, यह निदेश दे सकता है कि उससे वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसे उसकी राय में ऐसे उल्लंघन से क्षति पहुंची हो।"

पंचनिर्णय के निबन्धन के उल्लंघन के लिये शास्ति

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

७--औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० के अधीन किसी निर्देश को, जो उक्त अधिनियम की धारा २-क में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से उत्पन्न हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गई मूल अधिनियम की धारा २-क में निर्दिष्ट औद्योगिक झगड़े से उत्पन्न मूल अधिनियम की धारा ४-ट के अधीन किया गया निर्देश समझा जायगा मानों उक्त धारा २-क के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे और किसी ऐसी निर्देश को मूल अधिनियम के अधीन नियुक्त, यथास्थिति श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारण के लिए मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वापस लिया जा सकता है और संक्रामित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम १९७८ कहा जायगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) उपधारा (३) में शब्द 'अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो" के स्थान पर शब्द "अथवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो, अथवा जो स्टेट सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे राज्य के श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो" रख दिये जायेंगे ।"

मान्यवर, सन्दर्भित विधेयक पर अभी चर्चा हो रही थी तो सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की भावना का स्वागत किया है । जिस तरह से मजदूरों का शोषण होता है उसके विरुद्ध उनको राहत मिले और उन का हक मिले । जो प्रशासन है उसको किस तरह से प्रभावी बनाया जाये, इसका इसमें प्राविधान किया गया है । इसलिए यह स्वागत करने योग्य है । आज तक की व्यवस्था में जो कमियां थीं, वह इस के द्वारा पूरी हो जावेंगी । जो अवकाश प्राप्त लोगों को लेकर कोर्ट्स में भेज दिया जाता है उससे कोई काम होने वाला नहीं है । इस समय जो व्यवस्था है उसमें योग्य आदमी नहीं मिलते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत से न्यायालय खाली पड़े रहते हैं और मजदूरों को न्याय पाने में विलम्ब होता है । न्याय में विलम्ब होने का मतलब है कि न्याय की हत्या । इसलिए कोर्ट्स की संख्या को बढ़ाया जाय । जो इक्जीक्यूटिव सर्विस के लोग हैं उनको रखा जाये । उनको लेबर विभाग में कुछ समय तक का अनुभव होना चाहिए और जो लेबर लाज हैं उनका ज्ञान होना चाहिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मुझे यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड ३ के उपखन्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखन्ड रख दिया जाये, अर्थात् :—

"(ख) उपधारा (३) में शब्द "अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो" के स्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[उपाध्यक्ष—]

पर शब्द "अथवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो, अथवा जो स्टेट सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे राज्य के श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो" रख दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खन्ड ३, खन्ड ४, ५, ६, ७ और खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमा शंकर कौशिक—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ †

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कोरम नहीं है ।

(कोरम की घन्टी बजाई गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है प्रदेश के अन्दर जितनी भी चुनी हुई म्युनिसिपैलिटीज थी उनको भंग कर दिया गया । उनके स्थान पर सरकारी अधिकारी कायम कर दिये गये । पहले एक अध्यादेश लाया गया । विधेयक पारित कराया गया । अब इसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है । मान्यवर, जनता पार्टी के लोग लगातार जनतंत्र की दुहाई देते आये हैं । इनका हर शब्द के बाद शब्द होता है जनतंत्र । लेकिन अगर देखा जाय कि जो परम्परा कांग्रेस सरकार ने इस देश और प्रदेश के अन्दर डाली ठीक वही परम्परा जनता पार्टी की सरकार भी कायम कर रही है ।

---

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था, गुप्ता जी का मंत्रिमण्डल भंग हुआ। चौधरी साहब के नेतृत्व में नया मंत्रि मण्डल बना था, उस समय भी यही किया गया था। उस समय जो म्युनिसिपैलिटीज और जिला परिषदों के अध्यक्ष पुरानी कांग्रेस के लोग थे और चूंकि पुरानी कांग्रेस के लोग सरकार के अन्दर नहीं रहे, उनके स्थान पर बी० के० डी० के लोग आ गये इसलिए तमाम जिला परिषदों और म्युनिसिपैलिटीज को भंग कर दिया गया और अपने लोग वहां बैठा दिये गये। ठीक उन्हीं परम्पराओं का अनुसरण देश और प्रदेश के अन्दर जनता पार्टी की सरकार कर रही है।

मान्यवर, चुनाव हुए। जनता पार्टी को भारी बहुमत मिल गया लोक सभा के अन्दर। माननीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह कहकर भंग कर दिया कि अब जनमत उनके साथ नहीं है। बावजूद इसके कि ३ साल इस विधान सभा को चलना था और मंत्रि मण्डल पूर्ण बहुमत में था लेकिन चूंकि केन्द्र के अन्दर जनता पार्टी की सरकार बनी इसलिए राज्यों के अन्दर किसी भी तिकड़म बाजी से जनता पार्टी की सरकार बनाई जाय इसलिए चुनाव करा दिये गये, और चुनाव भी जून के माह में।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेगी जी, आप कृपया अध्यादेश पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। यह उसी से सम्बन्धित है। जो परम्परा डाली जा रही है उसके हिसाब से आप ४ दिन भी जो कांग्रेस के लोग म्युनिसिपैलिटीज या जिला परिषदों में उनके चेयरमैन थे उनके स्थान पर जनता पार्टी के लोगों को बिठाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। यदि अवधि समाप्त होने पर आप उनको भंग करके नये चुनाव कराते तो बात समझ में आती। नये चुनाव नहीं कराये गये और आज भी टाले जा रहे हैं। ये क्यों टाले जा रहे हैं, इसलिए टाले जा रहे हैं कि इस डेढ़ वर्ष के दौरान जो आपका रिकार्ड रहा है उसके आधार पर आपको यकीन नहीं है कि स्थानीय निकायों में आप चुनकर आजायेंगे चुनाव इस लिए भी नहीं कराये जा रहे हैं कि आप टिकट बांटेंगे तो किस घटक को बांटेंगे, किस घटक का सभापति होगा।

आज ही मान्यवर, प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न आया था जिसके उत्तर में मंत्री जी द्वारा बताया गया कि हमने १८ वर्ष की आयु कर दी है। म्युनिसिपैलिटी के लिए तो आपने १८ साल की आयु के व्यक्ति को मताधिकार दे दिए हैं लेकिन देहात क्षेत्र में जो जिला परिषदें हैं, क्षेत्र समितियां हैं उनके बारे में जब प्रश्न आता तो कहा जाता है कि हम अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही कुछ करेंगे। उसमें क्या लिखा है, उस पर विचार करेंगे। आज जो इस प्रदेश में बड़ी ही खतरनाक परम्परा कायम की जा रही है कि जिस पार्टी की हुकूमत है उन्हीं के आदमी स्थानीय निकायों में, और कोआपरेटिव बैंक्स में लिए जायें, उसके लिए ही मैं यह प्रस्ताव सदन में लाया हूं।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी---]

मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश के अन्दर डेढ़ माह के नोटिस पर माननीय गृह मंत्री दिल्ली में बैठ कर आम चुनाव करा सकते हैं तो क्या कारण है कि इतना समय हो जाने के बाद भी स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराये गये हैं ? इसका एक ही कारण है कि आपकी हिम्मत जनता के सामने जाने की नहीं है । यह बात ठीक है कि देश में एक अथौरिटेरियन सरकार थी, उसके विरुद्ध आपने संघर्ष किया और आपने कहा कि हम दूसरा जनतंत्र ले आयें लेकिन इस खतरनाक परम्परा के लिए आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी विरोध कीजिए । जो वास्तव में ईमानदार आदमी हैं वे मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे । इस प्रकार जनतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है और नौकरशाही को मजबूत किया जा रहा है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

मान्यवर, मैंने इसे बड़े गौर से..... ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी बोल लेंगे तभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार प्रकट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

ये विधेयक प्रस्तुत कर दें तो एक साथ विचार हो जायगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

अभी तो यह अननुमोदन पर है । जब वे प्रस्तुत कर देंगे तो मैं बोलूंगा । जब हमारा प्रस्ताव गिर जायगा तभी.... ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तक सदन की परम्परा यह रही है कि दोनों एक साथ विचार के लिए, लिए जा सकते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है । इसके पहले कि आप बुलवायें, कोरम तो देख लीजिए ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

अध्यादेश के ऊपर पहले मत ले लेंगे फिर बाद में विधेयक पर ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, सदन में कोरम नहीं है । आप गिन लीजिए ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

कोरम है ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मंत्री जी के कहने पर कि कोरम है, कार्यवाही नहीं चलेगी । सदन में आपकी आज्ञा से कार्य होगा ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने इस संकल्प को ३-४ बार पढ़ा और मैं यह समझ ही नहीं पाया कि आखिर नेगी जी इसे लाये क्यों ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप अपना प्रस्ताव तो रख दें । विधिवत् प्रस्ताव रखने के बाद आप भाषण दें । १२ नम्बर पर है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

पहले वाले पर पहले विचार तो हो जाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मत हम पहले ११ वाले पर ले लेंगे । दोनों को पेश हो जाने दीजिये ।

*श्री गणेश दत्त बाजपेयी --

मान्यवर, चूंकि सदन में ये दोनों प्रश्नों पर बहस साथ-साथ चल रही एक तो संकल्प आया है, दूसरे इस पर भी, लिहाजा मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, सन् ७७ के शुरू में यह परिस्थिति थी कि कुछ टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज को कलेक्टर देख रहे थे । कुछ म्युनिसिपेलटीज सुपरसीड हो गयी थीं । शेष का समय पूरा हो गया था । तो कुल ६४० स्थानीय निकायों का चुनाव कराना था पहला जो । साल का साल लिया उसमें ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि चुनाव कराये जा सकते । इसके लिये समय बढ़ाना पड़ा । अब ९ फरवरी, १९७९ तक यह काम होना है । इस बीच हमको कई काम करने थे । हमने मैनीफेस्टो में १८ साल का वचन दिया था अतः १८ साल की आयु वालों को भी मताधिकार दिया । कुछ इन नगरपालिकाओं के अधिनियमों में भी परिवर्तन करना था । मतदाता सूची भी तैयार करानी थी । इस सब के लिये जरूरत पड़ी कि हम आपके सामने आयें और समय मांगे । इन बातों को देखते हुये मेरी समझ में नहीं आया कि इस संकल्प को लाकर माननीय नेगी जी आखिर चाहते क्या हैं ? अगर इस संकल्प द्वारा आप इसे रद्द कर देते हैं तो स्थिति क्या होगी ? महापालिकायें वगैरह सब खत्म हो जायेंगी, चुने हुये प्रतिनिधि अभी हैं नहीं, करोड़ों की उनकी सम्पति है, ९० हजार कर्मचारी लगे हैं, आखिर इनके प्रस्ताव का असर क्या होगा ? इसका हम चाहते हैं समरी डिस्पोजल हो जाये और हम आइटम १२ पर आ जायें । नेगी जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को जनमत संग्रह हेतु ३ माह तक के लिए परिचालित किया जाय। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि किसी ने कहा है कि सत्य हो अप्रिय हो तो उसे नहीं कहना चाहिये लेकिन डाक्टर लोहिया ने कहा है कि अप्रिय हो, सत्य हो तो दृढ़ता से कहना चाहिये । इसी भावना से प्रेरित होकर मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं । १९७७ में हवा बही । गर्म हवा बही । अनहोनी घटना हुयी । एक दल समझता था कि सत्ता हमसे जाने वाली नहीं है । हमारे ऐसे लोग जो विपक्ष में थे समझते थे कि सत्ता आने वाली नहीं है । इस घटना के दौरान जब लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में संघर्ष हुआ तो चुनाव मैदान में हम लोग आये और हमने जनता के सामने कुछ वादे किये । मैं मंत्री जी से और अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि एक वायदा हमने चुनाव के दौरान किया था । लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे मंत्री केवल दफ्तर में बैठकर केवल तबादलों की बातें करते हैं और आगे साइन बोर्ड लगा है कि तबादला नहीं करेंगे ।

हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया है कि "पंचायतों और नगर निगमों को जीवन्त करके उनके अधिकारों तथा दायित्वों को विस्तृत किया जायगा ताकि वे एक लोकतांत्रिक शासन के आधार मूल अंग बनकर अभिक्रम तथा योजना कौशल का परिचय दे सकें । इस बात की वैधानिक गारंटी रहेगी कि इन प्रतिष्ठानों के चुनाव यथारीति और यथासमय होते रहें ।" तो यह वैधानिक गारन्टी कहां गयी ? इसकी जगह पर यह संशोधन आया है । इसके पहले श्री बाजपेयी जी नहीं थे । श्री मालवीय जी थे । मैंने उस समय कहा था कि मंत्री जी अगर आगे आप समय बढ़ायेंगे तो जनता पार्टी में रहते हुये हमारा ऐसे लोगों को समर्थन देना मुश्किल हो जायगा । मालवीय जी ने आश्वासन दिया था कि अवधि के भीतर ही चुनाव करा दिये जायेंगे । मालवीय जी चले जायं आप आ जायं इससे मतलब नहीं है । एक पार्टी की सरकार है अगर एक मंत्री ने वायदा किया था तो आप इसे आगे क्यों बढ़ाते चले जा रहे हैं ?

मान्यवर, एक चीज की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । जब सत्र होता है तो राज्यपाल का अभिभाषण होता है । राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन होता है, सारे कार्यक्रम होते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के पारित न होने के सम्बन्ध में एक बार गुप्ता जी को इस्तीफा देना पड़ा था । यह १२ जुलाई, ७७ का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिसको हमने तालियां बजाकर स्वीकृति दी है । इसमें हमने कहा है कि मेरी सरकार की नीति विकेन्द्रीकरण की रहेगी । नगरमहापालिकाओं तथा अन्य स्थानीय निकायों व मंडी समितियों के चुनाव जो बहुत वर्षों से रुके हैं, शीघ्र कराये जायेंगे ।" इस प्रकार इन संस्थाओं का संचालन अधिकारीगणों से हटाकर जनता के प्रतिनिधियों को शीघ्र सौंप दिया जायेगा । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय तक जो स्वायत्त शासन के अधिकार जनता के हाथ में थे उनको भी क्यों छीन लिया ? आपकी गति तबसे विपरीत चली जा रही है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह प्रदेश मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रक्षा की जिम्मेदारी कैसे और किन तरीकों से कर पायेगा जबकि यह एक काम कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं का चुनाव बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं ?

आयु की सीमा आप हल करेंगे यह सम्भव नहीं लगता है। यदि केन्द्र निश्चित करे तो भी वर्षों लग जायेंगे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो उधर के माननीय सदस्यों का कहना है कि जनता पार्टी की छवि धूमिल होती जा रही है तो ऐसा नहीं है क्योंकि जनता पार्टी में ऐसे आदमी हैं जो चाहते हैं कि जनता पार्टी की छवि बने और जनता पार्टी ने जो वायदे किये हैं उनको वह पूरा करे। यदि सरकार उन वायदों को पूरा नहीं करेगी तो हम उन्हें पूरा कराने के लिये जनता पार्टी में रहते हुये भी आलोचना करेंगे। इसलिये जनता पार्टी और सरकार जिन्दा रहेगी और उसकी छवि धूमिल नहीं होगी। कांग्रेस की छवि तो इसलिये धूमिल हो गयी कि इंदिरा की वह गाथा गाने लगी थी लेकिन जनता पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप लोगों की तरह काम नहीं करेंगे। वह अपनी सरकार से वायदों को पूरा कराने के लिये नकेल का काम करेंगे। इसलिये मैंने मंत्री जी से पहले ही कह दिया था कि यदि समय बढ़ायेंगे तो हम साथ नहीं देंगे और आलोचना करेंगे। लेकिन जनता पार्टी में मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह हूं इसलिये जनता पार्टी के सभी आश्वासनों को मुझे मानना होगा। लेकिन हमको प्रजातंत्र में वाक स्वतंत्रता का अधिकार है इसलिये हमारा संशोधन रहेगा। इसीलिये मैंने इन शब्दों का उद्गार व्यक्त किया और यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आज मंत्री जी कहते हैं कि १९७७ में चूंकि कुछ तो म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया सुपरसीडेड थे और कुछ को इन्होंने सुपरसीड कर दिया और लगते-लगते डेढ़ साल इनको हो गया और अभी तक चुनाव नहीं करा पाए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण था कि डेढ़ साल तक वह इन म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव नहीं करा पाए बावजूद इसके कि महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में घोषणा की थी ? आज भी कहते हैं कि हम कराने वाले हैं। कोई तारीख भी बतलाई है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों दुबारा आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। कहा गया कि १८ वर्ष की आयु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]--

के नौजवान मतदाता होंगे लेकिन इस संशोधन विधेयक में ऐसा कोई संशोधन नहीं है। माननीय मंत्री जी यह भी नहीं बतला पाए कि म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया के जो अध्यक्ष होंगे उनके चुनाव डाइरेक्ट प्रणाली से या इनडाइरेक्ट प्रणाली से होंगे।

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का मामला सैलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया था और उसमें काम्प्रेहेंसिव बिल का एग्जामिनेशन हो रहा था लेकिन उस बिल को सैलेक्ट कमेटी से वापस ले लिया गया और दूसरा प्रारूप क्या होगा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का वह इस सदन में नहीं आया। आप फौरन चुनाव करने जा रहे हैं फिर क्या कारण है कि आप इस संशोधन में वे सब संशोधन नहीं लाए हैं जिनको लाने की आप सोच रहे थे। १८ वर्ष की आयु वाले मतदाता होंगे, यह संशोधन इसमें नहीं है। स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का चुनाव डाइरेक्ट होगा अथवा इनडायरेक्ट यह भी संशोधन इसमें नही है।

दूसरे, स्थानीय निकायों को कोई अधिकार नहीं रह गए हैं। सारी पावर्स आपने ले ली हैं। स्वास्थ्य सम्बन्धी मामला हेल्थ डिपार्टमेन्ट में चला गया। पीने का पानी एल० एस० जी० ई० डी० में चला गया। सीवेज का इन्तजाम सीवेज बोर्ड तथा शिक्षा का शिक्षा परिषद् को दे दिया। म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के हाथ में झाड़ू के अलावा कुछ नहीं रह गया। बात आप विकेन्द्रीकरण की करते हैं, महात्मा गांधी के आदर्शों की करते हैं जबकि सत्ता का आप केन्द्रीकरण कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नई पद्धति के अनुसार जब आप चुनाव करायेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज का क्या स्वरूप होगा, उनको क्या अधिकार आप देने जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी इस पर खामोश हैं। यह बड़ा गम्भीर बिल है लेकिन परस्पर विरोधी भाषण मंत्रियों के चुनाव के सम्बन्ध में होते रहते हैं। इन शब्दों के साथ में कहूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार करके एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहूंगा। अध्यादेश निकालने के पश्चात् जो यह विधेयक पेश किया जा रहा है उसमें उनके उद्देश्य और कारणों में बताया गया है कि म्युनिसिपैलिटीज वगैरह को क्यों सुपरसीड किया गया। इसमें देखिए मान्यवर, यह कहा गया है कि उनसे जनता की आकांक्षाएं पूर्णरूप से प्रतिबिम्बित नहीं होती थी, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था। कौन सी आंकाक्षाएं थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था और तुरन्त ही चुनाव करा देते, तब तो यह बहुत उचित बात होती। दूसरी तरफ सत्ता का केन्द्रीकरण करते चले जा रहे हैं।

मान्यवर, इस पार्टी में विरोधाभास इतना है कि कहा नहीं जा सकता है कि चुनाव करायेंगे कि नहीं। पहले जो भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री थे उन्होंने कहा था कि जनता पार्टी जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर संगठित नहीं हो पा रही है इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है। वह अब तक भी संगठित नहीं हुई। यह जनता पार्टी बिना संगठित हुए आई है और बिना संगठित हुए चली भी जायगी। न तो यह संगठित होगी और न चुनाव होगा। पहले एक साल बढ़ाया अब ६ महीने बढ़ाया। अगर १८ साल की आयु करने की बात थी तो उसे पहले भी

कर सकते थे। हम तो आपकी नीयत की बात कहते हैं जो चुनाव कराने की नहीं है। जनता पार्टी की छवि पूर्णरूप से समाप्त हो चुकी है। आशंका है कि आप चुनाव कराने वाले नहीं हैं। इसलिए यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को किसी न किसी जगह का इंचार्ज बना दिया, वह कभी देखता भी है उसे आकर ? आज बदतर स्थिति हो गयी है। जो निर्वाचित लोग थे, वे जितना काम करते थे, आज वह सब कोई काम नहीं हो रहा है, न सफाई का कोई काम, न देख-रेख का कोई काम हो रहा है। इसलिए अब यही सदन से निवेदन करूंगा कि हमारे इस संकल्प को पास करे।

यह तो मान्यवर, संख्या के बल पर जनतंत्र का गला घोटने के लिए यह सरकार आई है। क्षेत्र समिति, जिला परिषद्, स्थानीय निकाय, सहकारिता विभाग हर जगह लोगों को नामांकित करके यह सरकार चला रही है। मैं यह जानता हूं, आज ही मैं यह बता रहा हूं, मान्यवर, इसका चुनाव ये नहीं करायेंगे। इनमें आपस में मतैक्य नहीं है कि कहां किसको रखें, कहां किसको न रखें। आपस में झगड़ा कर रहे है। जनतंत्र की अन्त्येष्टि इनके हाथों से होने वाली है। इसलिए मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि जो संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है, उसे पास किया जाय।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, इस सदन का समय जो है वह बेशकीमती है। मैं नहीं चाहता हूं कि बेकार की मामूली सी बातों में जो आसानी से समझ में आ जाय उनके बारे में कोई विवाद हो और यह सदन की गरिमा के अनुकूल है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री श्यामधर मिश्र बोलना चाहते हैं मैं उनसे निवेदन कर दूं कि समय कम है। दो विधेयक और लेने हैं। अगर आप मान जांय तो अच्छा है। अच्छा, दो मिनट में समाप्त कर दें।

*श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, जो है पिछले साल भी यही अल्पकालिक व्यवस्था के सम्बन्ध में जब भूतपूर्व मंत्री जी लाए थे तो हम लोगों ने यही कहा था जोकि आज कहना पड़ रहा है और अगर आप इसी बात पर अड़े रहेंगे तो फिर आपको साल भर बाद आना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आप इंच भर भी नहीं बढ़े हैं। विकेन्द्रीकरण की बात जो माननीय शम्भूनाथ जी ने की और यह स्वयं आपके घोषणा-पत्र में है, उसकी यह हत्या कर रहे हैं। केवल अधिकारियों का नाम उसमें ला दिया है। भूतपूर्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि नवम्बर की अमुक तारीख तक चुनाव हो जायेंगे। हमने उस समय कहा था ठीक है पास करते हैं। तो वह अमुक तारीख तो क्या वह अमुक महीना भी बीत गया अब मंत्री जी फिर ६ महीने के लिए ला रहे हैं और उसमें २१ से १८ साल की उम्र करने की बात सोच रहे हैं जो उनके पूरे अधिकार की चीज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामवर सिंह---]

नहीं है जिसको केन्द्र ने सब की सहमति से करना है। तो फिर यह दुबारा आयेगा उस समय यह भूतपूर्व मंत्री होंगे या यह सरकार ही भूतपूर्व हो जायगी, मैं नहीं जानता।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री देवबहादुर सिंह जी ने कहा उसे मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। लेकिन आप यह न समझें कि जितना समय बीत रहा है उससे आप लाभ उठायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी देर हो रही है उतनी ही ज्यादा आपकी करारी हार होगी। इसलिए जल्दी-जल्दी चुनाव करा लें तो अच्छा है जैसा कि आपके ही माननीय शम्भूनाथ चौधरी जी ने कहा है। वह इस बात को मानते हैं लेकिन उनको अनुशासन की हिच है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और इतना ही कहूंगा कि कलेक्टरों की व्यवस्था से हमें कोई संतोष नहीं है। यह कलेक्टर लोग स्वयं नहीं देखते हैं। माननीय मंत्री जी अनुभव हैं क्या यह कलेक्टर म्युनिसिपैलिटीज को देखने जाते हैं? वह एस० डी० एम० को कह देते हैं जिनके पास 100 काम हैं इसलिए वह भी ठीक से नहीं देख पाते हैं।

आपने कहा कि अगर इसे रिपील कर दिया जाय फिर क्या व्यवस्था हो? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं लेकिन आप मानेंगे नहीं। अगर मान लें तो मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग पहले चुने हुए थे जो लोग चुने हुए हैं, जो नामिनेटेड बाडीज हैं, चाहे अधिकारी ही हों, उसके चेयरमैन हो जायं। अगर यह कर दें तो मैं राजी हो जाऊंगा। लेकिन आप उसके लिए भी राजी नहीं होंगे क्योंकि आप तो अधिकारियों के प्रेमी हो गए हैं। विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था नहीं चाहते बात डिसेन्ट्रलाइजेशन की करते हैं लेकिन दिमाग केन्द्रीकरण की ओर है। विकेन्द्रीकरण की ओर कतई नहीं है।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, ६ महीने का समय म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाज के इलेक्शन्स के लिए मांग रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, उसमें ये संस्थायें फेल हो गयी हैं। ४ लाख पर मेरठ की म्युनिसिपल कमेटी सस्पेन्ड हो गयी। लगभग ८० लाख का लास हो चुका है। मैं केवल इतना ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था में क्या करें? आप इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हालत यह है कि काम ठप हो चुका है। हुकूमत चल नहीं रही हुकूमत ढोई जा रही है। किसी किस्म का कार्य नहीं हो रहा। तो ८० लाख का जब लास हो चुका, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसे उचित होगा कि हम इलेक्शन आगे ले जायं?

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

मुझे केवल इतना ही कहना है कि ये ६ महीने का टाइम अधिनियम में क्यों मांग रहे हैं? उस बात को मैं सदन की नजर में लाना चाहता हूं। उसमें बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेसी को प्रभावित करना चाहते हैं। उसका सबूत मैं पेश करना चाहता हूं। माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल, जो माननीय मंत्री हैं, ये नगर महापालिकाओं के जो अन्दरूनी मामलात हैं, वहां की जो छोटी-छोटी चीजें हैं, उन पर सीधे यहां से पत्र लिखते हैं। यह है मंत्रियों की आचार संहिता। यह पत्र है आगरा के प्रशासक को लिखा है। उसमें माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने लिखा है कि यह व्यक्ति जो टोल टैक्स में नियुक्त है, उसे न हटाया जाय क्योंकि टोल टैक्स में आमदनी का जरिया है और इसका प्रोन्नति का मामला विचाराधीन है। इस तरह से मंत्रियों की आचार-संहिता की अवहेलना की गयी है और जिला स्तर के प्रशासन में ये मंत्री लोग हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये इस अधिनियम को ६ महीने बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीधे पत्र लिख करके वहां के अन्दरूनी मामलों को प्रभावित कर सकें। यह इसकी फोटो स्टेट कापी है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, पहला तो माननीय शम्भनाथ चौधरी जी का प्रस्ताव है कि तीन महीने के लिए जनमत-संग्रह के लिये भेज दिया जाय। तो तीन महीने बाद हम असेम्बली के रूप में बैठे नहीं होंगे। जब एक तरफ हम अगली ९ फरवरी का समय बढ़ा रहे हैं तो ६ महीने का नुस्खा तो आपने खुद बना दिया। इसके मायने कि जल्द से जल्द करायें कि न करायें। इस सदन की गरिमा की बात आप जानते हैं। प्रस्ताव यह है और डिसेन्ट्रलाजेशन और डाक्टर लोहिया और ईश्वर जाने प्रत्येक चीज जो धरती और आसमान पर है, उसके बारे में बहस होती है। उसके बारे में तो सदन में बहस होती है। मगर मैं यह जानने के लिए उत्सुक ही बना रहा कि उनका उद्देश्य क्या था कि तीन महीने के लिए जनमत-संग्रह होने के बाद हम इसको पास करें तो उसमें ज्यादा समय लगेगा।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों में यह भी भ्रान्ति है कि हम १८ साल की उम्र स्थानीय निकायों के मतदाताओं की नहीं कर सकते हैं और इस सिलसिले में मैंने माननीय मिश्र जी को भी सुना। आखिर हर आदमी को अपने जीवन में इम्प्रूवमेन्ट करने का अधिकार है। मुझे पूरी आशा है कि जो आज नहीं जानते हैं वह भी जान जायेंगे।

दूसरा प्रस्ताव राम आसरे वर्मा जी का और रियासत हुसैन साहब का है। वह यह है कि यह काम प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मान्यवर, अगर कोई बहुत पेचीदा मामला होता तो बात समझ में आती। केवल यह कि ९ फरवरी किसको कहते हैं यह प्रवर समिति के सामने रखें। हमारा कहना केवल इतना है कि ६ फरवरी तक का समय बढ़ा दीजिए जो ९ फरवरी, १९७९ तक चले। इसके लिए प्रवरों के सोचने की क्या जरूरत है। तीसरा, हमारे नेगी जी ने रखा। यह भी बहुत ऊंची बातें करते हैं। उनका है कि दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाय। यानी एक सदन में ऐसे प्रवर नहीं हैं जो बतला पायें कि १० अगस्त से ६ महीने बढ़ाए जायं तो किस तारीख तक चलें। मुझे मान्यवर, आश्चर्य हुआ कि यहां बहुत सी बातें कही गयीं कि नगरपालिकाओं की दशा सुधारने के लिए क्या किया जाय, उनकी संवैधानिक स्थिति क्रिएट की जाय, गन्दगी इतनी है, दुनिया भर की बातें कही गयी लेकिन जो इस संशोधन से सम्बन्धित दो बातें थीं उन पर एक भी जुमला सुनने को मैं तरस गया। दो बातें यह थी कि ६ महीने का समय बढ़ा दिया जाय और दूसरा यह कि जो कृत्य स्थानीय निकायों के कलेक्टरों में निहित है वह ९ फरवरी तक निहित रहने दिए

[श्री गणेश दत्त बाजपेयी—]

जायं। केवल इन दो बातों पर बहस होनी थी लेकिन इन पर मुझे एक जुमला भी सुनने को नहीं मिला। जो प्रस्ताव आये हैं वह स्वीकार करने में मैं समर्थ नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शम्भूनाथ चौधरी, आप अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

एक मंत्री तो आश्वासन देकर चले गए, लेकिन अब जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया है ६ महीने का तो उसको पूरा करना चाहिए अगर आश्वासन पूरा न कर सकें तो वह तो नहीं कहेंगे लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उनको अपना पद त्याग कर देना चाहिए। इसके साथ में अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

जिस समय हमने प्रस्ताव पेश किया था समय की कमी के कारण नहीं बोला था, इसलिए दो मिनट चाहूंगा। सन् ७७ में जब स्वायत शासन विभाग का बजट पेश हुआ था, उस समय मैंने ही कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि शासन की मन्शा ही कुछ चुनाव टालने की जाहिर होती है। मंत्री जी ने जो सवाल उठाये हैं वे उससे अलग नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी आपके प्रस्ताव को नहीं मानते और उन्होंने संक्षेप में जवाब दे दिया। आपने जब प्रस्ताव पेश किया था उस समय बोलना चाहिए था। इस समय कृपया यही बता दें कि आप प्रस्ताव को वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। अल्पकालीन व्यवस्था की बात कही गई है लेकिन अब यह दीर्घकालीन हो गया। इनकी कथनी और करनी में उसी तरह फर्क हो गया है जिस तरह से कांग्रेसी शासन काल में हुआ करता था। कलेक्टरों के हाथ में अधिकार देना निहायत अलोकतांत्रिक है। यह लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, यह बिल्कुल गलत है और यह सब एक धोखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप संशोधन वापस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेगी जी, आप वापस ले रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी चैयरमैन का चुनाव डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट पद्धति से करवाने की सोच रहे हैं, यह बतायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

प्रस्ताव में इसका कहीं उल्लेख नहीं है और उसमें होता तो मैं जरूर जवाब देता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इसीलिए तो यह प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि उधर प्रखर बुद्धी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७८ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री शम्भूनाथ चौधरी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ४, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायेगा ।

(२) यह ५ अगस्त, १९७८ को प्रवर्तन में आया समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, सन् १९७७ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९७७ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे ।

धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में,

(क) शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "अट्ठारह मास" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खंड (ख) में शब्द "टाउन एरिया कमेटी की सभी शक्ति, कृत्य, और कर्त्तव्य" के स्थान पर शब्द "टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य" रख दिये जायेंगे और सदा से रखे गए समझे जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ९, सन् १९७८

निरसन और अपवाद

४—(१) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम भी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री हाफिज रजा खां (जिला बरेली)—

माम्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खण्ड २ के (१) उपखण्ड (क) में शब्द "अट्ठारह मास" के स्थान पर अंक व शब्द "३० नवम्बर, १९७८" रख दिए जाएं, तथा

(२) उपखण्ड (ख) में शब्द "अट्ठारह मास" के स्थान पर अंक व शब्द "३० नवम्बर, १९७८" रख दिए जाएं ।

माम्यवर, मेरा संशोधन बहुत सादा है, इसमें वायदे को पूरा करने का जरा जल्दी मौका मिल जाएगा और आपको नेकनामी का अवसर मिलेगा । यह जो गलतफहमी है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं, उसको दूर करने के लिए यह ३० नवम्बर का वक्त मेरी राय में बहुत मुनासिब है । इस मुद्दत में यह नहीं कि आपकी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है । आपकी कठिनाइयां वास्तविक हैं, अब तक आप गृहयुद्ध में लगे रहे, कंजुअलटी हुई, मंत्री डिसमिस हुए, फिर सूरजकुंड पर आक्रमण हो गया और आप भैंसाकुण्ड और सूरजकुण्ड के बीच में अपना वक्त जाया करते रहे । लेकिन इसको इस तरह से टाला नहीं जा सकता है । एक तरफ आप विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ सबको केन्द्रित करना चाहते हैं, तो यह चल नहीं सकता है । दो बार हमारे राज्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम चुनाव जल्दी कराएंगे लेकिन टाल दिए गये और फिर आप ६ महीने का समय चाहते हैं । यह कहना कि १८ वर्ष तक के व्यक्तियों की लिस्ट तैयार करने में समय लगेगा, मुनासिब नहीं है, मैं समझता हूं नवम्बर तक सारी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी । अतः मैं मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उनका प्रस्ताव बहुत सादा है, मैं भी उससे एग्री करता हूं । उसमें कुछ भी चिन्तनीय नहीं है, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं । अगस्त खत्म हो रहा है, सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर—३ महीने का समय माननीय सदस्य दे रहे हैं अपने संशोधन प्रस्ताव द्वारा, जो गैर मुनासिब है । यह तो इसी सत्र में जहां तक मेरी कोशिश है हो जाएगा, उसके बाद जो एलेक्टोरेल रोल्स हैं, उनको ठीक कराने में ३—४ महीने लग जाएगा । इसके बाद कार्यक्रम निश्चित करने में, तिथियां निश्चित करने में समय लगेगा और उसके साथ कुछ मार्जिन रखना भी जरूरी है । इसीलिए यह ९ फरवरी तक का हम समय मांग रहे हैं । उसमें तीन महीने काटने में कुछ भी चिन्तनीय या चातुर्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के—

(१) उपखण्ड (क) में शब्द "अट्ठारह मास" के स्थान पर अंक व शब्द "३० नवम्बर, १९७८" रख लिए जाएं, तथा

(२) उपखण्ड (ख) में शब्द "अट्ठारह मास" के स्थान पर अंक व शब्द "३० नवम्बर, १९७८" रख दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[श्री उपाध्यक्ष--]

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ४, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं यह भी प्रस्ताव सदन के विचारार्थ आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं कि एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ताकि आज की कार्य सूची में जो विधेयक हैं उन पर भी विचार हो जाय और कार्य निस्तारण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ (क्रमागत)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८†

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्रीमान् यह छोटा सा विधेयक है जिसके माध्यम से बारहवीं कक्षा तक की पुस्तक जिसमें दो तरह की पुस्तकें हैं, कुछ राष्ट्रीयकृत हैं, कुछ स्वीकृत हैं, १२ वीं

†दिनांक ८ मई, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कक्षा तक जो चलती हैं वह रियायती मूल्य के कागज पर इनका प्रकाशन होता है, सरकार के द्वारा इनका मूल्य अधिसूचित किया जाता है। उचित मूल्य पर यह पुस्तकें विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके कोई भी व्यापारी जिसमें प्रकाशक भी शामिल हैं उनको संगृहीत करके कृत्रिम अभाव न पैदा कर दें।

(इस समय ४ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन पीठासीन हुए)

साथ ही साथ उर्दू की कुछ पुस्तकें जो आठवीं कक्षा तक पढ़ायी जाती हैं जिसमें कुछ स्वीकृत हैं। चूंकि इनके पढ़ने वालों की संख्या कम है, इनका विक्रय कम होता है, इस लिए प्रकाशकों को अधिक दाम लगता है। सरकार ने उनको सबसिडी देकर इन पुस्तकों को भी जिस तरह से हिन्दी की पुस्तकें सस्ते दामों पर मिलती हैं, मिल सकें, यह व्यवस्था की गयी है। सदन से केवल यही अनुरोध है कि विद्यार्थियों को आसानी से पुस्तकें मिल सकें इसीलिए यह विधेयक लाना पड़ा है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस पर अपनी स्वीकृति देगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं अपने संशोधन का रूप प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक, विधेयक, १९७८ को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्रीमन्, जैसा मंत्री जी ने कहा कि आज किताबों का अभाव है और जब अभाव होता है तो लोग किताबों और कापियों को एकत्र कर लेते हैं और ब्लैक में बेचते हैं, उसको रोकने के लिए मंत्री जी एक विधेयक लाये हैं जिससे कि वह एक फिक्स रेट पर मिल सकें। मैं समझता हूं कि जहां तक इसका उसूल है वह सही है। लेकिन लोग यह जानते हैं कि अगर कुछ दिन पुस्तकें नहीं मिलेगी तो वह उनके दाम बढ़ाकर बेचेंगे। ६, ६ महीने गुजर जाते हैं और विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल पाती हैं। तो क्या यह सब चीजें इतनी आसानी से समाप्त हो जावेगी। जो लोग इस काम को करते हैं वह इतनी आसानी से कब्जे में आने वाले नहीं हैं। यह बहुत ही गम्भीर मसला है और एक जगह का नहीं पूरे प्रदेश का मसला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाये जो इस पर विचार करे। अगर यह प्रवर समिति में नहीं जायेगा तब तक इस पर कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी की नियत अच्छी है लेकिन इसकी परिधि बढ़ा दी जाये जिससे इस पर यह विचार हो सके कि और क्या क्या चीजे इसमें सम्मिलित की जा सकती हैं। इस पर विचार हो जाये। इसीलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय जी यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका मैं हिमायती हूं और मंत्री जी ने जिस भावना को बताया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सदन का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो यह न चाहे कि विद्यार्थियों को सस्ते दाम पर पुस्तकें सुलभ हों, लेकिन जब इस विधेयक को मैंने पढ़ा तो बहुत सी त्रुटियां मालूम होने लगीं। मंत्री जी ने कहा कि पाठ्य-पुस्तकों की कमी गत वर्ष नहीं थी और इस साल हो गयी। इसका एक मात्र कारण यह है कि किताबें चोर बाजारों में बिकती हैं, इसीलिए ये महंगी हो गयी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी]

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि आज इन पाठ्य पुस्तकों की कीमत तय करनी होगी। अगर आपने किसी और के ऊपर छोड़ दिया तो उचित नहीं होगा। श्रीमन् लागत के ड्योढ़ा मूल्य उस पुस्तक का नहीं होना चाहिए। आप जरा देख लें। परन्तु शब्द क्या कहता है। क्या आप किसी को दण्ड दे पायेंगे। मान लीजिए किसी ने गलती की तो आप अपने इस विधेयक के द्वारा उसे दण्ड नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, न्यायालय की प्रक्रिया यह है कि कोई भी कानून की अज्ञानता से दण्ड से वंचित नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे पुलिस की खूब बन आयेगी और भ्रष्टाचार फैलेगा।

इसलिए मान्यवर, मैं आपका ध्यान धारा १५ की ओर दिलाऊंगा जिसमें लिखा है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसी लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट के, या अन्य ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान करे, आदेश से या प्राधिकार के अधीन उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे ऐसा अपराध बनता हो दी गयी हो। मान्यवर, इसके द्वारा माननीय मंत्री जी सारी जनता को उसके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। इससे यह होगा कि जो विक्रेता है वह अधिक दाम पर देगा। या तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाये और उस पर कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसके उद्देश्य और कारणों पर न जायं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसलिए मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि...

श्री अध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ जी, आप माइक पर बोलें। रिपोर्टर्स आपकी बात सुन नहीं पा रहे हैं जिससे लिखने में दिक्कत होती है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो प्रस्ताव किया है कि इस उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, यह जो अहम बिल आया है किताबों के बारे में, मैं इसे एक सोशलिस्टिक कदम इसलिए कहता हूं कि अभी तक इससे पहले केवल १०वीं कक्षा तक ही किताबें मिला करती थीं अब इसको दो दर्जे और बढ़ाकर दर्जे १२ तक कर दिया गया है। मैं इसकी बार-बार हिमायत इसलिए करना चाहता हूं कि यह पहला मौका है कि उर्दू के दर्जे १२ के तालिबइल्म न सिर्फ कम कीमत पर पुस्तकें पा सकेंगे बल्कि जिनकी तादाद भी इतनी नहीं होती है उनको भी कम कीमत पर सरकार पुस्तकें बिकवायेगी। मैं इस बारे में कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। इन पुस्तकों के जो प्रिन्टर्स हैं वे वक्त से पुस्तकों को छाप कर नहीं दे पाते हैं। मैं चाहूंगा कि उनके खिलाफ जो इन्तजामियां हैं, अगर वे कोई बंदिशें पहले से लगा सकते हैं तो उन्हें लगायें और अगर इस बिल में उस बारे में कोई प्राविधान नहीं है तो मेरी इल्तजा है कि सरकार को बहुत सख्ती से कदम उठाना चाहिए ताकि वे लोग वक्त से किताबों को मार्केट में मुहइया कर सकें। इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसका पाठ्य पुस्तक विशेष टापिक है। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि एक जमाना था जब हमारे छात्रों पर २४ घंटे गुरू का साया रहता था तो जो गुरू की कम्पनी थी उसको ये पुस्तकें ही पूरा करती हैं।

श्री अध्यक्ष--

किताब तो निर्जीव है, गुरू का स्थान कैसे ले सकती है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिल वाराणसी)--

मान्यवर, किताब ज्ञान का स्थान लेगी, गुरू के बिना किताब भी मदद करती है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, पुस्तक भी ज्ञान का मन्दिर है, गुरू भी ज्ञान का मन्दिर है। उसके चरित्र को विकसित करने के लिए, उसकी सुन्दर सुकोमल भावना को विस्तृत करने के लिए क्या उसमें क्षमता है या नहीं। क्या हमारे छात्र को अपनी पुस्तक से उतना प्रेम है जितना गुरू, मां, या बाप से होता है। इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे विचार में जो शिक्षा है, उसको राजनीति से ऊपर रखना चाहिए था। अगर इसे सदन की प्रवर समिति को भेज दिया जाय जिसमें सरकार के और विरोध पक्ष दोनों ओर के सदस्य होते तो वे इस बिल को कम्प्रिहेंसिव बनाते। मेरा जो एतराज है वह यह है कि यह कौम्प्रिहेन्सिव बिल नहीं है। इसके जो उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है यह उसकी भी पूर्ति नहीं करता है। इसमें आपने पहली से १२वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रबन्ध किया है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि वे तो आपके अपने बच्चे हैं लेकिन हमारे जो डिग्री कालेजेज के बच्चे हैं वे सौतेले हो गये। उनके लिए इसमें क्यों नहीं प्राविधान किया गया है?

इसमें यह भी लिखा हुआ है कि व्यापारी अधिसूचित मूल्य से ज्यादा नहीं लेंगे। आज शिक्षा का प्रसार दिनों दिन बढ़ रहा है। हर मां चाहती है चाहे वह कुम्हार की पत्नी हो, मोची की पत्नी हो और चाहे वह जमादार की पत्नी हो, सभी यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े। तो पढ़ने वालों की जो बढ़ती हुयी संख्या है क्या उनकी आवश्यकता को कोप अप करने के लिए हमारे पास इतनी पाठ्य पुस्तकें हैं? पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और पाठ्य पुस्तकों की संख्या कम हो रही हैं। इसलिए इनकी चोर बाजारी होती है। आज आवश्यकता की कौन सी वस्तु है जिसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रहा है। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

हम अपनी आंख बन्द करके काम करते हैं तो देश के प्रति बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं। आज बाजार में होता क्या है। पुस्तक बेचने वाले विद्यार्थियों से कहते हैं कि तुम पाठ्य पुस्तकों के साथ कापियां लो, रजिस्टर ले लो या कोई तस्वीर वाली किताब ही ले लो। तो अगर वह नहीं लेता है तो किताब ब्लैक में चली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष--

अभी एक बिल और शेष है। आप संक्षेप में कहें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जब २० मई को हमारे कालेजों में रिजल्ट घोषित हो जाता है। तो मेरे विचार में मई के महीने में ही पाठ्य-पुस्तकें बाजार में आ जानी चाहिए। मैं तो यह कहूंगी कि विधेता को बीच में मत डालिए। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि कितने बच्चे हैं, उसी हिसाब से पुस्तकें हर बच्चे को स्कूलों में मिल जाये।

आपने धारा ३ (ख) के अन्त में लिखा है "..कि किसी पाठ्य-पुस्तक को मुद्रित या प्रकाशित करने के लिए रियायती दर के कागज से भिन्न किसी कागज का उपयोग नहीं करेगा", उसी के आगे आप लिखते हैं कि "परन्तु यदि किसी कारणवश किसी प्रकाशक को रियायती दर का कागज उपलब्ध न कराया जा सके तो ." तो यह दोनों बातों में आप देखिये कि कितना विरोधाभास है। बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

साथ ही मान्यवर, धारा ११ (१) में लिखा है "यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिए उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा", इसी में आगे आपने लिखा है "परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा जो यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उससे ऐसे अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।" इन दोनों में भी आप देखें कि कितना विरोधाभास है। जेलखाने में सबसे ज्यादा भला इन्सान वही मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा अपराध किया होता है। इन बातों से हम ब्लैक को रोक नहीं पायेंगे। इसके लिए जरूरी यह था कि आप ऐसी प्रवर समिति बनाते जिसमें एजूकेशनलिस्ट होते, दोनों सदन के माननीय सदस्य होते और विचार करने के बाद एक मोर काम्प्रीहैन्सिव बिल आता।

श्री अध्यक्ष--

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, कोठारी कमीशन और आचार्य नरेन्द्र देव वाली कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि हमारी पाठ्य पुस्तकें ऐसी होनी चाहिये, जिससे बच्चों में आध्यात्मिक भावनायें जागृत हों, उनके चरित्र का निर्माण हो और वे एक अच्छे नागरिक बन सकें।

श्री अध्यक्ष

अब आप समाप्त करें ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं २ मिनट में इस संशोधन विधेयक में एक दो बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ कापियों के निश्चित दरों पर मिलने की भी व्यवस्था होनी चाहिये । अगर ऐसा कर दें तो विद्यार्थियों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जायेगी । आज का विद्यार्थी मारा-मारा बाजारों में फिरता है । सही मूल्य पर आज के विद्यार्थियों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। आपने इसमें लिखा है कि निश्चित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी। जब कोई विद्यार्थी लेने जाता है तो उसे दूसरी किताबें अथवा कुंजी आदि दी जाती है । इसमें इस बात का प्राविधान होना चाहिए कि जो निश्चित कीमत है उससे अधिक कीमत पर पुस्तकें नहीं बेचेगा, बल्कि जो लेने जायगा उसको प्रत्यक्ष रूप में उतने ही पैसे में किताब दी जायगी । इसमें विहित अधिकारी, कलक्टर को रखा है । कलक्टर को इतना टाइम नहीं होता है कि वह इस चीज को पकड़ सके, इसलिए शिक्षा अधिकारियों को इसमें उत्तरदायी बनाना चाहिए था ताकि वे इस चीज को पकड़ सके और विद्यार्थियों के साथ न्याय हो। १२ कक्षा तक इसमें रखा गया है । बी० ए०, एम० ए० तक की जो पुस्तकों की कीमत है, उसको भी इसमें निश्चित किया होता तो अच्छा होता ।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, हम लोगों को यह आशा थी कि मंत्री जी यह जो विधेयक ले आयेंगे, उसमें पाठ्य पुस्तकों के अलावा वे तमाम सामग्री जो छात्रों के कामों में आती है, कलम, कापी और भी सामान जितने हैं, उन्हें सस्ते से सस्ते रेट पर छात्रों को उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, चाहिए था मंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश में इण्टरमीडिएट तक अनिवार्य शिक्षा घोषित करें और उसके लिए अधिनियम बनावें कि इस प्रदेश के तमाम बच्चों को जो कि इस प्रदेश के निवासी हैं, फ्री और अनिवार्य शिक्षा घोषित की जायगी । माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की घोषणा करनी चाहिए या इस प्रकार का भी अधिनियम इस सदन में ले आना चाहिए था ।

मान्यवर, इसके पहले जो सरकार थी उसके विरोध में छात्रों ने ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, इस आशय के साथ कि हमारी सरकार आयेगी तो छात्रों के तमाम हितों की बात हो जायेगी । उस समय छात्रों की मांगें थीं कि इस प्रदेश में अनिवार्य और फ्री शिक्षा की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, संयोग से थोड़े दिन पहले हम लोग क्यूबा गए हुए थे, हम लोगों ने देखा कि वहां कि वहां की सरकार छात्रों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किए हुए है । अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाता है तो दूसरे दिन वहां पर पुलिस पहुंच जाती है । अगर कोई बाधा पड़ती है, तो वहां पर उसके परिवार के लोगों को बंद कर दिया जाता है । मान्यवर, एक विधेयक इस प्रकार का लाइये कि उत्तर प्रदेश में इण्टरमीडिएट तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार करती है । इसके प्रति हमारी सरकार जो पदारूढ़ है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम गोबिन]

इसकी वाहवाही लोग करेंगे । माननीय मंत्री जी ने सस्ते रेट पर जो पुस्तकों को देने की बात इसमें कही है उसमें भी दो तीन बातें मुझे कहनी है । मान्यवर, जब छात्र पुस्तक विक्रेताओं के यहां पुस्तकें लेने जाते हैं वहां से पुस्तकें हटा दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि हमारी दूकान में यह पुस्तक नहीं है । और उधर ये लोग अध्यापक लोगों से सांठ-गांठ बनाये रखते हैं कि छात्रों को परेशान करें । तो मंत्री जी इस व्यवस्था को समाप्त करें और देखें कि जो दूकानदार इस तरह का कार्य करते हैं उनको कड़े से कड़ा दण्ड दिया जाय । इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी के विधेयक का स्वागत करता हूं ।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

अध्यक्ष महोदय ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी---

मान्यवर, इस विधेयक के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रयास किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । अभी तक पाठ्य पुस्तकों को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था थी उससे पाठ्य पुस्तकों की चोर बाजारी बड़ी आसानी से होती थी । इसलिए हमारे १२वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उचित मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाती थी । इस विधेयक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जो अनियमिततायें हैं उनको दूर किया जाय । प्रकाशकों को जो कागज दिया जाता था उसको वह ब्लैक करते थे और थोड़ी बहुत किताबें जो छपती थीं उनको ब्लैक में बेचते थे इसको नियंत्रित करने का प्रयास इस विधेयक के माध्यम से किया गया है जो कि सराहनीय है ।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि १२वीं कक्षा से उच्च स्तर की कक्षाओं पर भी यह लागू किया जाय तो बहुत ही लाभ होगा । क्योंकि उच्च स्तर की कक्षाओं में अनेक पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी मांग अधिक होती है उनके दाम भी अधिक लिए जाते हैं । इसको प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यकता है कि प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर एक ऐसी मशीनरी नियंत्रण करने को रहे जिससे पाठ्य पुस्तकों का स्टाक न किया जाय और उनका ब्लैक न हो । यदि कोई इसका प्रयास करे तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाय । इन शब्दों के साथ में माननीय शिक्षा मंत्री का आभारी हूं, इस क्रांतिकारी कदम को उन्होंने उठाने का प्रयास किया, इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप रियासत साहब के संशोधन को स्वीकार करते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कालीचरण—

संशोधन स्वीकार नहीं है । जो उन्होंने कहा है कि डिग्री क्लासेज तक बढ़ाया जाय तो एक छोटी सी कठिनाई है । एक तो यह है कि हम उन्हीं पुस्तकों के मूल्य अभिसूचित करते हैं जिनको रियायती मूल्य का कागज उपलब्ध कराते हैं ।

हमारे पास रियायती मूल्य का कागज इतना उपलब्ध नहीं है कि उसकी सीमा हम बढ़ा सकें । दूसरी बात डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वह उत्तर प्रदेश से ही प्रकाशित नहीं होती हैं । यह विश्वविद्यालय का अधिकार है कि अपने विद्यार्थियों के लिये किन पुस्तकों की संस्तुति करें । बहुत से विश्वविद्यालयों में अनेक ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं जो भारत के बाहर से प्रकाशित होती हैं । इसलिये यह नियंत्रण उन्हीं पुस्तकों पर कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होती हैं । इसलिये हमारी सीमायें हैं और उसके अनुसार हम बारहवीं कक्षा से बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं ।

माननीय सदस्य शम्भू नाथ चौधरी ने एक सवाल उठाया था और अपने को डाक्टर लोहिया का शिष्य बताते हुये एक और डेढ़ की बात किया था तो उसमें मुझे कहना है कि ऐसा नहीं है । पहली बात तो दाम सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । इसके अलावा तीन तरह की पुस्तकें हैं । एक पुस्तक जो राष्ट्रीयकृत है, दूसरी जो स्वीकृत होती हैं और तीसरी पुस्तक स्वीकृत है लेकिन वह कल्चरल पेपर पर छापी जाती है । एक न्याय मूर्ति श्री मिश्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने विचार विमर्श करके फार्मूला बताया था उसके आधार पर राष्ट्रीयकृत जो पुस्तक है उसमें ७० और ३० का अनुपात है । लागत खर्च ७० पैसे और प्रकाशक पुस्तक विक्रेता का कमीशन और रायल्टी कुल मिलाकर ३० पैसे । इस तरह पुस्तक का दाम एक रुपया होगा । दूसरी संस्तुत और स्वीकृत पुस्तक जो होती है उसमें लागत खर्च ६८ पैसे और शेष तीनों बातें मिलाकर ३२ पैसे, इस तरह एक रुपया दाम होगा । तीसरी, जो कल्चरल पेपर पर छपी पुस्तकें हैं उनके लिये ६५ और ३५ का अनुपात है । इस प्रकार उनके हिसाब से यह पुस्तकें और सस्ती पड़ती हैं । अब जिनको कागज देते हैं उनसे अनुबन्ध पत्र लेकर कागज देते हैं कि सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य पर कागज या कापियां छात्रों को देंगे । यह अनुबन्ध कानूनी मामला नहीं होता है ।

इस वर्ष थोड़ी कमी है पुस्तक या कागज की क्योंकि उपयुक्त समय पर आवंटित कोटा हमको नहीं मिला । लेकिन इस कठिनाई का समाधान हो गया है कि निर्धारित मूल्य पर पुस्तकें मिल सकें, संग्रह करके कृत्रिम अभाव पैदा न कर सकें जैसा कि श्री राम गोविन जी ने कहा कि अध्यापकों से मिलकर पुस्तक विक्रेता ऐसा-ऐसा षड्यन्त्र रचते हैं । लेकिन यह बात उनके दिमाग में उनसे षड्यंत्र करके ही आयी होगी । मैं इस बात को मानता हूं कि सभी बच्चे हमारे हैं लेकिन जो कठिनाई थी उसको हमने बता दिया ।

रियासत हुसैन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कहीं ऐसा न हो कि इसके विलम्ब होने से पुस्तक प्रकाशकों को छूट मिल जाय कि वह अपनी मनमानी करने लगें दामों में, इसलिये वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने अपने-अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अपनी कठिनाई

[श्री रियासत हुसैन]

बतायी है उसको देखते हुये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिससे वह कठिनाई दूर हो । मैं अपने बचपने की बात बताऊं कि कापी और किताबों पर टाइटिल चिपकाने की स्लिप जो कि छपी हुई होती हैं उनकी कीमत १०० रुपया हजार है । इसका मूल्य रहा है १० पैसे की एक पर्ची । इसीलिये मैं इसको प्रवर समिति में भेजना चाहता हूं ताकि ये कठिनाइयां दूर हो जायं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक, विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से १६ तक खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८

जन साधारण के हित में, पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, प्रदाय, वितरण, व्यापार और वाणिज्य पर नियन्त्रण रखने के लिए और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में--

(क) "परिषद्" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) "पाठ्य पुस्तक" का तात्पर्य शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश या परिषद् या उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा २ के खण्ड (२०) में परिभाषित किसी विश्वविद्यालय, द्वारा विहित या संस्तुत या उनके पाठ्यक्रमों के अनुसार लिखी गई और धारा ७ के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट किसी पुस्तक से है;

(ग) "रियायती दर के कागज" का तात्पर्य उस कागज से है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रियायती दर पर उपलब्ध कराया जाय और प्रकाशकों को राज्य सरकार के माध्यम से आवंटित किया जाय ।

(घ) "व्यापारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किन्हीं पाठ्य पुस्तकों के, चाहे थोक में (चाहे मुद्रक या प्रकाशक या वितरक के रूप में) या फुटकर में क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रह करने के कारोबार में लगा हो, और इसके अन्तर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है;

(ङ) "निदेशक" का तात्पर्य शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(च) पाठ्य पुस्तक के सम्बन्ध में "अधिसूचित मूल्य" का तात्पर्य उस मूल्य से है जो धारा ७ के अधीन जारी की गयी अधिसूचना में उसके सामने अंकित है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने तक, उस मूल्य से है जो उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक आदेश, १९७५ में इंगित है;

(छ) "विहित प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला मजिस्ट्रेट से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपने किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(ज) "विवरण पत्रिका" का तात्पर्य परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए समय-समय पर जारी की गयी "विवरण पत्रिका" से है ।

(झ) "प्रकाशक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परिषद् द्वारा हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में उपयोग के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार या शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के लिए विहित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई कोई पुस्तक प्रकाशित करता है, और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो कोई पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करता है ।

व्यापारी न विक्रय से विमुख होगा न अधिक मूल्य लेगा

३—(१) कोई व्यापारी—

(क) अपने स्टाक में विद्यमान किसी पाठ्य पुस्तक के विक्रय से विमुख नहीं होगा; या

(ख) किसी पाठ्य पुस्तक के लिये अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य नहीं लेगा ।

(२) कोई प्रकाशक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्—

(क) यथास्थिति, परिषद् या शिक्षा विभाग द्वारा किसी कक्षा में उपयोग के लिए विहित या संस्तुत,

(ख) उस विषय के सम्बन्ध में, जिसके लिए परिषद् ने कोई पुस्तक संस्तुत या अनुमोदित न की हो, पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित, किसी पाठ्य पुस्तक को मुद्रित या प्रकाशित

करने के लिये रियायती दर के कागज से भिन्न किसी कागज का उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु यदि किसी कारणवश किसी प्रकाशक को रियायती दर का कागज उपलब्ध न कराया जा सके तो, इस उपधारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि उस प्रकाशक से, ऊपर निर्दिष्ट किसी पुस्तक के मुद्रण या प्रकाशन के लिए रियायती दर के कागज का उपयोग करना अपेक्षित है ।

पाठ्य पुस्तकों के स्टाक का अधिग्रहण

४—(१) जहां विहित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी ने, चाहे अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से या उसकी भागीदारी में, किन्हीं पाठ्य पुस्तकों का संग्रह किया है या संग्रह जारी रखा है या संग्रह के लिये अर्जन किया है, वहां विहित प्राधिकारी, आदेश द्वारा, उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सम्पूर्ण स्टाक या उसके विनिर्दिष्ट भाग की राज्य सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को अधिसूचित मूल्य पर और ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, बेंच दे ।

(२) जहां कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश दिया जाय, उसका अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां विहित प्राधिकारी, यथास्थिति, पाठ्यपुस्तक का ऐसा स्टाक या उसका भाग अपनी अभिरक्षा में ग्रहण कर या करवा सकेगा और ऐसा स्टाक या उसका भाग राज्य सरकार को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो, दे या दिलवा सकेगा और व्यापारी को उसके अधिसूचित मूल्य का भुगतान करा सकेगा ।

मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पाठ्य पुस्तक विहित करने पर निर्बन्धन

५—परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था जिसमें पहली कक्षा से आंठवीं कक्षा या इनमें से किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, निदेशक के अनुमोदन के बिना इन कक्षाओं के लिए, धारा ७ के अधीन जारी की गई अधिसूचना में उल्लिखित पाठ्य पुस्तकों से भिन्न कोई पाठ्य पुस्तक विहित नहीं करेगी ।

सूचना या आंकड़े संग्रह प्रवेश, तलाशी या अभिग्रहण की शक्ति

६—विहित प्राधिकारी इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस अधिनियम का अनुपालन किया गया है या नहीं—

(क) किसी व्यक्ति से कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि वह व्यापारी है, अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने कारोबार से या अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्यपुस्तकों के स्टाक से, सम्बद्ध ऐसी बहीं, लेखा और अभिलेख जो विनिर्दिष्ट किये जायें, रखे और निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें;

(ग) किसी व्यापारी से या किसी व्यापारी द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रहने वाली पाठ्य-पुस्तकों के स्टाक से सम्बद्ध ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज, जो विनिर्दिष्ट किये जायं प्रस्तुत करें;

(घ) किसी बही, लेखा या अन्य दस्तावेज का जो ऐसे अधिकारी की राय में इस अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही के लिये उपयोगी या सुरक्षित हो, परीक्षण और अभिग्रहण कर सकेगा और ऐसी बही, लेखा और अन्य दस्तावेज को, उनकी प्रतिलिपियों या उनके उद्धरण लेने और उन्हें अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करने के पश्चात् उस व्यक्ति को लौटा सकेगा जिससे वे अभिगृहीत किये गये हों; या

(ङ) किसी भू-गृहादि, गाड़ी या जलयान की तलाशी ले सकेगा और उसमें पायी गयी किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों की तालिका तैयार कर सकेगा, या ऐसी किन्हीं पाठ्य-पुस्तकों को अभिगृहीत कर सकेगा जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है और तत्पश्चात ऐसी समस्त कार्यवाहियां कर सकेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिगृहीत स्टाक को किसी न्यायालय में पेश किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये और इस प्रकार पेश किये जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये आवश्यक हो ।

पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य अधिसूचित करने की राज्य सरकार की शक्ति

७--राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा उस आदेश में विनिर्दिष्ट या निर्दिष्ट पाठ्य-पुस्तकों का उचित मूल्य निश्चित कर सकती है ।

शास्ति

८--यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह--

(एक) उक्त धारा की उपधारा (१) का उल्लंघन करने की स्थिति में ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी, और

(दो) किसी अन्य उल्लंघन की स्थिति में, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना से भी,

दण्डनीय होगा ।

प्रयास और दुष्प्रेरण

९--किसी व्यक्ति को जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का

दुष्प्रेरण करता है, अधिनियम का उल्लंघन करने वाला समझा जायेगा ।

मिथ्या कथन

१०---यदि कोई व्यक्ति---

(एक) जब उससे धारा ६ के अधीन किसी आदेश द्वारा कोई विवरण देने या कोई सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाय, कोई ऐसा विवरण देता है या कोई ऐसी सूचना या आंकड़े प्रस्तुत करता है जो तात्विक विशिष्ट में मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या जिसको मिथ्या मानने का उसके पास युक्ति-युक्त कारण है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, या

(दो) किसी बही, लेखा, अभिलेख, घोषणा, विवरणी या अन्य दस्तावेज में जिसे किसी ऐसे आदेश द्वारा रखने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी हो उपर्युक्त प्रकार का कोई विवरण देता है,

तो वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना से या दोनों दण्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

११---(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के कार्य-संचालन के लिए उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा;

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा जो यह साबित करे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है, तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी सम्मिलित है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अधिनियम संख्या २ सन् १९७४

१२--दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और जमानती होगा ।

अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना

१३--(१) जहां किसी कम्पनी को इस अधिनियम के अधीन सिद्ध-दोष ठहराया जाय, वहां कम्पनी को सिद्ध-दोष ठहराने वाला न्यायालय इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह कम्पनी का नाम, कारोबार का स्थान, उल्लंघन का प्रकार, यह तथ्य कि कम्पनी को इस प्रकार सिद्ध-दोष ठहराया गया है और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हें न्यायालय मामलों की परिस्थितियों में समुपयुक्त समझे, कम्पनी के व्यय पर ऐसे समाचार-पत्रों में या ऐसी अन्य रीति से जैसा न्यायालय निदेश दे, प्रकाशित करावे ।

अधिनियम अधीन सिद्ध-दोष कम्पनियों के नाम, कारोबार का स्थान आदि प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि अपील किये बिना व्यतीत न हो गयी हो; या यदि अपील की गई हो तो उसका निस्तारण न कर दिया गया हो ।

(३) उपधारा (१) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय कम्पनी से इस प्रकार वसूल किया जायेगा मानो वह न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिये कम्पनी का वही अर्थ है जो धारा ११ के स्पष्टीकरण के खण्ड(क) में दिया गया है ।

अधिनियम संख्या २ सन् १९७४

१४--कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ऐसी लिखित रिपोर्ट के सिवाय नहीं करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट के, या अन्य ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदान करे, आदेश से या प्राधिकार के अधीन, उन तथ्यों के सम्बन्ध में जिनसे ऐसा अपराध बनता हो, दी गई हो ।

अपराधों का संज्ञान

१५--दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा २९ में किसी बात के होते हुए भी, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जाय, धारा ३ का उल्लंघन करने वाले किसी सिद्ध-दोष व्यक्ति को पांच हजार रुपये से अधिक जुर्माने का दण्डादेश देना विधिपूर्ण होगा ।

जुर्माना के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

१६--(१) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये जो धारा ३ के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य को संरक्षण

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी क्षति के लिये जो किसी ऐसे कार्य से हुई हो या संभावित हो, जो इस अधिनियम

के अधीन जारी किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया है, या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष--

चूंकि खंडों में कोई संशोधन नहीं है इसलिय मैं सबको एक साथ लिये लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड २ से ले कर खंड १६ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कालीचरण--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*संसदीय वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय । यह एक छोटा सा विधेयक है । अभी तक सिनेमा में जो मनोरंजन कर की दरें थीं वे विभिन्न प्रकार की थीं । उनमें एकरूपता लाने के लिये तथा संसाधनों में वृद्धि करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है । शासन को इसके द्वारा यह अधिकार दिया जा रहा है कि सिनेमा के ऊपर मनोरंजन कर अधिकतम ११० प्रतिशत प्रवेश करने पर लगाया जाय और जो अधिभार १० पैसे लगाया जाता था, उसकी अधिकतम सीमा ५० पैसे करने का विचार किया जा रहा है । इस दृष्टि से यह विधेयक लाया जा रहा है ।

*श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

---

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहनी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि एकरूपता वह लाना चाहते हैं। अगर एकरूपता वह ला देते तो बड़ी अच्छी बात थी। अभी तक एक रुपये के टिकट पर १०० प्रतिशत टैक्स था और उस पर १० परसेंट अधिभार था। शहर का मजदूर तथा गरीब वर्ग का आदमी उस टिकट को लेता था। अगर ऊपर वाले टिकटों पर यह बढ़ाया जाता तो कोई ऐतराज नहीं था ५० पैसे का सरचार्ज उन पर बढ़ाया जाता लेकिन यह आपने गरीबों पर बढ़ाया है। एक तरफ सरकार कहती है कि वह गांव की ओर चलेगी तथा गरीबों की भलाई करेगी दूसरी ओर वह उन्हीं गांव वालों तथा गरीबों पर टैक्स बढ़ा रही है। जैसा वह कहती है अगर उस पर यह सरकार अमल करती तो गरीबों का फायदा हो सकता था लेकिन वैसा न करके यह उनका फायदा नहीं कर रही है।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह जो टैक्स बढ़ा है यह बड़ों पर बढ़ता ५० पैसे सरचार्ज के बढ़ा दिये और एक रुपये पर १० पैसे और लगा दिये। इसका बोझ जो है वह गरीबों पर पड़ता है। अगर यह बड़ों पर बढ़ता तो हम इसका समर्थन करते और अपना सहयोग प्रदान करते। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि यह जो टैक्स बढ़ाया है ११० और ५० पैसे सरचार्ज के इसको ऊपर वालों पर कर दें।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं समझ रहा था कि वह अपनी योग्यता के कारण बहुत छोटा भाषण करेंगे, जिसको हम न समझ सकें और ऐसा ही उन्होंने किया।

श्री अध्यक्ष—

आप की समझ पर उन्हें पूरा भरोसा है।

श्री श्यामधर मिश्र—

लेकिन वह भूल गये कि उनके साथी एक और भी वित्त मंत्री हैं जो कुछ महीने पहले इसी सीट पर बैठे थे और इसी मामले में एक प्रस्ताव लाये थे उस समय उन्होंने कहा था और यह तर्क दिया था कि ९० पैसे से १०० पैसा इसलिए कर रहे हैं कि १० पैसे लोग नहीं लौटाते हैं और लेने वाला भी सोचता था १० पैसे में क्या होगा और उसे वह ब्लैक वाले को दे देता है तो क्यों न वह हमें ही दे दें। इसीलिए यह एक रुपया किया जा रहा है, यह तर्क दिया था। अब दूसरे मंत्री जी की कहानी सुनिये एक साल नहीं बीता दूसरा टैक्स उसी साल एक नये ढंग से लगा दिया जिसका कि मैं विरोधी हूं। मैं कहता हूं कि साल में एक बार टैक्स लगाना चाहिये और वह बजट के समय लगना चाहिये। यह क्या ढंग है कि अध्यादेश से टैक्स लगाते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मंत्री जी ९० पैसे से एक रुपया करने के लिए यह कहते हैं कि १० पैसे वापस नहीं होते इसलिए पूरा रुपया कर दिया। अब दूसरे मंत्री जी एक रुपये दस पैसा कर देते हैं। आगे यह कहेंगे कि दस पैसे का क्वार्टन जो है इससे पच्चीस पैसे वाला अच्छा होता है इसलिए १२५ पैसा हो जाय। यह कहानी गरीबों के साथ कब तक करते रहेंगे। आमोद कर से मैं सहमत हूं लेकिन यह कर गरीबों पर ही नहीं लगना चाहिए जिससे कि आप भी सहमत होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

बहुत से लोग सिनेमाघरों के अन्दर इस तरह के सीन देखने के लिए जाते हैं जिससे समस्या खड़ी हो जाती है और भयंकर भीड़ हो जाती है इसलिए ऐसे लोगों को कम अवसर मिलेगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

इसी लिए ज्यादा लोग देखने आयेंगे ।

उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां सिनेमा की सीटों का प्रयोग न्यूनतम है । करीब करीब ४०-४५ फीसदी ही यूटीलाइजेशन है । क्या यह सही नहीं है मंत्री जी बतायें ? सिनेमाघर यहां २०-२५ हजार की आबादी पर एक है जबकि पूरे हिन्दुस्तान में सिनेमाघर १० हजार की आबादी पर है । सिनेमा जैसा आपने कहा मनोरंजन की बात है, ज्ञानवर्धन की भी बात है । आज हमारे यहां केवल पांच सौ सिनेमाघर हैं । आपने एक और प्रतिभा वालों को और बढ़ा दिया सेकरेटेरियट के सामने, वह दूसरी बात है । गांवों में सिनेमा टैक्स फ्री होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

वहां पर ला-एंड-आर्डर जैसी समस्या पैदा हो जायगी अगर ऐसा कर देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र--

सिनेमा देखने से ला-एंड-आर्डर को सिचुएशन खराब हो रही है तो मैं आपके साथ हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आपने देखा होगा सिनेमा स्टार आ जाते हैं तो शासन को कठिनाई हो जाती है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं कह रहा था कि सिनेमाघर यहां और बढ़ने चाहिए यह तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक आप इस तरह टैक्स बढ़ाते जायेंगे । यह गरीबों का प्रदेश है । गरीबों की बात कम से कम मंत्री जी सुनें । आप अगर इस विधेयक को लाये हैं तो यह ऊपर वालों पर लगायें । अगर इस ख्याल से लाते तो अच्छा था । बड़ी दरों पर बढ़ाते तो ठीक था, गरीबों पर दस पैसा हटाते, सौ की जगह अस्सी पैसा करते तो अच्छा था । और यह आप अध्यादेश से कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत थी । इस दर पर जो गरीब है, चपरासी है, बर्तन मांजने वाला है वह जाता है । एक मंत्री जी ने ९० से १०० किया । दूसरे ने ११० कर दिया और फिर ५० पैसे सर चार्ज बढ़ा दिया जो कि गरीबों पर लगेगा ।

आप कहते हैं कि यह सुव्यवस्था के लिए कर रहे हैं । इसका जिक्र आपने उद्देश्य में किया है । सुव्यवस्थीकरण के नाम पर टैक्स लगा रहे हैं । इसी तरह राजस्व मंत्री जी कहते हैं कि हमें सुव्यवस्थीकरण के लिए टैक्स लगा रहे हैं । सिंचाई की दरों को इसी आधार पर बढ़ा दिया । यह कैसा आपका सुव्यवस्थीकरण है । माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मंत्रि मंडल जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या उद्देश्य है इस सुव्यवस्थीकरण से, जिसे मैं नहीं समझ पाया ।

हम ३० वर्ष बाद इधर आये हैं अगर आप ऐसा जल्दी-जल्दी करेंगे तो ३० महीने में इधर आ जायेंगे जिसका हमें दुख होगा। हम यह नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप देखें और समझें कि जनता में काम करने में क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि टैक्स लगाने का एक तरीका होना चाहिये एक प्रथा होनी चाहिए जो कि सालाना बजट के समय होना चाहिए। एक बार बजट के समय टैक्स बढ़ाते तो ठीक था। हम एक दो महीने के लिए सदन से हटे आपने एक अध्यादेश द्वारा टैक्स बढ़ा दिया यह कौन सा तरीका है? मैं केन्द्र में २२ वर्ष तक रहा मैंने इस बीच में एक दो बार जरूर देखा लेकिन अपवाद के रूप में। यहां यह सुव्यवस्थीकरण के लिए, ५० लाख के लिए आते नहीं देखा। अगर लगाना ही चाहते थे अध्यादेश के जरिये क्यों? आप सीधे आते, आप अध्यादेशों की सरकार बनाना चाहते हैं। आपातकालीन स्थिति में लिपटी हुई बातें क्या यह अध्यादेश नहीं हैं? अध्यादेश हमारा अधिकार ले लेते हैं। अध्यक्ष जी, आप हमारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन एक घंटे में आध घंटे में इसे पास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी बात स्वयं उलट रहे हैं आप कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य हैं और यह सदन का फैसला है।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं एक अनुशासित सदस्य होने के नाते अपनी बात को समाप्त करूंगी। और उसी आइने में तस्वीर को देख कर यह बात कर रहा हूं। हमारे मंत्रि परिषद् के जो सदस्य हैं जो यहां बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि आज जो टैक्स लगा रहे हैं। उससे गरीबों पर टैक्स बढ़ रहा है। यह बात जरूर है कि आय बढ़ रही है लेकिन किसके बूते पर?

श्री अध्यक्ष—

अब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, इस पर सम्मानित सदस्य ने काफी कह दिया है, मैं कुछ बुनियादी प्रश्नों को उठाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि सिनेमाओं से जो आप आय बढ़ाना चाहते हैं गरीबों पर टैक्स लगाकर, किन्तु जहां इन्टरटेनमेन्ट टैक्स लिया ही नहीं जाता है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं इसमें किया है। होता यह है कि सिनेमा देखने के लिए जिलाधीश यद्यपि अधिकार सम्पन्न है, किन्तु उसके साथ साथ छोटे से छोटे अधिकारी, उसके बच्चे और रिश्तेदार मुफ्त में सिनेमा देखते हैं। सिनेमा मालिकों को तो पैसा देना दूर रहा, वे सरकार का टैक्स भी नहीं देते हैं। यदि प्रदेश में ५ सौ सिनेमाघर हैं तो १० या १५ हजार रुपये रोज की चोरी ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इस के बारे में कोई बुनियादी चेंज होना चाहिये, जिससे इस तरह का काम और सरकार की क्षति न हो।

इसके अलावा सिनेमाओं की स्थिति की जो बात है, लाइसेन्स देते समय तो एक्जीस्टेंस, इन्ट्रेंस, सफाई आदि तमाम चीजें देखी जाती हैं, लेकिन बाद में क्या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा]

होता है ? अब भी प्रदेश में ऐसा तमाम सिनमा हैं कि जहां यदि आग लग जाए तो एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है । उदाहरण के लिए लखनऊ का 'जय भारत' सिनेमा है । एक बार लाइसेन्स पास करने के बाद दुबारा यह चेक नहीं किया जाता है कि वह वे फैसीलटीज जनता को दे रहे हैं या नहीं । इस बारे में कभी भी विभाग ने सोचा नहीं है । आप जनता से पैसा लेना चाहते हैं तो जनता को कुछ सुविधाएं भी दिलाएं । आप जिले में एक ऐसा अधिकारी मुकर्रर करें, जो इस आमदनी को बढ़ा सके। सिनेमाओं में गन्दगी का साम्राज्य है, इ लिए आप कलेक्शन और धारण के बारे में बुनियादी तरीके से सोचें, तो आपकी अवश्य आय बढ़ेगी ।

यहां एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थानीय 'प्रतिभा' सिनेमा को पिछले शासन की ओर से लाइसेन्स नहीं दिया गया था, क्योंकि उसमें कांस्ट्रक्शन के कुछ डिफेक्ट्स थे । लेकिन उनके रहते इस शासन ने उसे अनुमति दे दी है । यह मैं जानता हूं कि वह त्रिपाठी जी के द्वारा नहीं हुआ है, किसी और के द्वारा हुआ है । तो इसमें देखें कि जो लाइसेन्स दिया गया है उसमें जो नक्शा पास हुआ है, उसमें मालिकान ने कोई चेंज तो नहीं किए हैं और उससे जनता को क्या क्या असुविधाएं हैं ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मैं बहुत संक्षेप म उत्तर देना चाहता हूं, मिश्र जी ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, लेकिन लगता है कि एक चीज उनकी निगाह से ओझल हो गई है--बजट के समय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम टैक्स १०० प्रतिशत लगाने की प्रस्तावना कर रहे हैं, लेकिन वह अभी लगाया नहीं गया। उसके पूर्व ही अध्यादेश आ गया । अभी भी हमने ११० प्रतिशत लगाया नहीं है, केवल अधिकार लिया है .....

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या आश्वासन देते हैं, नहीं लगाएंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

इस सम्बन्ध में जैसे ही कुछ कर वृद्धि की घोषणा हुई सिनेमा एग्जिबिटर्स का प्रतिनिधि मंडल मुझसे और अधिकारियों से मिला और करीब करीब ऐसा निश्चित हो गया कि १०० प्रतिशत के हिसाब से सिनेमा की सभी श्रेणी पर कर लगाएंगे । लेकिन उससे कुछ घाटा होगा । निम्न श्रेणी पर से अधिभार समाप्त करने की बात आयी है । उस घाटे को पूरा करने के लिए उच्च श्रेणी पर अधिभार बढ़ाने की बात आयी है । इसलिए यह कहना कि गरीब वर्ग पर टैक्स बढ़ा दिया और ऊंचे लोगों के ऊपर नहीं बढ़ाया, सही नहीं है। ऊंचे श्रेणी पर अधिभार बढ़ेगा । वह टैक्स व्यवस्था सफल होती है जिसका भार अधिकतम संख्या पर पड़े ताकि बोझ कम पड़े ।

मैं और सूचना देना चाहता हूं । तीन रुपये या तीन रुपये पच्चीस पैसे वाली श्रेणी वाली कक्षा में जो आमदनी होती है वह नीचे श्रेणी के टिकटों द्वारा जो होती है उसकी तुलना में काफी कम होती है । इस समय ऊपर के टिकटों की दर बढ़ाएंगे तो वहां जो आमदनी होती है वह और घटेगी क्योंकि अधिकतम सीमा तक पहुंचने की बात हो जायेगी । इस लिए सारी बातों को ध्यान में रखते हुए

यह अधिकार लेने का प्रयास किया जा रहा है। शासन विभिन्न परिस्थितियों को विचार करके कर निर्धारण करेगा।

दूसरे, आपने कहा कि देहाती क्षेत्रों में सिनेमा निर्माण नहीं हो रहा है। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में और बहुत से प्रदेशों की तुलना में सिनेमाओं की संख्या कम है। लेकिन एक विचारधारा यह है कि सिनेमा को गांवों की तरफ बढ़ने से रोकें। जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने इशारा किया जिस प्रकार के सिनेमा में दृश्य दिखाए जाते हैं उसका ग्रामों में कहीं प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। वैसे सरकार की योजना इस प्रदेश में सिनेमागृहों को प्रोत्साहित करने की है और उस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक उन दृश्यों की ओर इशारा किया गया इसके लिए शासन अलग से विचार कर रहा है कि अश्लील दृश्यों के पोस्टरों पर प्रतिबन्ध लगाया जावे।

माननीय मिश्र जी ने कहा कि अध्यादेश की क्या आवश्यकता है। आंकड़े मिश्र जी के पास ज्यादा हैं। कांग्रेस सरकार के समय में जितने अध्यादेश जारी होते थे उसकी तुलना कर लीजिए संतोष हो जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह कोई तर्क नहीं है। इससे मैं प्रभावित नहीं हूं। उन तमाम गलतियों की वजह से कांग्रेस इधर चली आयी। क्या वह भी इधर आना चाहते हैं?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

दूसरी चीज यह है कि जैसा कि मिश्र जी ने सुझाव दिया कि नये सिनेमा-गृहों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स फ्री कर दें, शासन विचार कर रहा है कि विशेष कर जो ग्रामों तथा अर्द्ध नगरों में सिनेमागृह खुलें उन पर किस प्रकार छूट दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय १५ मिनट और बढ़ाया जाता है।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जहां तक अनियमितताओं का प्रश्न है, १९७७ और १९७८ में काफी सिनेमा-गृहों पर चेकिंग हुई है। १९७७-७८ में पांच हजार ८ सौ निरीक्षण हुए। १९७८ में १ अप्रैल के बाद १८२४ निरीक्षण हो चुके हैं जिसमें २५ बिना कर दिए हुए दर्शकों को पाया गया है।

सिनेमाघरों में सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सफाई, हवा की व्यवस्था होनी चाहिये और भवन सम्बन्धी सुविधा होनी चाहिए। इसकी कड़ाई से चेकिंग हो रही है। इस सम्बन्ध में जो भी कमियां पायी जायेंगी उनको शासन दूर कराने का प्रयास करेगा।

श्री मित्र सेन—

मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

(२) यह ३१ जुलाई, १९७८ को प्रवृत्त समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ८ सन् १९३७ की धारा ३ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, १९३७ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ३ में उपधारा (१) और (१-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें और स्पष्टीकरण रख दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(१) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर एक कर (जिसे आगे आमोद कर कहा गया है) ऐसी दर से लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क का एक सौ दस प्रतिशत से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे और वह कर मालिक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।

(१-क) किसी आमोद के सभी प्रवेश शुल्कों पर ऐसी दर से अधिभार भी लगाया जायगा और उसका भुगतान किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे शुल्क के लिए पचास पैसे से अधिक न होगी और जिसे सरकार समय-समय पर विज्ञापित करे, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त ऐसा अधिभार आमोद-कर का अंश समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण :—उपधारा (१) और (१-क) की कोई बात सरकार को आमोद के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए आमोद-कर और अधिभार की भिन्न-भिन्न दरें विज्ञापित करने से प्रवारित नहीं करेगी।"

* श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं यह संशोधन पेश करता हूं—विधेयक के "खंड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा-३ में रखी जा रही उपधारा (१) तथा (१-क) तथा स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उप धारा (१-ख) रख दी जाय अर्थात्—

(१-ख) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित, यदि कोई हो) का योग पच्चीस पैसे का गुणक न हो, वहां उपधारा (१) में या उसके अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, कर में ऐसी सीमा तक वृद्धि कर दी जायगी और उसकी गणना इस प्रकार से की जायगी कि आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित) का कुल योग, पच्चीस पैसे का अगला उच्चतर गुणक हो जाय और ऐसा बढ़ा हुआ कर भी मालिक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायगा।"

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में करीब ९८ रेट्स सिनेमाओं के हैं, जो सिनेमा मालिक लेते हैं। मौजूदा कर १०० प्रतिशत और सरचार्ज ५० प्रतिशत है लेकिन २५ प्रतिशत लिया जा रहा है। सिनेमा अपना रेट स्वयं तय करते हैं इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जितना रेट वह तय करेंगे उस पर मनोरंजन कर लिया जायेगा। अगर १.२४ रु० तय किया तो १.२४ रु० कर और २५ पैसा अधिभार लिया जायेगा इस प्रकार से २.७३ कुल होगा लेकिन रेजगारी की कठिनाई से २.७५ पैसा ही वे लेंगे। तो यह पैसा सिनेमा मालिक ले लेंगे सरकार को नहीं मिलेगी। तो इसलिए ऐसा किया गया है कि जो भी रेट होगा वह २५ का गुणक होगा अगर इस प्रकार से रेट नहीं रखेंगे तो २५ का अगला गुणक ले लिया जायेगा। इस संशोधन के द्वारा यह समस्या दूर हो जायेगी। इसलिए यह संशोधन होना जरूरी है।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, मैं एक बात कहना भूल गया था, वह कहना चाहता हूं। बहुत ही थोड़े में कहे देता हूं। जो सीटों पर सिनेमा का तय है और राज्य सरकार प्रति व्यक्ति ले रही है, जैसा कि बसों से लिया जाता है और परिवहन विभाग लेता है। वह हर व्यक्ति से पैसेन्जर टैक्स नहीं लेता बल्कि सीट के हिसाब से, जैसा कि यूटिलाइजेशन होता है टैक्स फिक्स कर दिया जाता है। मुझे मालूम हुआ है कि तमिलनाडु में हुआ है तो क्या यह उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है कि आपके यहां जो ४० फीसदी या ४५ फीसदी यूटिलाइजेशन जो सीट का है तो उसी के हिसाब से तय कर दिया जाय, ३ साल बाद उसका रिव्यू कर दें। साल भर में आप इकठ्ठा टैक्स ले लिया करें फिक्स एमाउन्ट के रूप में। यह जो इंस्पेक्टर्स जाते हैं और गलत रिपोर्ट देते हैं यह भी नहीं होगा। इसका आप अपने यहां भी प्रयोग कर के देख सकते हैं। मुझे आशा है कि इससे बहुत लाभ होगा।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है मुझे इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लेता हूं। जहां तक माननीय मिश्र जी के सुझाव का प्रश्न है यह विचाराधीन जरूर है। अभी तक किसी भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]

सिनेमाघर पर मनोरंजन कर का बकाया नहीं है । इससे समस्या यह हो जायेगी कि वसूली में दिक्कत हो जायेगी । लेकिन यह सुझाव विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि--

"खण्ड २ द्वारा मूल अधिनियम की धारा-३ में रखी जा रही उपधारा (१) तथा (१-क) तथा स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (१-ख) रख दी जाय, अर्थात्--

"(१-ख) जहां किसी आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित, यदि कोई हो) का योग पच्चीस पैसे का गुणक न हो वहां उपधारा (१) में या उसके अधीन जारी की गयी किसी अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, कर में ऐसी सीमा तक वृद्धि कर दी जायेगी और उसकी गणना इस प्रकार से की जायेगी कि आमोद में प्रवेश के लिए शुल्क तथा कर (अधिभार सहित) का कुल योग पच्चीस पैसे का अगला उच्चतर गुणक हो जाय और ऐसा बढ़ा हुआ कर भी मालिक द्वारा वसूल किया जायेगा और उसका भुगतान सरकार को नियत रीति से किया जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ जैसा कि संशोधित हुआ है, इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

निरसन और अपवाद

३--(१) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १६, सन् १९७८

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८

संयुक्त प्रान्त आमोद तथा पणकर अधिनियम, १९३७ का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३, खण्ड १, प्रस्ताव तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा कि संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय शंकर सिंह ने नियम ५१ के अन्तर्गत दिनांक २९ जुलाई, १९७८ की रात को जनपद जालौन के ग्राम जमालपुर में डाकुओं द्वारा ८ व्यक्तियों की गोली से मृत्यु के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको मैंने स्वीकृत किया है । माननीय गृह मंत्री, इस पर आप कब वक्तव्य देंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (संसदीय कार्य मंत्री)—

मान्यवर, बुधवार तक सूचना दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचनायें स्वीकृत होती हैं सम्बन्धित मन्त्री को उसकी सूचना दे दी जाती है तो उन मंत्रियों को यहां पर रहना चाहिए या दूसरे मन्त्री को अधिकृत कर देना चाहिए। बेहतर होगा कि सम्बन्धित मंत्री यहां पर साढ़े ४ बजे उपस्थित रहें ।

दूसरी सूचना श्री श्याम धर मिश्र की है जो उद्योग मंत्री जी से सम्बन्धित है इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है । इस पर भी आप ३० तारीख को वक्तव्य दे दें ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, उस दिन मैं यहां पर नहीं रहूंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पर २९ को वक्तव्य दिला दें ?

श्री अध्यक्ष--

ठीक है। अब हम उठते हैं और २८ तारीख को ११ बजे बैठेंगे।

कई सदस्य--

मान्यवर, बाढ़ पर चर्चा वाली बात तो रह गयी ?

श्री अध्यक्ष--

अब हम २८ तारीख को फिर बैठेंगे। उस दिन बात करेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर १० मिनट पर सोमवार २८ अगस्त, १९७८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया)।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ अगस्त, १९७८।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७२ पर)

संख्या ४१-२-७१--नियुक्ति--३

प्रेषक,

श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में--

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश ।

नियुक्ति अनुभाग--३ लखनऊ, दिनांक २८ जुलाई, १९७२

विषय--सरकारी कर्मचारियों के वक्षता-रोक के मामलों पर विचार

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा वक्षता-रोक पार करने के मामलों में विभिन्न विभागों में अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारणतया वक्षता-रोक की देय तिथि के बाद के कार्यकलापों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह देखने में आया है कि बहुधा मामलों पर बहुत विलम्ब से विचार किया जाता है और इस बीच यदि सम्बन्धित कर्मचारी को कोई प्रतिकूल प्रविष्टि मिल गई अथवा उसके विरुद्ध कोई जांच आरम्भ हो गई, तो इसका प्रभाव वक्षता रोक पर पड़ता है और उसे अकारण ही आर्थिक हानि होती है। यह स्थिति ठीक नहीं है। वक्षता रोक के मामलों में एक रूपता होनी चाहिये।

२--शासन ने इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया है और उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वक्षता-रोक के मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय :--

(१) वक्षता-रोक के मामले में केवल देय तिथि (ड्यूडेट) तक के अभिलेखों के आधार पर ही निर्णय लिया जाये।

(२) यदि देय तिथि को अथवा उससे पहले कर्मचारी को कोई आरोप-पत्र दिया गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ हो गयी है अथवा उसे निलम्बित कर दिया गया है तो उसका परिणाम देखने के बाद ही निर्णय लिया जाय। यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई अन्य जांच (विभागीय, सी० आई० डी० अथवा सतर्कता अधिष्ठान द्वारा) हो रही है तो वह उसके वक्षता रोक में बाधक नहीं होगी। देय तिथि के बाद यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही होती है तो उसका असर उस तिथि के पहले पड़ने वाली वक्षता-रोक पर नहीं पड़ेगा।

(३) दक्षता–रोक पार कराने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी का देय तिथि से पहले का अभिलेख देखना चाहिये, विशेषकर पिछले पांच वर्ष की प्रविष्टियों को। यह देखने में आया है कि कहीं–कहीं यह आधार अपनाया जाता है कि पिछले पांच वर्षों में कम से कम तीन प्रविष्टियां संतोषजनक हो और कहीं यह आधार रहता है कि पिछले तीन वर्षों की प्रविष्टियां लगातार संतोषजनक हों। देखना यह चाहिये कि देय तिथि के पूर्व के रिकार्ड को दृष्टिगत करते हुये कर्मचारी दक्षता–रोक पार करने के लिए निर्धारित कसौटी के अनुसार उपर्युक्त है अथवा नहीं। उसके समस्त कार्य–कलापों के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिये।

(४) इस बात की भी विशेष आवश्यकता है कि दक्षता–रोक के मामलों में कार्यवाही तत्परता से की जानी चाहिये ताकि सम्बन्धित कर्मचारी को देय तिथि के बाद आदेश यथाशीघ्र प्राप्त हो जाय। इसके लिये सम्बन्धित कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता न पड़नी चाहिये। दक्षता–रोक के मामलों में विचार करने की कार्यवाही देय तिथि के काफी पहले शुरू कर देनी चाहिये ताकि उस तिथि के तुरन्त बाद विचार करके आदेश यथाशीघ्र तथा विलम्बतय देय तिथि के एक माह के अन्दर अवश्य ही जारी कर दिये जायं। यदि उक्त अवधि में आदेश निर्गत न हो तो उसकी सूचना, विलम्ब के कारणों सहित, स्वीकृत करने वाले अधिकारी अपने उच्चाधिकारी को अनिवार्यतः देंगे, उच्चाधिकारी तत्काल आदेश जारी कराने का प्रयास करेंगे। यदि किन्हीं मामलों में देय तिथि से तीन महीने के अन्दर आदेश जारी न हो तो ऐसे मामलों की सूचना, विलम्ब के कारणों सहित, शासन के सम्बन्धित विभाग को देना होगा जिस पर शासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(५) यदि किसी कर्मचारी को दक्षता–रोक पार करने की अनुमति नहीं दी गई है तो उनके मामले में नियमानुसार वार्षिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार आदेश तत्काल निर्गत किये जाने चाहिये। यहां यह स्पष्ट कर दिया जाय कि दक्षता–रोक के मामलों में आदेश समय से जारी करना स्वीकृत करने वाले अधिकारी का उत्तरदायित्व है।

३––अनुरोध है कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

भवदीय,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,

सचिव।

संख्या ४१/२/७१(१)––नियुक्ति––३

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं पथ–प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि समस्त मन्त्रियों के सूचनार्थ उनके निजी सचिवों को प्रेषित।

आज्ञा से,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,

सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९५ पर)

मांगों की सूची तथा कृत कार्यवाही का विवरण

मांगें	विवरण
१--प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के वेतन-मान बढ़ाये जांय तथा प्रोन्नति के अवसर प्रदान किये जायं तथा इस वर्ग में १० प्रतिशत के स्थान पर २० प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड दिया जाय ।	मांग शासन के विचाराधीन है ।
२--चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्वर्ग के समस्त पदों को स्थायी किया जाय तथा स्थायी पदों पर कर्मचारियों को अविलम्ब स्थायी किया जाय ।	इस सम्बन्ध में निदेशक को शासनादेश सं० १५३१/चिकित्सा-४/१३६२-१९७७, दिनांक १०-३-१९७८ में निर्देश जारी कर दिये गये हैं । मलेरिया विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के स्थायी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश जारी किये जा चुके हैं । समय-समय पर जो प्रस्ताव प्राप्त हुये थे उन्हें स्थायी घोषित किया जा चुका है ।
३--प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को भी डाक्टर, नर्स एवं फार्मेसिस्टों की भांति निशुल्क आवास या आवास के अभाव में आवासीय भत्ता दिया जाय ।	मांग शासन के विचाराधीन है ।
४--प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को पूर्व की भांति सवेतन प्रशिक्षण दिया जाय।	प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।
५--प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट साइन्स की जाय ।	शासनादेश सं० १५३२-चिकि०-१/१३६२-१९७७, दिनांक १०-३-७८ द्वारा प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता इन्टर-मीडिएट साइन्स कर दी गयी है ।
६--प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का पंजीकरण स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा डाक्टरों, फार्मेसिस्टों एवं नर्सों के भांति किया जाय ।	उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी को इस हेतु लिखा गया था जिन्होंने विचारोपरान्त इसका औचित्य नहीं पाया है ।

मांगें	विवरण
७—प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ/सहायकों को अनुभव के आधार पर १-४-६५ से प्रशिक्षण के छूट दी जाय ।	मांग शासन के विचाराधीन है ।
८—प्रयोगशाला सहायक का पद नाम समाप्त कर प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ किया जाय ।	उन सभी प्रयोगशाला सहायकों के पद नाम को समाप्त कर प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ का पद नाम शासनादेश सं० १५३४/चिकि०-४/१३६२/१९७७ दिनांक १०-३-७८ द्वारा कर दिया गया है जिनके वेतनमान तथा कार्य एक समान है ।
९—संयुक्त निदेशक (मलेरिया) स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला को समाप्त न किया जाय ।	भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित मलेरिया पुनरीक्षित रणनीति के अनुसार केवल २ ही पद केन्द्रीय प्रयोगशाला पर स्वीकृत हैं । शेष १८ पदों को मुख्यालय पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।
१०—प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ का सर्विस रूल तुरन्त सूचित किया जाय ।	सेवा नियमावली तैयार करने का कार्य शासन स्तर पर प्राथमिकता के आधार किया जा रहा है ।
११—प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के दस प्रतिशत लीव रिजर्व के पद पर स्वीकृत किया जाय ।	प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

नत्थी 'ग'

देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९७ पर)

(क) निजी क्षेत्र की आसवनियां

आसवनियों के नाम	१९७७–७८ में आवंटित किये गये जिलों का विवरण	१९७८–७९ में आवंटित जिलों के नाम
१	२	३
१—अयोध्या डिस्टलरी, मुरादाबाद ..	१—मुरादाबाद २—मुजफ्फरनगर	१—मुरादाबाद । २—बदायूं
२—दौराला डिस्टिलरी एण्ड केमिकल्स वर्क्स दौराला, जिला मेरठ	..	..
३—अवध शुगर मिल्स लि० डिस्टिलरी, हरगांव, सीतापुर	..	..
४—रामपुर डिस्टिलरी एण्ड केमिकल्स कं० लि०, जिला रामपुर	१—रामपुर २—लखीमपुर खीरी	१—रामपुर २—बिजनौर ३—मथुरा
५—शामली डिस्टिलरी, एण्ड केमिकल्स कं०, शामली, मुजफ्फरनगर	१—अलीगढ़	१—अलीगढ़
६—कप्तान गंज डिस्टिलरी, देवरिया	..	..
७—सराया डिस्टिलरी सरदार नगर, गोरखपुर	१—गोरखपुर २—देवरिया ३—बस्ती ४—आजमगढ़ ५—बलिया ६—गाजीपुर ७—जौनपुर	१—गोरखपुर २—देवरिया ३—बस्ती ४—आजमगढ़
८—केयर शुगर वर्क्स लि० डिस्टिलरी, बरेली	..	..

१	२	३
९—मोहन मीकिन डिस्टिलरी, लखनऊ	१—लखनऊ २—बाराबंकी ३—राय बरेली ४—प्रतापगढ़ ५—कानपुर	१—रायबरेली २—प्रतापगढ़ ३—वाराणसी ४—मिर्जापुर
१०—सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रिवरी लिमिटेड, मेरठ कैन्ट, मेरठ	१—मेरठ २—मथुरा	१—मेरठ
११—हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लि० डिस्टिलरी गोला गोकरननाथ, खीरी	..	..
१२—पिलखनी डिस्टिलरी एण्ड के० व० लि०, पिलखनी, सहारनपुर	१—बरेली २—फर्रुखाबाद	१—बरेली २—एटा
१३—एलको केमिकल लि० डिस्टिलरी शिवहारा, बिजनौर	..	..
४—सिभौली इन्डस्ट्रीज लि० डिस्टिलरी, मेरठ	१—बुलन्दशहर	१—बुलन्दशहर
१५—तारंग इन्डस्ट्रीज लि०, गोंडा	१—गोंडा २—बहराइच ३—बाराणसी ४—फैजाबाद ५—सुल्तानपुर ६—इलाहाबाद ७—मिर्जापुर	१—गोंडा २—बहराइच ३—फैजाबाद ४—सुल्तानपुर ५—इलाहाबाद ६—जौनपुर ७—गाजीपुर ८—बलिया
१६—सर साबी लाल डिस्टिलरी, मसूरपुर	१—बिजनौर	१—मुजफ्फरनगर
१७—मोदी डिस्टिलरी मोदी नगर, मेरठ	१—गाजियाबाद	१—गाजियाबाद
१८—करम चन्द थापर एण्ड ब्रादर्स डिस्टिलरी, उन्नाव	१—उन्नाव २—झांसी ३—ललितपुर ४—हमीरपुर ५—बांदा ६—फतेहपुर	१—इटावा २—फर्रुखाबाद ३—हमीरपुर ४—बांदा ५—फतेहपुर

१	२	३
१९—मोहन मोकिन डिस्टिलरी, मोहन नगर, गाजियाबाद	१—एटा २—मैनपुरी ३—आगरा	१—आगरा २—मैनपुरी
२०—केरु एण्ड कं० लि० डिस्टिलरी, रोजा, शाहजहांपुर	१—शाहजहांपुर २—सीतापुर ३—हरदोई	१—शाहजहांपुर २—हरदोई
२१—दूनवैली डिस्टिलरी, देहरादून	१—देहरादून २—जालौन ३—इटावा	१—जालौन २—झांसी ३—ललितपुर
२२—कोआपरेटिव डिस्टिलरी, सहारनपुर	१—सहारनपुर	१—सहानपुर
(ख) कोआपरेटिव क्षेत्र में		
२३—बाजपुर कोआपरेटिव डिस्टिलरी, बाजपुर, नैनीताल	१—नैनीताल २—अल्मोड़ा ३—पीलीभीत ४—बदायू	१—पीलीभीत २—खीरी ३—सीतापुर

नोट—जो आसवनियां केवल औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करती हैं और इस कारण जिन्हें कोई भी जिला आवंटित नहीं किया गया है, उनका नाम उक्त विवरण पत्र में सम्मिलित नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९९पर)

श्रेणीवार कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	नगर पालिका/टाउन एरिया का नाम	कर्मचारी की श्रेणीवार संख्या				अनुसूचित जाति (हरिजन) कर्मचारियों की संख्या				प्रतिशत			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
												प्रतिशत	प्रतिशत
१	फैजाबाद नगरपालिका	..	३	५४	६३९	..	..	१	४०१	..	..	२	६२
२	अयोध्या नगरपालिका	..	१	२१	२२६	..	..	१	१४८	..	..	५	६५
३	नगरपालिका अकबरपुर	..	१	२९	७३	..	..	४	४९	..	..	१४	६७
४	टांडा नगरपालिका	..	१	६९	१५४	..	..	१२	१५४	..	..	१७	१००
५	गोसाईंगंज टाउन एरिया	..	..	४	५६	..	..	..	२३	..	..	..	४१
६	जलालपुर टाउन एरिया	..	..	२	८३	..	..	..	७०	..	..	..	८४
७	भदरसा टाउन एरिया	..	..	१	१	..	..	..	..	..	..	..	..

पी० एस० यू० पी०—७० वि० सभा—२०-१-७९—८३५ (पी० डी०)

अनंत प्रदेश विधान सभा